FOR REFERENCE ONLY.

दश माला, खंड 35, अंक 2

मंगलवार, 22 जुलाई, 2003
31 आषाढ़, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D....ST.........
Date......20/4/04......

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 22 जुलाई, 2003/31 आषाढ़, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत . .	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
21 जुलाई, 2003 को जम्मू में कटरा के निकट बाण गंगा के पास तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में	1-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	34-76
अतारांकित प्रश्न संख्या 228 से 329	75-220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	231
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	232
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—एक समीक्षा .	233
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन द्वारा प्रतिवेदन	234
याचिका समिति	
सत्ताईसवां से तीसवां प्रतिवेदन . . .	234
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
पचासवां से तिरपनवां प्रतिवेदन . .	234
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
102वां प्रतिवेदन	235
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उत्तर, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे में हाल में हुई बड़ी दुर्घटनाएं	
श्री नीतीश कुमार	236-242
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद का एक समान लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन लाल कटारिया .	243

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) गुजरात में रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर 243

(तीन) झारखण्ड में आदिवासियों और मूलवासियों के पक्ष में अधिवास और आरक्षण मुद्दे को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू 244

(चार) झारखण्ड में रांची में बाईपास का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 245

(पांच) दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में समुद्रतटीय कटाव को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 245

(छह) कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनाज की पर्याप्त मात्रा जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 246

(सात) पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मंडाकली के निकट मैसूर-ऊटी राजमार्ग पर मैसूर विमानपत्तन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार 247

(आठ) कोंकण रेलवे में विशेष रूप से रेल दुर्घटनाओं को रोकने और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोविन्दन . 247

(नौ) आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में अडोनी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के०ई० कृष्णमूर्ति . . 248

(दस) शारदा नदी के कारण होने वाले भू-कटाव से खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घीरा-पुलिया स्थित रेलवे लाईन और पुल को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 249

विषय कॉलम

(ग्यारह) देश में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे 249

(बारह) बिहार में किऊल-साहेबगंज रेल खंड का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानंद मंडल 250

(तेरह) तमिलनाडु के तिरूवल्लूर जिले में पुलीकोट गांव को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री ए० कृष्णास्वामी 250

(चौदह) पंजाब के मनसा जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा 251-252

लोक सभा

मंगलवार, 22 जुलाई, 2003/31 आषाढ़, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री समाने विग्नाकेथ तथा लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

शिष्टमंडल सोमवार, 21 जुलाई, 2003 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से, लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति, नेशनल असेम्बली और वहां की मित्र जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

21 जुलाई, 2003 को जम्मू से कटरा के निकट बाण गंगा के पास तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे सात तीर्थयात्रियों की हत्या हुई है। यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)* वैष्णो देवी जा रहे सात तीर्थयात्रियों की हत्या हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं वैष्णो देवी मामले के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं। आप बैठ जाइये।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)* सरकार इस्तीफा दे। यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं। आप बैठ जाइये।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : जम्मू-कश्मीर की सरकार भी इस्तीफा दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और मैं उन सभी सूचनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लेकिन सरकार क्या कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कटरा में तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आतंकवादियों ने कटरा में तीर्थयात्रियों पर हमला किया। अत: माननीय सदस्यगण विक्षुब्ध हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। यह कोई तरीका नहीं है। जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइये। मैं बार-बार यह सह नहीं सकता हूं कि जब मैं खड़ा हूं तब भी आप खड़े रहें। मैं जानता हूं कि वैष्णो देवी का मसला गंभीर है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, आप गुस्सा मत कीजिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप हाउस को रैनसम रखेंगे और कहेंगे कि गुस्सा मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि मामला गंभीर है, वहां घटनाएं हो रही हैं लेकिन ऐसे खड़े होना तो ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हम उन्हें रोक रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें रोकेंगे तो वे रुक जाएंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी यहां मौजूद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर उ.प्र.) : अध्यक्ष जी, हमने पंजाब के बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उसे भी सुनेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : किस विषय पर दिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस संबंध में मुझे सूचना दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह एडजोर्नमेंट मोशन का मजाक बन गया है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह कौन होते हैं रोकने वाले... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तीर्थयात्रियों पर हमले का मुद्दा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अत: मैं दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दे रहा हूं। मैं दोनों पक्षों को बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

आप लोग भी बोल सकते हैं और ये लोग भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आपकी रूलिंग क्या मजाक की बात है?...*(व्यवधान)* इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को इन्होंने मजाक बना दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह गंभीर विषय है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इतनी बड़ी घटना घटी है—क्या यह मजाक है? लोग मर रहे हैं—क्या यह मजाक है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले मैं उन तीर्थयात्रियों के लिये हमारी

गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना के शिकार बने जिसने कल एक बच्चे सहित सात तीर्थयात्रियों की जान ले ली। वहां जो हो रहा है वह दु:खद ही नहीं है बल्कि यह हम सबके लिये और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये चौंका देने वाला भी है। मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया है कि उक्त हमला आज सुबह भी अखनूर में जारी है जिसमें पांच जवान भी मारे गये हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी अनौपचारिक रूप से मिली है।

जहां तक मुझे याद है, गत वर्ष अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों की यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा लंगर में इसी तरह की घटना घटी थी। उस समय इस सभा में अपर्याप्त व्यवस्था, सुरक्षा बलों की ओर से सतर्कता में कमी और संयुक्त कमान द्वारा स्थिति की समीक्षा के बारे में गहन चर्चा की गई थीं। जम्मू और कश्मीर में चुनाव के बाद, जब स्थिति में सुधार हो रहा था, भारत के प्रधानमंत्री की अधिकारिक टिप्पणी के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक बैठक को सम्बोधित करने के लिये कश्मीर घाटी गये थे। तभी से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का माहौल बनना आरम्भ हुआ। इसके बाद हमारी विपक्ष की नेता ने देश के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिये श्रीनगर में पन्द्रह मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिससे लोगों में अधिक विश्वास जागृत हुआ। इसके बाद रेल संबंधी स्थायी समिति, जिसका मैं सदस्य हूं, सहित कम-से-कम पन्द्रह संसदीय समितियों ने श्रीनगर का दौरा किया। सभी बातें स्पष्ट होने लगी थीं, लोग वहां आने लगे थे, पर्यटक आ रहे थे और वास्तव में वहां विश्वासभरा वातावरण था। मेरे विचार से, भारत सरकार के सुरक्षा प्रबंधन ने इन सब बातों के संबंध में प्रत्येक घटना को बहुत हल्के तौर पर लिया।

पाकिस्तान के विपक्ष के नेता भारत आये हैं; वह आज अभी भी यहां हैं। वे प्रधानमंत्री से, विपक्ष के नेता और देश के अन्य गणमान्य नेताओं से भी मिले थे और उन्होंने शिमला संधि के आधार पर दो देशों के बीच मित्रता, एकता और शान्ति का समर्थन किया था। हम इस संदर्भ में भली-भांति कल्पना कर सकते हैं कि परेशान आतंकवादी तत्वों के पास बहुत से उदेश्य होंगे। इन उद्देश्यों को केन्द्र सरकार को समझना चाहिये था और संयुक्त सुरक्षा कमान को समझना चाहिये था कि उनकी प्रकृति कैसी हो सकती थी। इस बार उन्होंने अमरनाथ तीर्थयात्रियों को नहीं अपितु प्रतिदिन वैष्णो देवी जाने वाले नियमित तीर्थयात्रियो को निशाना बनाया। उन्होंने टी-सीरिज के स्वर्गीय गुलशन कुमार के द्वारा निर्मित लंगर पर हमला किया। यह आश्चर्य की बात है कि वहां पांच मिनट के अन्दर एक के बाद एक दो ग्रेनेट फटे। ऐसा लगता है कि सुरक्षा बलों द्वारा इस सम्पूर्ण व्यवस्था को बहुत हल्के ढंग से लिया गया है।

जब तक सम्पूर्ण रिपोर्ट नहीं मिल जाती है, मैं इस क्षण सम्पूर्ण तथ्यों की मांग नहीं कर सकता हूं। किन्तु हम भारत सरकार की सुरक्षा की अपनी तैयारी के संबंध में वर्तमान प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। मैं श्री एल.के. अडवाणी द्वारा गृह मंत्री का पदभार संभालते ही श्वेत-पत्र और सुरक्षा सतर्कता आदि के संबंध में की गई वचनबद्धता को दोहराना नहीं चाहता।

एकमात्र बात यही है। निश्चित रूप से, जिस समय जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियां लोगों में विश्वास जगा रही थी और दो पड़ोसी देशों के बीच वातावरण सुधरता हुआ लग रहा था, तो भारत सरकार उन केन्द्रों में इन उग्रवादी शिविरों के नष्ट करने का गम्भीर और पूर्ण प्रयास क्यों नहीं कर सकी? यही हमारा प्रश्न है और हमारे लिये यह चौंकाने वाला संदेश है। अत: स्थिति को देखते हुये, यद्यपि हम भारत की केन्द्र सरकार सहित जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ सहयोग करेंगे फिर भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इस बारे में वक्तव्य दें कि धमाका कितना गंभीर प्रकृति का था और जम्मू और कश्मीर में संयुक्त कमान द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी।

एक बार पुन: मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मामले में अपने विचारों को दोहराता हूं और निरअपवाद रूप से हमारी सहज समवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के मुख्य सचेतक ने आपके कथन के बावजूद स्थिति की गम्भीरता को समझे बिना टिप्पणी की कि स्थगन प्रस्ताव मजाक है। यह हमारी संसदीय कार्यवाही का अपमान है। मेरे विचार से उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिये।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, एडजर्नमैंशन मोशन जिस का मैंने जिक्र किया था, वह कल अयोध्या के विषय में था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में है, न कि आयोध्या के बारे में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : एडजर्नमैंट मोशन जिस का मैंने जिक्र किया, उसके बारे में यह कहा इन्होंने मजाक बना दिया। ये हर बार अयोध्या के सवाल को यहां हाउस में लाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। हमारे प्रस्ताव में, 'आयोध्या' शब्द नहीं था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है और वह बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी का यह तरीका बन गया है कि अपनी बात कहने के बाद अगर इधर से कोई अपनी बात कहे तो उसे न कहने देना...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यह विषय जो आपके सामने हैं, बहुत गम्भीर है। कटरा में तीर्थ यात्रियों पर आक्रमण करके जिस ढंग से उनकी हत्या की गई, उस पर सारे देश को गुस्सा है, क्रोध है और मारे गए व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति है। समाचारों के मुताबिक आज सुबह अखनूर में जो घटना हुई और फिदायीन अटैक हुए, उसे देखने के लिए स्वामी चिन्मयानन्द जी वहां गए हैं। सारा देश आतंकवादी घटनाओं की निन्दा करता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है। यहां मुझे उस समय बहुत दुख होता है, जब वहां लोग मारे जाते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त गम्भीर विषय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां 60 हजार के करीब लोग मारे गए हैं और उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। यूनियन गवर्नमैंट को उसके लिए कोसा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है जिस पर यह राजनीति कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जब दासमुंशी जी अपनी बात कर रहे थे तो बीच में यहां से कोई नहीं बोला।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, क्या यह सच नहीं है बार-बार यह कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमैंट ने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमैंट की थी? क्या जम्मू-कश्मीर गवर्नमैंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आतंकवादियों को रोकने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमैंट की थी, हैं और रहेगी।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यूनियन गवर्नमैंट और जम्मू-कश्मीर गवर्नमैंट दोनों को मिल कर इसे रोकने का प्रयास करना है। मुझे यह बात सुन कर बहुत दुख हुआ जब हमारी सेनाओं को कंडैम किया गया। वहां सेना जिस हालात में काम कर रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिये। बहुत हो गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, वह सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, वह सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सहमत नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह कहना कि सुरक्षा बलों ने ध्यान नहीं दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने एंटीसिपेट नहीं किया, ठीक नहीं है। इन्होंने स्वयं इस बात को अभी स्वीकार किया है कि 15 पार्लियामेंटरी कमेटीज वहां गईं। वहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं और यहां आकर वहां के हालात से संतोष प्रकट किया है कि सुधार हो रहा है लेकिन इस समय यूनियन गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह तीर्थ-यात्रियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये थी।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : क्या यूनियन गवर्नमैंट की जिम्मेंदारी नहीं है?

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सहमत नहीं हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक मिनट बैठिये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, ये लोग कुछ भी बोलें, हम कहां तक बर्दाश्त करें। ये लोग गलत बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन से विनती करना चाहता हूं कि यह घटना गम्भीर हुई है और जब ऐसे गम्भीर मामले पर चर्चा की शुरूआत हुई है तो सब एक दूसरे पर आरोप न लगायें तो अच्छा होगा। मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार हैं कि क्या हो रहा है जिसे हम सब लोग जानने के लिये बैठे हुये है। अंत में उस घटना में मारे गये लोगों के लिये संवेदना संदेश भी होगा। इसलिए ऐसे समय में एक-दूसरे पर आपरोप न लगाते हुये हर एक सदस्य अपनी भावनायें व्यक्त करें, ऐसा मैं सोचता हूं कि अच्छा होगा। मेरी विनती पार्टी के सभी नेताओं से भी है कि केवल जो घटना हुई है और मुझे अभी बताया गया है कि ऐसी घटना अभी भी वहीं हो रही है या नहीं मुझे मालूम नहीं कि सचमुच में क्या चल रहा है। इस बारे में मंत्री जी बतायेंगे। मेरी आप सब से विनती है कि ऐसे हालात में सदन में यह रुख न रखें और एक-दूसरे पर आरोप न लगाये क्यों कि यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, सारे सदन को आतंकवादियों की निन्दा करनी चाहिये क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। उनके आका जो अमेरीका में बैठे हुये हैं, उन्हें इस बारे में पाकिस्तान से कहना चाहिये कि ये सब चीजें बंद करे। इन सब बातों के लिये भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिये आप लोगों को न कि ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अब क्या भारत सरकार की तारीफ हो रही है?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हां, आप लोगों को भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिये कि उसने इतने जोर से आतंकवादियों को कुचला है, तभी इतना सुधार हुआ है। भारत सरकार की इस बात के लिये प्रशंसा करनी चाहिये।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : यह भारत सरकार ने नहीं कुचला बल्कि कांग्रेस की कुर्बानियों के कारण हुआ है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिये और आतंकवादियों की निन्दा करनी चाहिये क्योंकि 1989-90 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है, उसमें 60 हजार लोगों की जानें गई हैं और आपके राज में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इसलिये आप सोते रहे और कारगिल की घटना हो गई। हमने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया ...*(व्यवधान)* और आज आप ठेकेदार बन रहे हैं। इस मुल्क को आप कैसे आतंकवादियों से बचायेंगे और देश की रक्षा कैसे करेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, ये क्या बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दें, आप बैठिये।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर सुरक्षा के...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें समझाइये, अभी आपने समझाया था कि आरोप-प्रत्यारोप न करें, उसका असर आप देख रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो आप करना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है, आप अपने-अपने आसन पर बैठिये। यह नहीं हो सकता, मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, कृपया बैठिये। इतनी सीरियसली बोलने के बाद भी आप नहीं समझेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। यदि आप लोग सोचते हैं कि इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए तो मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, अथवा मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा और किसी को भी बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे।... *(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहां पर एक टोटल कमांड है। उस कमांड में केन्द्र सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार और सेना सब मिलकर वहां काम कर रहे हैं। परंतु इसे राजनीति का अखाड़ा न बनायें। क्या मैं इनसे रिक्वैस्ट करूं कि वहां पर आतंकवादियों को छोड़ने में थोड़ी सावधानी बरतें। वहां लगातार आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है...*(व्यवधान)* वहां पर आतंकवादियों के जो आउटफिट्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा नजर रखें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर सैन्टैन्स पर यह नहीं हो सकता, हर वाक्य के बाद आप उनसे पूछेंगे तो कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. मल्होत्रा, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूं। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सारे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हम चाहते हैं कि माननीय उपप्रधान मंत्री यह स्पष्ट करें कि भारत सरकार ने आतंकवादियों के प्रति इस उदार नीति का समर्थन किया था या नहीं...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री और डा. मल्होत्रा अलग-अलग भाषा बोलें।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कहना चाहता हूं कि वहां तीर्थयात्रियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी कांग्रेस पार्टी सहित सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए और...

[अनुवाद]

उन्हें पाकिस्तान को लक्ष्य बनाना चाहिए न कि भारत सरकार को।

[हिन्दी]

यही मैं उनसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कटरा में रात्रि में आतंकवादियों द्वारा वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों पर हुए हमले की हम निन्दा करते हैं और जो दर्शनार्थी मारे गए हैं तथा घायल हुए हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है और जो हत्याएं तथा हमला करने वाले लोग हैं उनकी हम घोर निन्दा करते हैं। सदन में जो आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं, यह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा जब भी आतंकवादियों का हमला हुआ है और आपने और प्रधान मंत्री जी ने जब भी विपक्ष को बुलाया है, तब विपक्ष ने हमेशा सहयोग किया है। चाहे पहलगाम में अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर हमला हो, संसद तथा कश्मीर विधान सभा का हमला हो या अक्षरधाम मन्दिर पर हमले की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, पूरे विपक्ष तथा समाजवादी पार्टी ने हमेशा सरकार का साथ दिया है।

जहां तक यह सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पर डाली जाए, यह गलत है। यह अपनी जिम्मेदारी से भागना है। इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है और केन्द्र सरकार को वहां और ज्यादा सावधान इसलिए होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है और जब शांति के प्रयास किये जाते हैं तब ये हमले और जोरदार होते हैं। इस बात की केन्द्र सरकार को पहले से जानकारी है और राज्य सरकार को भी जानकारी है। अभी वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों पर जो हमला हुआ है, इसकी चर्चा बहुत दिनों से लगातार चल रही थी और समझते हैं कि वहां सुरक्षा बल सावधान भी थे। लेकिन जिस तरीके से वहां लंगर होता है, वहां हमें भी जाने का मौका मिला है, ऐसे अवसर पर असावधानी स्वाभाविक है। लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हल किया जाए, यह आपके स्तर की बात है, हमने हमेशा आपका समर्थन और सहयोग किया है।

जहां तक आप लोग बोलते हैं कि कौन किसका आका है। नम्बरदार अमरीका है, मल्होत्रा साहब यह आपको सोचना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को नहीं सोचना पड़ेगा। कौन किसका आका बना बैठा है, यह आप जानते हैं। हम इस संबंध में राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम एक नहीं, ऐसे बहुत से प्रमाण दे सकते हैं जिससे स्पष्ट है कि

वह किसका आका है। वह समाजवादी पार्टी का आका नहीं है और न कभी रहा है। हम जानते हैं, हमने उसका विरोध किया है तो उसका राजनीतिक दृष्टि से हमने कितना नुकसान उठाया है और उसी आका की बदौलत नुकसान उठा रहे हैं। उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन आज इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हम राजनीति नहीं करते, मल्होत्रा साहब, आप राजनीति करते हैं।

आज हम उप प्रधान मंत्री से पूछना चाहेंगे कि आपने पूरे देश में जोर-शोर से कहा कि हम दो मुद्दों पर ही वोट मांगेंगे—सुरक्षा और विकास। सुरक्षा के संबंध में आतंकवादियों को रोकने का प्रयास किया गया है तो उसमें हम लोगों का योगदान भी कम नहीं है। हम लोगों ने जोखिम कम नहीं उठाया है। सुरक्षा आप्र कितनी पुख्ता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वह अलग बात है, लेकिल फिर भी थोड़ी-बहुत कर रहे हैं। हमारी भी जांच पड़ताल होती है। हमने कहा था कि यह सबसे बढ़िया मौका है कि प्रशिक्षण कैम्पों पर हमला का दो जब पहलगांव की घटना हुई थी। मुझे याद है, प्रियरंजन दास जी बहुत गंभीर थे और हमसे न्यूयार्क में कहा था कि मुलायम सिंह जी, अब आपकी अपनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया। देश के मामले में हम कभी किसी से समझौता नहीं कर सकते चाहे राजनीति में कितना ही नुकसान हो, लेकिन देश पहले है। देश रहेगा तभी राजनीति हो पाएगी। इसलिए आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे कमी खुफिया विभाग की तरफ से हो, वह उप प्रधान मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं। वे बताएंगे कि कहां कमी रह गई। कमी रही तो कैसे पूरी की जाएगी, लेकिन आज यह जरूर कहना चाहेंगे कि पूरा हिन्दुस्तान दहशत में है। बस में बैठने पर भी दहशत है, रेलगाड़ी में बैठने पर भी दहशत है, जहाज में बैठने पर भी दहशत है, तीर्थ यात्रा करने में भी दहशत है जिसमें कभी दहशत नहीं होती थी। उप प्रधान मंत्री जी बताएंगे कि सुरक्षा का कितना कड़ा प्रबंध किया है और आप सुरक्षा के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, विकास के नाम पर राजनीति करने जा रहे हैं। विकास कितना हुआ है, वह हम जानते हैं कि कितना विकास गांव-गांव में हुआ है। विदेशी विनिवेश से कितना फायदा किसको पहुंचा है, पूरा सदन जानता है। उस पर अलग चर्चा होगी। लेकिन इस समय हमें कहना है कि हमारी तरफ से और हमारे साथी सोमनाथ चटर्जी की तरफ से आतंकवादियों का सफाया करने में हमारा पूरा साथ है। आप जो कदम उठाना चाहें, उठाएं। लेकिन तीर्थ यात्री भी सुरक्षित नहीं हैं। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा सुरक्षित नहीं हैं, अमरनाथ यात्रा सुरक्षित नहीं हैं, गुजरात के मंदिर में पूजा करेंगे तो सुरक्षित नहीं हैं। फौजी छावनी भी सुरक्षित नहीं है। आपको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस संबंध में राजनीति नहीं होगी और न हम करना चाहते हैं। उप प्रधान मंत्री जी जो घोषणा करना चाहें कि हम सुरक्षा के मामले में क्या करना चाहते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे लेकिन सच्चाई को देश के सामने रखना चाहिए। आप हिन्दुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। आपने कहा कि पूरे देश का विकास हमने पांच साल में कर डाला है और सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया। लेकिन आपकी कलई देश के सामने खुल गई। गलती चाहे आपकी तरफ से हुई या राज्य सरकार की तरफ से हुई, यह दोनों की जिम्मेदारी है। हमारा सहयोग देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा रहा है तथा रहेगा आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में कोई कदम उठाएगी तो हम आपके साथ हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाएंगे तो उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन जो जोर-शोर से आप देश को गुमराह कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। हमें अफसोस है कि तीर्थ यात्री क्या सोचकर गए थे, किस आस्था से गए थे, क्या मनौती लेकर गए थे, आज वह अपने परिवार में वापस नहीं लौट सके, इसके लिए हमें अफसोस है। हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और इस हमले की घोर निन्दा करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं कल जम्मू में हुई उस घटना की कड़ी निन्दा करता हूं जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई। हमें यह भी बताया गया कि अखनूर में कुछ गंभीर घटनाएं हुई हैं जिसमें सुरक्षा बलों के कुछ जवान मारे गए हैं। हम इन घटनाओं को मानवता के विरुद्ध अपराध मानते हैं। हम इन घटनाओं की कड़ी निन्दा करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

महोदय, आज जब सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर था। सुबह विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक हुई थी और पहला निर्णय जो हमने लिया वह यह था कि हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि हमें इस मुद्दे को सभा में उठाने की अनुमति दी जाए ताकि हम संवेदना व्यक्त कर सकें, इस घटना की निन्दा कर सकें और वहां की मौजूदा स्थिति पर गहरी वेदना प्रकट कर सकें।

महोदय, पिछले महीने ही, स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मुझे कश्मीर घाटी जाने का मौका मिला।

वहां मैंने देखा कि कई वर्षों के बाद काफी चहल-पहल थी। यह एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था। श्रीनगर पूर्णतया सामान्य नजर आ रहा था। हम आसपास के क्षेत्रों में गए। कई स्थायी समितियों ने वहां का दौरा किया। प्रधानमंत्री के दौरे का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। हर किसी ने उनके शांति प्रयासों का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ की गई बैठक का भी जोरदार असर पड़ा। लोगों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता यहां आ सकते हैं और घूम सकते हैं तो पर्यटक यहां क्यों नहीं आना शुरू कर सकते हैं? हमें बताया गया कि होटल में एक भी कमरा खाली नहीं था और एक भी हाउसबोट खाली नहीं थी। हम बहुत प्रसन्न हुए। हम भी वहां पर घूमे। समिति के सदस्य गुलमर्ग, पहलगांव और सभी जगह गए। अब सामान्यीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ऐसे आक्रमण किए जा रहे हैं। मैंने वहां के अपने दौरे के बाद श्री आडवाणी को इस बारे में लिखा। यह बहुत अच्छी बात थी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि आगे ऐसी कोई घटना घटित न हो।

हम आशा करते हैं कि अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर कोई हमला नहीं होगा। हम समझते हैं कि अमरनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। संभवत: यह भावना है कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं, जहां कि हर वर्ष कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। वैष्णो देवी में सुरक्षा प्रदान करने में थोड़ी ढिलाई बरती गई और आतंकवादियों ने इसका लाभ उठाया।

हम जानते हैं कि आतंकवादी हताश हैं। उनमें घोर निराशा भी व्याप्त है। जैसा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने ठीक ही दोहराया है कि जब भी आतंकवाद के मुकाबले से संबंधित कोई अवसर आया है तो विपक्ष ने सरकार के हरेक प्रस्ताव का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। यहां तक कि हमने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई रोके जाने का भी समर्थन किया। उन्होंने स्थिति में सुधार लाने की बात कही और हमने उसका समर्थन किया। यह सरकार का काम है। हम इसे नहीं कर सकते। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि सरकार के प्रयास कमजोर हों।

मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण अवसर को बेकार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अनावश्यक और भड़काने वाले वक्तव्य दिए गए हैं। डा. मल्होत्रा बहुत अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : उनसे भी पूछिए। उन्होंने शुरू किया, मैंने नहीं...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। वे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो कि राजग का एक प्रमुख घटक है। अनावश्यक भड़काने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुझे भी निन्दा करनी चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार, सुरक्षा बल केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं। उन्होंने इसका स्मरण कराया। यह अनुक्रिया अपेक्षित नहीं थी। हमने इस पर पूर्ण रूप से चर्चा नहीं की है। मेरे मित्र डा. मल्होत्रा अपने आपको रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने संक्षिप्त हस्तक्षेप के दौरान कई अन्य चीजों का सन्दर्भ दिया। इसकी क्या आवश्यकता थी? हमें इस सभा में इस प्रकार के घृणित आक्रमणों की पूरी गंभीरता से निन्दा करनी चाहिए ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। आज हम सभा से यह संदेश जाना चाहिए कि यहां हम लोग पूर्णत: एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं श्री आडवाणी से अनुरोध कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि वे इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र सरकार की मुख्य भूमिका है। नि:सन्देह राज्य सरकार भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती क्योंकि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। परंतु यह भी एक चिन्ता का विषय है कि जम्मू-कश्मीर सरकार के माननीय जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई बरती गई थी। यह राज्य सरकार के एक मंत्री का विचार है।

इस मामले में क्या केन्द्र सरकार कृपया यह स्पष्ट करेगी कि ऐसा क्यों हुआ? श्री आडवाणी यहां हैं। वे देश को और हमें इस बारे में बताने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। यद्यपि हमने इस बारे में पूरी चर्चा नहीं की है, देश को यह विश्वास दिला दें और यह आश्वासन दें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जायेंगे। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं।

मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस मामले में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए।

केन्द्र सरकार भी आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है। इस प्रकार की धारणा नहीं बनानी चाहिए कि केन्द्र सरकार ही कदम उठा रही है और राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसी बात नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी एक बैठक हुई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरान के बाद स्थिति सामान्य किए जाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा–"हम लोग पूरी तरह एक-साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करेंगे।" दो सरकारों के बीच अलगाव पैदा करके राजनीति लाभ उठाए जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसलिए मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं श्री मल्होत्रा की घुड़कियों की उपेक्षा करता हूं–हम दूसरे तरीके से कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। हम इन घटनाओं की कड़ी निन्दा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें। वे बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, अपनी तेलगूदेशम पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं इन हाल ही की घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी पार्टी इन घटनाओं की कड़ी निन्दा करती है। यह एक-दूसरे की आलोचना करने का समय नहीं है। हमें राज्य सरकार को और भारत सरकार को सुदृढ़ करना है। दोनों सरकारें एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से प्रयास करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हों।

पूरा देश खुश है कि वहां पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दौरा किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी नियंत्रण-रेखा का दौरा किया। इससे देश के लोगों को नैतिक बल मिला। पिछले कई वर्षों से बहुत कम लोगों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। इस परिदृश्य में यह घटना देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। तीर्थयात्रियों का उस स्थान की यात्रा करने के संबंध में दुबारा से विचार करना पड़ेगा।

मेरी पार्टी केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और मेरी पार्टी दोनों सरकारों को अपना पूर्ण सहयोग देगी। आतंकवाद का मुकाबला किए जाने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें बहुत दृढ़ता से कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, कटरा में जो घटना हुई है, उसके लिए हमारे ख्याल में पूरी संसद शोकाकुल है और हम उन्हें अपनी संवेदनाएं देते हैं। कटरा एक ऐसा स्थान है जहां कि यात्री लोग आकर अपने वाहन से उतरते हैं। वहां वे कुछ समय ठहरते हैं, कुछ खाना-पीना खाते हैं और उसके बाद पैदल जाते हैं तथा वहां से थके हुए आने के बाद फिर वहां कुछ समय व्यतीत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, वहां ज्यादातर लोग गए हुए हैं। वहां कई बार 2000 से लेकर एक-डेढ़ लाख तक यात्रियों की संख्या हो जाती है। यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है। वहां जो यात्री आते हैं, वे अपने साथ सामान-झोला आदि लाते हैं। वे लंगर में झोला लेकर जाते हैं, इसलिए वहां की सुरक्षा कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारा अनुभव यह है कि सुरक्षा पर्याप्त है। वहां और सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। वहां सुरक्षा का इंतजाम काफी सख्त एवं कड़ा है, केवल वहीं नहीं, वहां से लेकर दर्शन करने के स्थान तक जो यात्री हैं, वहां तक सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, लेकिन इसमें अगर कोई परफेक्शन की संभावनाएं चाहे तो वह थोड़ी मुश्किल है। यह एक ऐसा हादसा हुआ है, जिसके बारे में जितनी भी निन्दा की जाए, उतनी कम है। लेकिन यह बात भी सही है और यह बात भी हमारे ख्याल में संसद पूरे तौर पर मानती है कि आज जो जम्मू-काश्मीर में वातावरण है, जिस हिसाब से एक भी शिकारा वहां खाली नहीं है, होटल में एक भी जगह खाली नहीं होती है, अमरनाथ के यात्री बहुत संख्या में वहां जा रहे हैं। ऐसा एक वातावरण पैदा हुआ है, जिससे लोगों के दिल में एक तरह से साहस हुआ है कि अब काश्मीर में हमारे हालात सामान्य हो रहे हैं।

ऐसी हालत में यह स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाएं आतंकवादी करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं हों। हमें सुरक्षा बलों को जितना भी सतर्क करना चाहिए, किया जाये।

हमारे ख्याल से मुलायम सिंह जी ने और हमारे भाई साहब ने जो बात कही है, उससे हम लोग पूरी तौर से सहमत हैं कि जितना भी कुछ किया जाये, उतना कम होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे-जैसे जम्मू-कश्मीर का वातावरण अच्छा बन रहा है, लोगों के दिलों में विश्वास पैदा हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि यहां पर लूज बातें करने से हम लोग एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर दें, जिससे लोग यह समझें कि कश्मीर की हालत अच्छी नहीं हो रही है, और खराब होती जा रही है। पूरी संसद इस बात को मानती है, चाहे हम कुछ कहें, आप कुछ कहें, वह एक अलग बात है। लेकिन जनता क्या कह रही है, जनता यह कह रही है कि कश्मीर में आज सुरक्षा बहुत अच्छी है, मैं वहां पर जाऊंगा। लोग वहां घूमने जा रहे हैं, लोग शिकारे में जा

रहे हैं, आम लोग यह कह रहे हैं, इसलिए आप और हम कुछ कहें, वह अलग बात है। जनता आज यह समझ रही है कि वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहां से कोई ऐसी बात वहां न जाये, जिससे लगे कि वातावरण उतना अच्छा नहीं है।

हमारे ख्याल से संसद एकमत होकर इस बात का पूरे तौर पर समर्थन करे कि हम आतंकवाद से लड़ाई में पूरी तरह से सक्षम हैं, कटिबद्ध भी हैं और सफलता भी प्राप्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष जी, माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु मारे गये हैं, उनके बारे में शिवसेना की श्रद्धांजलि अर्पित करके जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान में आतंकवाद बढ़ाया है, जो पाकिस्तान के मार्फत पूरे हिन्दुस्तान में आतंकवाद चल रहा है, उसकी कड़ी निन्दा करते हैं।

जिस समय यहां प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य पाकिस्तान के साथ सहयोग करने का ऑल पार्टी मीटिंग के समय हो रहा था, उस समय मैंने शिवसेना की भूमिका रखी थी। शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी और शिवसेना ने पाकिस्तान के साथ सहयोग करने का कड़ा विरोध किया था। मैं यह कहूंगा कि मैं हाल ही में 18 तारीख को अमरनाथ जी के दर्शन करके आया। मैं केन्द्र सरकार के बारे में यही कहूंगा कि हमारे जो भी केन्द्रीय सुरक्षा बल हैं, उनके कारण जिन 3500 यात्रियों को अमरनाथ जी के दर्शन करने की परमीशन मिली है, लेकिन उनकी जगह 16,500 लोग यात्रा में जा रहे हैं, स्थिति वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन फिर भी केन्द्रीय सुरक्षा बलों के कारण यात्रा सेफ हो रही है।

मैं हाल ही में 2-3 दिन जम्मू-कश्मीर में भी घूमा हूं। वहां की सरकारी पार्टी के एक विधायक मुझे मिले थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा उन्होंने उसी दिन सरकार से सपोर्ट वापस लेने की बात की थी। मैंने उनसे कहा कि आज यहां तनावग्रस्त वातावरण नहीं दिख रहा है, यहां बड़ी शान्ति दिख रही है, क्या बात है? वे बोले कि यह जो शान्ति है, यह बनावटी शान्ति है और ये सारी बातें यहां के राजनीतिज्ञों के लिए हैं और हम लोग आतंकवाद के विरोध में हमेशा से लड़ते आ रहे हैं।

मां वैष्णोदेवी के हिन्दू यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ, सारा देश इसकी निन्दा करता है, लेकिन हम लोग कब तक अमरनाथ यात्रियों, वैष्णोदेवी यात्रियों और अक्षरधाम पर हमले सहन करते रहेंगे? शिवसेना इसका इसलिए विरोध करती है कि इससे पहले भी जब अमरनाथ यात्रियों पर 1992-93 में हमला हुआ था तो उस समय भी माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने यह कहा था कि अगर यह यात्रा बन्द करने की कोशिश की तो हम हज यात्रा नहीं होने देंगे। उसी कारण से आज वहां सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इसीलिए अमरनाथ यात्रा ठीक से चल रही है। हमले के बावजूद भी वहां कुछ लोग जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में लोग अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं या मां वैष्णोदेवी की यात्रा करने जाते हैं, उनका जम्मू-कश्मीर की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। वहां केन्द्रीय सुरक्षा बल, फिर चाहे आर्मी हो, मिलिट्री हो, बी.एस.एफ. हो, सी.आर.पी.एफ. हो, इनके कारण से आज हमारे हिन्दू यात्री सुरक्षित हैं।

इस घटना की कड़ी निन्दा करते हुए मैं शिवसेना के माध्यम से यह कहूंगा और यह विनती करूंगा, आदरणीय आडवाणी जी यहां बैठे हैं, कि पाकिस्तान के भरोसे हम लोग प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं।

मैंने उसी दिन बोला था कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैलाना चाहता है। अगर ऐसा माहौल रहा तो लाहौर बस में भी कभी न कभी ऐसा हादसा हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र के भी कई यात्री वहां गये थे। जब मैंने सुना कि वहां ऐसा हुआ है तो मैंने इमीजिएट फोन करके पूछा कि वे कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हम उस जगह के नजदीक ही थे। ज्यादातर यात्री लंगर खाने के लिए रुकते हैं। एक बार अमरनाथ यात्रा में भी आतंकवादियों ने लंगर खाते हुए यात्रियों पर हमला किया था। जब वहां की सारी सिचुएशन स्टेट गवर्नमैंट के हाथ में है तो वहां की पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए राज्य शासन की पुलिस जिम्मेदार है। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से कहूंगा कि जब तक सैंट्रल गवर्नमैंट का जम्मू-कश्मीर पर पूर्ण कंट्रोल नहीं होगा तब तक वहां शांति स्थापित नहीं होगी। वहां आपको आतंकवादियों का सफाया करना चाहिए और उनकी गोली का जवाब अपनी गोली से देना चाहिए, ऐसी भूमिका शिव सेना की है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : जनाब स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस वाकेया की पूरी निंदा करता हूं लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह वाकया कोई पहला वाकया नहीं है। मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि टैरेरिज्म के इस तरह के वाकयात इस मुल्क के अंदर थोड़े-थोड़े वक्त के बाद होते रहते हैं और हम इस हाउस में उसका कंडम करते रहते हैं। एक दूसरे पर इल्जाम-दर-इल्जाम लगाते रहते हैं लेकिन मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि जिस खानदान के लोग

मारे गये, आडवाणी साहब, वे किसके आगे हाथ फैलाने के लिए जायें, किससे शिकायत करें। उन मासूम बच्चों का कौन जिम्मेदार होगा जो पीछे रह गये हैं। आप कहेंगे कि स्टेट गवर्नमैंट के पास जायें और स्टेट गवर्नमैंट कहेगी कि सैंट्रल गवर्नमैंट के पास जायें। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जिन लोगों के हाथों में सरकार है, वे यकीनन इन तमाम बातों के लिए जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : रामदास आठवले जी, आप मजाक मत करिये।...*(व्यवधान)* सीरियस मामले में भी आपको मजाक सूझता है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : इसमें क्या मजाक है? जब तक ये लोग सत्ता में हैं तब तक ऐसा ही होगा।...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : जिन लोगों के हाथों में सरकार है, वे यकीनन इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने अभी तक इस बात की कोई कोशिश नहीं की कि स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट के अंदर कम से कम टैरोरिज्म के मामले में कोई को-आर्डिनेशन कमेटी बने जिसके अध्यक्ष श्री आडवाणी जी हों। वे देखें कि कहां पर खतरा है और कैसे उससे निपटा जा सकता है। हमारी गवर्नमैंट के नैशनल एडवाइजर श्री ब्रिजेश मिश्रा का स्टेटमैंट मुझे याद है। जब वे अमरीका गये थे तब उन्होंने कहा था कि टैरोरिज्म से लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल, अमरीका और हिन्दुस्तान को इकट्ठा होना चाहिए। अफसोस की बात है कि लोग हमारे मारे जा रहे हैं और तवक्को इजराइल से करेंगे कि वह आकर हमारे टैरोरिज्म को खत्म करेगा। वह अमरीका जो टैरोरिज्म को दिन-रात दुगुनी तरक्की दे रहा है, उससे हम उम्मीद करें कि वह टैरोरिज्म को खत्म करेगा। वह अमरीका जो पाकिस्तान को दो बिलियन डालर दे रहा है, उससे हम तवक्को करेंगे कि वह हिन्दुस्तान के टैरोरिज्म को खत्म करेगा। यह मौका कोई तफसीली गुफ्त-गू का नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह बहुत संजीदा मसला है और इस मसले पर तमाम सरकारों को चाहे वह स्टेट गवर्नमैंट हो या सैंट्रल गवर्नमैंट हो, उसे संजीदगी के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं इस वाक्य की निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : 45 मिनट से इस विषय पर चर्चा चल रही है। मंत्री जी इस पर निवेदन करेंगे तो उससे सबको मालूम हो जायेगा। मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, भाजपा के दो सदस्यों ने अपनी बात कह दी है। मुझे बस दो मिनट का समय दें। ...*(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : हम जम्मू-कश्मीर से संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। हमें बोलने की अनुमति दी जाए।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल का नोटिस है, इसलिए मैं उनको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक : हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री उमर अब्दुल्ला बोलना चाहते हैं। उन्हें बोलने की अनुमति दी जाए... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री उमर अब्दुल्ला यहां उपस्थित हैं। वे भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहने की इजाजत होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونناني): جناب اسپیکر صاحب، مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہونی چاہئے۔...(مداخلت)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक, दो-दो मिनट ही बोलना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, हमें भी अपनी पार्टी की तरफ से बोलने की इजाजत दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, बाण गंगा में तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला जिसमें सात तीर्थयात्री मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए और बाद में अखनूर के सैन्य शिविर पर हमला जो अभी चल रहा है इस सच्चाई का एक और क्रूर प्रमाण है, इस कठोर वास्तविकता का एक क्रूर अनुस्मारक है कि आतंकवादी अभी भी इच्छानुसार अपने लक्ष्यों और कार्रवाई करने का समय चुनने की क्षमता रखते हैं।

जबकि मैं ऐसा कह रहा हूं, मुझे सर्वप्रथम उन तीर्थ यात्रियों को जिन्होंने अपनी जानें गवाई हैं श्रद्धांजलि देनी चाहिए और साथ ही मैं उन जम्मू और कश्मीर के लोगों की जिन्होंने चुनाव में भाग लेने के लिए बंदूकों का सामना किया और उन सेना के जवानों की जो वहां एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं सच्ची प्रशंसा करता हूं। परंतु, मैंने पाया कि हम सबके लिए वस्तुत: चिंता का कारण यह है कि कटरा के आसपास कुछ आतंकवादी गतिविधियों के बारे में आसूचना रिपोर्टें मिली थी कि अमरनाथ के अलावा वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों पर हमला हो सकता है।

गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने हाल ही में उस क्षेत्र का दौरा किया। मेरे विचार से उन्हें संभावित आतंकवादी हमले की सूचना दी गई थी। इसलिए हमारे लिए जो चिंता का विषय है वह यह कि जब भी सरकार शांति वार्ता की कुछ पहल करती है, उसके बाद शायद वह फिर से चुपचाप बैठ जाती है। सरकार यह भूल जाती है कि शांति प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने तथा उसे भंग करने हेतु ऐसी घटनाएं अवश्य घटेंगी। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि जब भी आप शांति की पहल करते हैं, आप यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऐसे अनेक लोग हो सकते हैं जो दो देशों के बीच शांति नहीं चाहते हों, जो नहीं चाहते कि भारत समृद्ध हो। वे शांति प्रक्रिया को भंग करने के मौके तलाशते हैं और इस संबंध में वास्तव में क्या किया गया है?

मैं माननीय मल्होत्राजी से सहमत हूं कि यह मौका आरोप लगाने का नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया। परंतु सच को जाने बगैर कि हमारे क्या विचार हैं और सभा में क्या चल रहा है, हमारे बारे में बहुत गलत टिप्पणी की गयी और इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि हमें इस मामले में पूर्वकल्पित सनकी मतों वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमारे सामने आ रही इस परिस्थिति में और विगत में हमारे लोगों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की निश्चित संभावना है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कटरा में एक ही घटना नहीं घटी परंतु उसके बाद सेना कैंप पर हमला किया गया जो अभी भी जारी है। यह चिंता की बात है। इससे पता चलता है कि इन सभी हमलों के पीछे एक योजना है जो पूर्वनियोजित है। और इसी के बारे में हम चाहते हैं कि सरकार हमें बताए हमें विश्वास में ले कि क्या उपाय किए जा रहे हैं और क्या आपको ऐसी किसी संभावना के बारे में जानकारी थी।

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर) : मेरे दल, जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस की ओर से मैं दोनों घटनाओं, जम्मू में माता वैष्णोदेवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और साथ ही अखनूर में सेना के कैंप पर हुए हमले, जो अभी भी जारी हैं की निंदा करता हूं। यदि मेरी जानकारी सही है तो हमारे सुरक्षा बलों के करीब चार जवान मारे गये हैं और कई घायल हुए हैं।

माननीय, अध्यक्ष महोदय, इस मौके का उपयोग केवल एक ही उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिए और वह यह कि इन घटनाओं की निंदा, मृतक के परिवारों के साथ सहानुभूति और देश और विदेश को यह दिखाने के लिए किया जाए कि हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए एकजुट हैं। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस बात पर अपना पुरजोर विरोध दर्शाता हूं कि दुर्भाग्य से इस अवसर का उपयोग सभा में दोनों ओर से एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और इस तरह का बर्ताव करने के लिए किया गया कि इसके लिए एक ही पक्ष जिम्मेदार है दूसरा नहीं।

कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ महीनों पूर्व यह सब बहुत आसान था क्योंकि नेशनल कांफ्रेन्स राज्य में सत्ता में थी और दिल्ली में वह राजग का एक घटक दल थी, इसलिए जम्मू और कश्मीर में घट रही घटनाओं के लिए केन्द्र और राज्य दोनों जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से आज स्थिति वैसी नहीं है। जहां तक जम्मू और कश्मीर में सत्तारूढ़ सरकार की बात है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार की अकेली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और इसलिए वह जम्मू-कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मामले की सच्चाई यह है कि केन्द्र और राज्य दोनों ही इस निष्क्रियता के दोषी हैं। इसे और किसी भी अन्य तरीके से नहीं समझाया जा सकता।

माननीय, अध्यक्ष महोदय यह स्थिति नई नहीं है। यह पहली बार नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल होती दिख रही है। मैं आपको वर्ष 1999 में ले जाना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री

ने ऐतिहासिक लाहौर यात्रा की थी। शांति प्रक्रिया अभी शुरू ही हो रही थी। जम्मू और कश्मीर में भी सामान्य स्थिति बहाल होने के संकेत दिखाई देने आरंभ हो गये थे। जी हां, हमारे यहां 15 संसदीय समितियां नहीं हैं। जी हां, हमारे यहां कांग्रेसी मुख्य मंत्री दौरे पर नहीं आ रहे थे। जी हां, हमारे यहां भारत के प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति दौरे पर नहीं आ रहे थे। परंतु जम्मू और कश्मीर में पर्यटक वापस आने शुरू हो गये थे। हाउसबोट भरे हुए थे; शिकारे भरे हुए थे; और आशा की भावना पनप रही थी। पहले इस प्रकार की भावना थी कि परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, परंतु क्या हुआ? हम आत्म संतुष्ट हो गये। हमने यह महसूस करना आरंभ कर दिया था कि संपूर्ण स्थिति सुधर गयी थी और हमनें कारगिल की स्थिति का सामना किया।

पिछले कुछ महीनों से मेरी पार्टी और मैं बार-बार केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों से कह रहा हूं कि, 'देखिए यह सुरक्षा का झूठा अहसास भर है। कृपया ये बात ध्यान में रखिए कि आतंकवादी अभी गये ही नहीं। आतंकवादियों ने अभी घाटी छोड़ी नहीं है। वे परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं वे अपनी मर्जी से हमला करेंगे।' उन्होंने नदीमर्ग में हमला किया; उन्होंने सुन्जवान में आतंकी कार्रवाई की; और अब दुर्भाग्य से उन्होंने कटरा और अखनूर में हमला किया है। उनका हमला करने का यही तरीका है। अब आतंकवादी कश्मीर में कम और जम्मू में ज्यादा हमले कर रहे हैं?

हमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पुन: एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में केन्द्र और राज्य सरकारों की बराबर की भूमिका है। आज संसद में विपक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि केवल केन्द्र सरकार को ही दोष दे। सच्चाई तो यह है कि जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा एकीकृत कमान के अधीन है। एकीकृत कमान की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के पास पद्रहवीं और सोलहवीं दोनों सैनिक टुकड़ी के जीओसी सुरक्षा मामलों में परामर्श देने के लिए हैं। इसलिए, यदि मुख्यमंत्री या उनके अन्य मंत्रियों को लगता है कि सुरक्षा खतरे में है तो यह मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह एकीकृत कमान में अपने जनरलों के साथ यह मामला उठाए और यदि आवश्यक हुआ तो इसे केन्द्र सरकार के ध्यानार्थ भी लाए।

नदीमर्ग की घटना के बाद, यह शिकायतें आयी थी कि केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय प्रभावित हुआ है, यदि मेरी जानकारी दुरूस्त है तो एक विशेष समिति गठित की गयी है। समिति में राज्य सरकार के अनेक अधिकारी हैं, समिति की अध्यक्षता विशेष सचिव (गृह) द्वारा की जाती है। इस समिति का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा के मामलों पर, एकसमान कार्रवाई की जा सके। मैं माननीय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय उपप्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह समन्वय यह सुनिश्चित करना जारी रखें कि यह एकीकृत कमान जैसा कार्य कर रहा है वैसा ही करता रहे अन्यथा जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए। यदि केन्द्र और राज्य दोनों यह महसूस करते हैं कि समन्वय का अभाव है तो दूसरा अन्य विकल्प केवल राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत विकल्प ही है जहां उन्होंने ऐकीकृत कमान के बजाय एक एकीकृत मुख्यालय का प्रस्ताव रखा है।

अन्तत: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सभा के दोनों पक्षों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वक्तव्यों के साथ थोड़े सावधान रहें। दुर्भाग्य से इस सबका परिणाम और कुछ नहीं होता है परंतु इससे जम्मू-कश्मीर में पुन: गड़बड़ी हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि क्या उनको दु:खों के लिए कोई मरहम है और क्या उनके इस दु:ख पर मरहम लगाने में देश का भी योगदान प्राप्त है। अब हम इस अजीब स्थिति में हैं, जहां प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर का दौरा करते हैं और जनता के दु:खों को दूर करने के लिए अपना समर्थन देते हैं और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता और मुख्य सचेतक आते हैं जो दु:खों को दूर करने के लिए किए गये उपायों की आलोचना करते हैं। यह अलग बात है कि मेरी पार्टी का अलग मत हो सकता है कि इस दु:खों को दूर करने का कुछ अर्थ है या नहीं परंतु दु:खों को दूर करने जैसी कोई बात है। अब हम इसे स्वीकार करें या अस्वीकार। यदि हम इसे अस्वीकार करते हैं तो हम इसे एक स्वर में अस्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को भी इसे अस्वीकार करने दीजिए। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जहां प्रधानमंत्री इसका समर्थन करते हों और उनके प्रवक्ता इसे खारिज करते हों क्योंकि इन सबका परिणाम यह होगा कि जम्मू और कश्मीर में और अधिक भ्रान्तियां फैलेंगी। इससे स्थिति को सुधारने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

आतंकवाद के प्रश्न पर मेरी पार्टी की ओर से और जम्मू और कश्मीर की जनता की ओर से मैं विनम्रता से इस संसद से केवल एकजुटता का निवेदन करना चाहता हूं। इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि आतंकवाद से लड़ना ही होगा। इससे अन्दर और बाहर दोनों ओर से लड़ना होगा। इससे मानवता के आधार पर भी लड़ना होगा; इससे राज्य के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर लड़ना होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमें एक स्वर में इस घटना की निंदा करनी चाहिए। हमें मृतकों के परिवारों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं दुबारा न घटें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटरा में जो अभी घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा हो, वह कम होगी। वैसे यह आतंकवाद की घटना पहली बार नहीं हुई है, इस देश में बार-बार आतंकवाद की घटनाएं घटती रही हैं। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत रही है कि आतंकवाद पर काबू पाया जाए। इसमें सच्चाई भी है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं पर नियंत्रण पाया गया है। कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता वाली कमेटी कश्मीर गई थी, जिसमें मैं भी था। हमारी वहां कई लोगों से बात हुई। वहां की स्थिति भी हमने देखी। आम लोग बाजार में रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जार्ज फर्नांडीज साहब हैलीकॉप्टर से वहां गए थे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह भी बताऊंगा। वहां कोई कठिनाई है, लोग अमन-चैन से हैं। हम लोग भी अमरनाथ यात्रा पर गए थे। वहां एक दिन में 3000-3500 लोगों के दर्शन करने की सरकार की योजना है, लेकिन 10,000 से भी ज्यादा लोग वहां प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। वहां पर सेना के जवान, सी.आर.पी.एफ. के जवान, बी.एस.एफ. के जवान और राज्य की पुलिस भी अपने-अपने तरीके से पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। वैष्णो देवी के यात्रा के मार्ग में भी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था है। लेकिन एक बात जो हमने वहां महसूस की, सेना के लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब साधु जमात के लोग यात्रा पर जाते हैं तो उनकी जांच-पड़ताल की बात उठती है, तो ये लोग रिएक्ट करते हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि साधू जमात की जितनी जांच होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। इसी तरह से वहां रास्ते में महिला पुलिस भी न के बराबर है। जब महिलाएं दर्शन के लिए जाती हैं तो उनकी भी सही ढंग से जांच नहीं हो पाती है। सेना के अधिकारियों का कहना था कि जब ये घटनाएं घटती हैं तो प्राय देखा गया है कि आतंकवादी साधु या महिलाओं के वेश में सामान छिपाकर आते हैं। इसलिए इन दिनों जितनी कड़ाई होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। हमने वहां जो महसूस किया, वह हम सदन को बता रहे हैं। गृह मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि साधु जमात और महिलाओं की भी पूर्ण जांच-पड़ताल हो, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो सके। ये जो घटनाएं वहां घटी हैं, इसने प्रमाणित किया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं छिद्र है इसलिए उस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों की रक्षा हो सके। समता पार्टी की ओर से मैं वहां अभी घटित घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में ही सदन में इस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। वैष्णो देवी से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहां भारी संख्या में लोग तीर्थाटन के लिए जाते हैं। वहां यात्रियों पर जो आतंकवादी घटना हुई, इससे आतंकवादी सचमुच में देश में आतंकवाद फैलाने में सफल हुए हैं और सरकार इसे रोकने में विफल हुई है, यह इससे पता चलता है। इसलिए मैं इस घटना की निंदा करता हूं और अपना गुस्सा जाहिर करता हूं कि क्यों बार-बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटनाओं में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और आतंकवाद सफल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आतंकवाद को रोका नहीं जा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि गृह मंत्री जी का क्या मापदंड है, कितने लोग मारे जाएंगे, फिर वे त्यागपत्र देंगे। और कितने आदमी मारे जाएंगे, अंदरूनी सिक्योरिटी और कितनी विफल होगी, कब ये त्यागपत्र देंगे? प्रभुनाथ सिंह जी अभी बोल रहे थे। जार्ज फर्नांडीज साहब और इनकी पार्टी के लोग हैलीकॉप्टर से वहां दर्शन करने के लिए गए थे, ताकि इनकी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा खत्म हो। उनके लिए तो सब इंतजाम किए गए, सेना को भी भेजा गया। इसी तरह की व्यवस्था आम जनता और तीर्थ यात्रियों के लिए भी होनी चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में ही जो संवेदना व्यक्त की, सारा सदन उसके साथ है और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, उसे कुचलने के लिए एकजुट है, लेकिन विलाप करने के लिए नहीं। इस तरह से जो विफलता और कायरता का प्रदर्शन हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं और हम आपना गुस्सा जाहिर करते हैं। खुफिया एजेंसियां बार-बार बता रही हैं कि आतंकवादियों के सामने तीर्थयात्रियों पर हमला करने का टार्गेट है। जब आतंकवादी बार-बार चुनौती दे रहे हैं और खुफिया रिपोर्ट है तब सरकार की इससे ज्यादा विफलता क्या होगी? सरकार क्या कर रही है, हम यह जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला अंतिम वक्ता हैं उसके बाद माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, वैष्णो देवी के यात्रियों पर यह हमला इंतिहाई मक्रूह और बुजदिलाना हमला है और हम इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। यह एक गैर-इंसानी फेल है। मैं अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की जानिब से और अपनी जानिब से इस हमले की सख्ती के साथ मजम्मत कंडमनेशन करता हूं और इन यात्रियों के साथ हम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं तथा उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जनाब स्पीकर साहब, हिंद-पाक मजाकरात असरे नो आगाज होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की कोशिश इस मुबारक आगाज पर असरन्दाज नहीं होंगी और हमें भी कोशिशें करनी चाहिए कि अमन की कोशिशें मुतअस्सिर न हों। जनाब स्वीकर साहब, किसी की कोशिश ऐसी न हो कि हालात को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जाए। नहीं तो हम उन्हीं लोगों के हाथ में खेल जाएंगे जो यह खेल खेलना चाहते हैं। इसलिए इसे फिरकावाराना रंग देना देश के साथ में वफादारी की बात नहीं होगी। अभी बतलाया गया है कि कोई वाक्या आर्मी कैंप पर हमले का अखनूर में भी हुआ है। हम सख्ती के साथ इसकी मजम्मत करते हैं। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत संजीदगी के साथ बैठकर कोई पुरअसर राबिता और कोआर्डिनेशन कायम करे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मुल्क की सालामियत के लिए और देश की हिफाजत के लिए पूरा आवाम और जनता यूनाइटेड है और इसमें किसी किस्म का फर्क नहीं आने पाएगा। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम अहतियात बरतें और मौहतात तरीके पर आगे बढ़ें। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अमरीका और इजराइल तो खुद बजाते टैरेस्टि स्टेट्स हैं और उनसे कोई उम्मीद न रखते हुए हमें अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने बलबूते पर चैन और इंसाफ लाने की कोशिश करें।

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی):** شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ویشنو دیوی کے یاتریوں پر یہ حملہ انتہائی مکروہ اور بزدلانہ حملہ ہے اور ہم اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک غیرانسانی فعل ہے۔ میں اپنی پارٹی مسلم لیگ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اس حملے کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں اور ان یاتریوں کے ساتھ ہم اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہند و پاک مذاکرات از سرِ نو آغاز ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس قسم کی کوششیں اس مبارک آغاز پر اثر انداز نہیں ہوں گی اور ہمیں بھی کوششیں کرنی چاہئے کہ امن کی کوششیں متاثر نہ ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، کسی کی کوشش ایسی نہ ہو کہ حالات کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے۔ نہیں تو ہم ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں کھیل جائیں گے جو یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اسلئے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینا ملک کے ساتھ وفاداری کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ کوئی واقعہ آرمی کیمپ پر حملے کا اَخنور میں بھی ہوا ہے۔ ہم سختی کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی پُراثر رابطہ قائم کرے۔ میں ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ملک کی سالمیت کے لئے اور ملک کی حفاظت کے لئے پوری عوام اور جنتا متحد ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آ پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم احتیاط برتیں اور محتاط طریقے پر آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا پڑے گا۔ امریکہ اور اسرائیل تو بذاتِ خود ٹیررسٹ اسٹیٹس ہیں اور ان سے کوئی امید نہ رکھتے ہوئے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، اپنے بل بوتے پر چین اور انصاف لانے کی کوشش کریں۔ شکریہ!]

श्री रामदास आठवले : सर, हम भी बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावना को समझता हूं। आप खड़े हो गये, आपकी भावना इसमें आ गयी। आप बैठ जाइये।

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 24 घंटे में तीन आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जिनमें से एक कल शाम 6 बजे हुई जिसमें एक डिप्टी एसपी जोकि राजौरी से शाहदरा शरीफ, जहां वे पोस्टेड थे, जा रहे थे। उनके वाहन पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, जिसमें उनका ड्राइवर घायल हुआ और उनकी मृत्यु हो गयी। यह पहली घटना है। रात्रि 8 बजकर 50 मिनट पर दूसरी घटना हुई, जो एक प्रकार से सबसे अधिक गंभीर घटना है और यह घटना कटरा में हुई है। जम्मू-कश्मीर में दो यात्रायें होती हैं—एक अमरनाथ यात्रा और दूसरी वैष्णो देवी यात्रा। अमरनाथ यात्रा लगभग महीने-डेढ़ महीने कन्फाइन होती है और उसी महीने-डेढ़ महीने में लोग गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं तथा उस काल में पूरा प्रबन्ध करना होता है, पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी यात्रा—वैष्णो देवी की यात्रा—12 महीने चलती है और 12 महीने उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना पड़ता है। मैं इतना कह सकता हूं कि जम्मू-कश्मीर की सरकार और केन्द्र की सरकार में विगत वर्षों में कभी कोई मतभेद, कभी कोई मन-मुटाव किसी विषय में नहीं हुआ है, चाहे वह सुरक्षा का सवाल हो या सवाल विकास का हो। दोनों ही मामलों में पूरी तरह से एक दूसरे का सहयोग करके, सहकार करके काम करते रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी हमारे यहां से कोई व्यक्ति वहां चला जाता है। जब भी जरूरत पड़ी वहां के मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी यहां आ जाते हैं और चर्चा करके कोई निर्णय कर लेते हैं। आज जितनी भी यहां चर्चा हुई, उस चर्चा में से पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक सुरक्षा का सवाल है या जहां तक जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास का सवाल है, हमारी पार्टियां अलग-अलग होंगी, पहले कोई और पार्टी थी, जिसके बारे में चर्चा में जिक्र है, वह एनडीए का हिस्सा थी और आज वह पार्टी एनडीए की सरकार के विरुद्ध है, लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हमारा काम पूरी तरह से सहयोग से चल रहा है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

कटरे की घटना के बारे में यह ठीक है कि कल रात्रि की घटना बहुत भयंकर घटना है। भयंकर घटना इसलिए कि उसमें छः लोग मारे गए हैं और 47 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग बाहर के हैं, लेकिन कुछ थोड़े-बहुत जम्मू-कश्मीर के भी हैं। मैंने उनके नाम मंगवाए हैं, जिससे पता लगे कि जो लोग आहत हुए हैं, वे कौन-कौन हैं। मैं देख रहा हूं कि छः लोगों की मृत्यु हुई है। इन छः लोगों में से दो नेपाल के हैं, तीन पंजाब के हैं और एक महिला जम्मू की है। इस दुर्घटना में छः लोगों की मृत्यु हुई है। जो 47 घायल हुए हैं, मैं उनके प्रान्त का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनमें से 12-13 बच्चे हैं, जो घायल हुए हैं और गवर्नमेंट मैडिकल हास्पिटल में भर्ती हैं।

तीसरी घटना आज प्रातःकाल हुई। जम्मू से राजौरी जाते हुए, अखनूर क्षेत्र में दो फिदाईनों ने आर्मी ईएमई कैम्प में हमला किया ईएमई यानि इलैक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सुबह छः बजे अन्धाधुन्ध गोलियां बरसानी शुरू कीं। अभी तक की जानकारी के अनुसार छः आर्मी के जवानों की मृत्यु हुई है और ये दोनों फिदाईन भी मारे गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई एनकाउन्टर चल रहा है। आज सुबह मुझे बताया गया था कि एनकाउन्टर चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूचना आई कि दोनों फिदाईन मार दिए गए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यहां पर जो चर्चा होती है, उस चर्चा का परिणाम वहां पर होता है। इसीलिए चर्चा में जो बातें कही गई हैं, मैं समझता हूं कि उस चर्चा में यही ग्रहण करने लायक है कि हम सब आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक हैं। चाहे किसी भी पार्टी के हों या किसी भी सरकार के हों, आपस में मतभेद नहीं हो सकते हैं।

दूसरी बात, इस अवसर पर मैं जो जानकारी देना चाहूंगा, वह यह कि वैष्णो देवी की यात्रा में सबसे अधिक यात्री जाते हैं। यह यात्रा 12 महीने चलती है और व्यवधान डालने की यह पहली बार कोशिश नहीं है, व्यवधान डालने की पिछले तीन बार कोशिश हुई थी। तीन बार जो कोशिश हुई, उनमें कभी कोई यात्री नहीं मारा गया, घायल हुए हैं। विगत जो हमले हुए हैं, उनमें घायल हुए थे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया था। चूंकि कोई मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए वह दुर्घटना वैसी नहीं बनी, जैसी कि कल रात्रि की घटना बनी। तीसरी बार जब हमला हुआ तो उस समय आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया।

तीन बार पिछले साल कोशिश की गई थी। यह बात सही है कि वहां सबसे अधिक यात्री जाते हैं। मैं इसके आंकड़े ले रहा था तो पाया कि पिछले साल वैष्णो देवी जनवरी से लेकर जुलाई तक 21 लाख यात्री गए थे और इस बार 29 लाख गए हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ गई है चाहे वह अमरनाथ की यात्रा हो या वैष्णो देवी की यात्रा हो, यह संख्या लगातार बढ़ती गई है। सामान्यतः जितनी

आतंकवादी घटनाएं हुई, मैं ऐसा मानता हूं कि वहां जो एक प्रकार का परोक्ष युद्ध चल रहा है, यह उसी का हिस्सा है। यह लगातार चलने वाला संघर्ष है। अभी जो घटना हुई, नाड़ीमर्ग में हुई, मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो नॉर्मलसी आ रही है, वह उसे तोड़ने के लिए है। उनका उद्देश्य कोई नॉर्मल नहीं है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। जम्मू-कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, इसका जो अनुभव हम सब को हुआ, उसका जितना प्रचार होगा, उतना लाभ होगा, जम्मू-कश्मीर को भी लाभ होगा और जो परोक्ष युद्ध चल रहा है, उसमें भी लाभ होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां जितनी सफलतापूर्वक पार्लियामैंटरी कमेटियां गई हैं, प्रधान मंत्री जी गए, वर्षों बाद प्रधान मंत्री जी श्रीनगर में इतनी बड़ी सभा हुई, विपक्ष की नेत्री गई, उनके लिए बहुत सारे मुख्यमंत्री वहां गए, कांग्रेस पार्टी के नेता गए, ये सब बहुत अच्छे लक्षण हैं लेकिन अच्छे लक्षण होने के बाद कॉम्पलेसेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : वहां राष्ट्रपति गए हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : राष्ट्रपति जी की यात्रा इतनी सफल रही कि वहां के मुख्यमंत्री और लोग उनसे मिले। इसका वहां की जनता पर बहुत असर पड़ा। ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना हुई और लोकतंत्र के माध्यम से वहां की जनता को अपनी इच्छा प्रकट करने का जो अवसर मिला, वहां जो सफल और निष्पक्ष चुनाव हुए जिसे विश्व ने देखा, उसकी दुनिया ने भूरि-भूरि प्रशंसा की, यह जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक प्रकार से मेजर टर्निंग प्वाइंट हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि हम उसे आगे बढ़ाते हुए न केवल आतंकवादियों के ऊपर विजय पाएंगे बल्कि जम्मू-कश्मीर की जनता के कल्याण के लिए भी अधिक से अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। इसमें सारा देश यूनाइटिड है। पार्टियां भले ही अलग-अलग होंगी लेकिन आतंकवाद के साथ कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी प्रकार का समझौता हो। मैं इसके ऊपर यह भी कहना चाहता हूं कि हम शब्दों के ऊपर लड़ाई न करें, हीलिंग टच इत्यादि-इत्यादि। मैं मानता हूं कि आतंकवाद के प्रति और आतंकवादियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के प्रति जितनी दृढ़ता केन्द्र सरकार में है, उससे कम दृढ़ता राज्य सरकार में भी नहीं है। हम सब इस दिशा में सहयोग के साथ काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह सभा निर्दोष तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमले की घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। अब मैं निम्नलिखित संकल्प सभा के समक्ष रखता हूं :

"कि यह सभा 21 जुलाई, 2003 को जम्मू में कटरा के निकट बाण गंगा के पास आतंकवादियों द्वारा किए गए दो शक्तिशाली ग्रेनेड विस्फोटों में निर्दोष तीर्थयात्रियों के मारे जाने और अखनूर में सेना शिविर में रक्षा कार्मिकों की हत्या किए जाने की निन्दा करती है।

यह सभा आतंकवादियों के इन बर्बर और अमानवीय कृत्यों, जो राज्य में चल रहे शांति बहाली के प्रयासों से उनको हुई हताशा का परिचायक हैं, की घोर निन्दा करती है।

सभा इन निर्दोष व्यक्तियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। सभा इन त्रासदियों पर गहरा दु:ख प्रकट करती है।

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।"

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 12.21 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण

*21 **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संदर्शी पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य को धनाभाव के कारण धक्का पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण की योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। छः केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिए फरवरी 2002 में अनुमोदित आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्यवयन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

अनुमोदित योजना में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, शस्त्रों और गोलाबारूद, निगरानी और संचार उपकरणों, मोटर वाहनों, कपड़ों और टेन्टों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए पांच वर्षों की अवधि में 3741 करोड़ रु. की पूंजी खर्च करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

अयोध्या विवाद

*22. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयोध्या विवाद के समाधान के लिए कांची के शंकराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वती जी सहित विभिन्न हिन्दू नेताओं और मुस्लिम संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आयोजित की गई बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोजित की गई बैठकों के क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मुद्दे के समाधान हेतु हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच लिखित समझौता कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस विवाद का न्यायालय के बाहर समाधान निकालने के लिए क्या नए प्रयास किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) सरकार का यह दृढ़ मत है कि अयोध्या विवाद का समाधान या तो सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते से या न्यायपालिका के निर्णय से किया जा सकता है। अतः जब तक न्यायपालिका का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक सरकार इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के सभी प्रयासों से मदद देना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

लाहौर बस सेवा

*23. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौर-दिल्ली बस सेवा का परिचालन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अवांछित तत्व पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने के बाद गायब न हो जाएं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली-लाहौर बस सेवा 11 जुलाई, 2003 से पुनः आरम्भ हो गई है। भारत की ओर से बस का परिचालन दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से बस का परिचालन पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम (पी.टी.डी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। यह बस सेवा मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाई जाती है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान से अवांछित तत्व भारत में प्रवेश करने के बाद गायब

न हो जाएं, इस संबंध में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

(i) वीजा स्थान विशेष के लिए दिया जाता है। एक पाकिस्तान नागरिक कितने स्थानों का भ्रमण कर सकता है 20.5.2003 से उनकी संख्या घटा कर 12 से 3 कर दी गयी है।

(ii) उसे एक अस्थायी परमिट जारी किया जाता है (यदि वह 14 दिन से अधिक ठहरता है तो) और इस परमिट की प्रतियां उन सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजी जाती हैं जहां-जहां पाक वीजा धारकों को जाना होता है।

(iii) पाक वीजा धारक जिस स्थान पर पहली बार और उसके बाद जहां-जहां जाता है, जहां कि उसे निर्धारित अवधि तक ठहरने के लिए नियमित आवास की अनुमति दी गई है, वहां 24 घंटों के भीतर उसे जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करना होता है। पाक वीजा धारक को भारत में अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करने/अपने देश वापस जाने का इरादा 24 घंटे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करना होता है।

(iv) प्रवेश और निर्गम जांच चौकी तथा यात्रा के माध्यम का वीजा में भी उल्लेख किया जाता है। इनमें से किसी में परिवर्तन करने के लिए उसे अनुमति लेनी होती है।

(v) पाकिस्तानी वीजा आवेदकों और उनके भारतीय प्रायोजकों का 100 प्रतिशत पूर्व-सत्यापन करने की एक कार्यप्रणाली जनवरी, 2002 से आरम्भ की गयी है।

(vi) ''विजिटर वीजा'' पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 20.5.2003 से वीजा बढ़ाने की सुविधा नहीं दी जा रही है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वरोजगार के लिए ऋण

***24. श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई नई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, हां। सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से पहले ही खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है और 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा, परियोजना की शेष लागत पर 10% है। अनु.जा./अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों/संस्थान और पहाड़ी सीमा तथा जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी सहायता 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है। परन्तु इससे अधिक तथा 25 लाख रु. तक यह 10 लाख रु. का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 10% है। अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। योजना के कार्यान्वयन का वित्तपोषण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) लाभार्थियों को मार्जिन मनी दिए जाने में देरी या अपात्र इकाइयों को मार्जिन मनी दिए जाने संबंधी अनियमितताओं/कमियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बैंकों तथा के.वी.आई.सी. के संबंधित अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत स्थापित परियोजनाओं के संबंध में वर्षवार, राज्यवार, श्रेणीवार सूचना

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	अनु.जा./अनु.ज.जा/अ.पि.व./शा.वि. और अन्य अलाभान्वित वर्ग हेतु परियोजनाओं की संख्या			सामान्य श्रेणी के लिए परियोजनाओं की संख्या			कुल परियोजनाएं		
		2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	3127	399	1336	2261	398	482	5388	797	1818
2.	अरुणाचल प्रदेश	117	2	25	85	3	5	202	5	30
3.	असम	69	100	487	51	99	72	120	199	559
4.	बिहार	91	19	200	64	18	29	155	37	229
5.	गोवा	489	215	208	348	267	36	837	482	244
6.	गुजरात	208	42	91	148	41	35	356	83	126
7.	हरियाणा	1213	256	533	865	255	144	2078	511	677
8.	हिमाचल प्रदेश	145	298	323	105	296	100	250	594	423
9.	जम्मू-कश्मीर	1444	396	81	1027	394	24	2471	790	105
10.	कर्नाटक	1803	658	1094	1280	653	317	3083	1311	1411
11.	केरल	936	721	720	665	716	69	1601	1437	789
12.	मध्य प्रदेश	4699	526	672	3339	523	31	8038	1049	703
13.	महाराष्ट्र	3713	1287	1937	2641	1277	312	6354	2564	2249
14.	मणिपुर	211	5	70	148	6	9	359	11	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	366	79	146	257	78	7	623	157	153
16.	मिजोरम	177	4	128	125	5	15	302	9	143
17.	नागालैण्ड	2408	81	48	1711	81	16	4119	162	64
18.	उड़ीसा	117	311	528	82	308	140	199	619	668
19.	पंजाब	1879	561	1101	1336	557	257	3215	1118	1358
20.	राजस्थान	2184	1329	2576	1551	1318	460	3735	2647	3036
21.	सिक्किम	2	0	12	1	0	4	3	0	16
22.	तमिलनाडु	952	300	680	677	298	84	1629	598	764
23.	त्रिपुरा	13	13	129	7	12	12	20	25	141
24.	उत्तर प्रदेश	4526	935	1331	3219	928	346	7745	1863	1677
25.	पश्चिम बंगाल	479	1480	1900	302	1412	559	781	2892	2459
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	25	161	9	25	35	25	50	196
27.	सं.शा. चंडीगढ़	0	59	1	0	60	0	0	119	1
28.	दादरा व नगर हवेली	3	1	5	3	0	0	6	1	5
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	22	16	3	15	15	6	37	31	9
31.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32.	पांडिचेरी	35	3	1	24	3	2	59	6	3
33.	छत्तीसगढ़	3	96	157	3	43	59	6	139	216
34.	झारखंड	47	70	214	32	121	84	79	191	298
35.	उत्तरांचल	25	135	282	19	134	93	44	269	375
	कुल	31519	10423	17180	22400	10344	3844	53919	20767	21024

[अनुवाद]

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण उद्योग

*25. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के लिए राज्य-वार, क्षेत्र-वार और उत्पाद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शीघ्र खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थों (सब्जियां और फल) को सड़ने से बचाने के लिए देश के सुदूर क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई राशि व्यय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय कृषि और ग्रामीण उद्योगों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, हां। सरकारी खादी एवं ग्रामोद्योगों (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों सहित पूरे देश में खाद्य संसाधन उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) योजना का पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) सरकार क्षेवार और उत्पादनवार लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि, आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों के लिए के वी आई सी द्वारा राज्य-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में खाद्य संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी समर्थन के रूप में अनुदान के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा 46.79 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। बैंकों से ऋण तथा सरकार से अनुदान सहित वर्ष 2002-03 के दौरान 140.37 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है।

(ङ) 31.3.2003 कर स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों के लिए रोजगार सृजन के लिए राज्यवार निर्धारित किए गए लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26438	28156	29986
2.	अरुणाचल प्रदेश	178	190	202
3.	असम	3264	3476	3702
4.	बिहार	626	667	710
5.	गोवा	6250	6656	7089
6.	गुजरात	902	961	1023
7.	हरियाणा	19039	20277	21595
8.	हिमाचल प्रदेश	16838	17932	19098
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9132	9726	10358
10.	कर्नाटक	23205	24713	26319
11.	केरल	32127	34215	34439
12.	मध्य प्रदेश	24377	25962	27650
13.	महाराष्ट्र	35856	38187	40669

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	63	67	71
15.	मेघालय	2164	2305	2455
16.	मिजोरम	243	259	276
17.	नागालैंड	3325	3541	3771
18.	उड़ीसा	6477	6898	7343
19.	पंजाब	30754	32753	34882
20.	राजस्थान	52995	56440	60109
21.	सिक्किम	145	154	164
22.	तमिलनाडु	12489	13301	14166
23.	त्रिपुरा	797	849	904
24.	उत्तर प्रदेश	48774	51944	55320
25.	पश्चिम बंगाल	18328	19519	20788
26.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	426	454	484
27.	चंडीगढ़	913	972	1035
28.	दादरा और नगर हवेली	16	17	18
29.	दमन एवं दीव	119	127	135
30.	दिल्ली	339	361	384
31.	लक्षद्वीप	52	55	59
32.	पांडिचेरी	91	97	103
33.	छत्तीसगढ	5042	5370	5719
34.	झारखंड	1484	1580	1683
35.	उत्तरांचल	6049	6442	6861
	कुल	389317	414623	441573

विवरण-II

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कृषि एवं ग्रामोद्योग

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	11773
2.	अरुणाचल प्रदेश	347
3.	असम	984
4.	बिहार	758
5.	गोवा	2175
6.	गुजरात	808
7.	हरियाणा	4186
8.	हिमाचल प्रदेश	1491
9.	जम्मू एवं काश्मीर	5859
10.	कर्नाटक	11737
11.	केरल	6381
12.	मध्यप्रदेश	17482
13.	महाराष्ट्र	19054
14.	मणिपुर	702
15.	मेघालय	2937
16.	मिजोरम	875
17.	नागालैंड	4729
18.	उड़ीसा	2135
19.	पंजाब	8721

1	2	3
20.	राजस्थान	2340
21.	सिक्किम	34
22.	तमिलनाडु	4248
23.	त्रिपुरा	189
24.	उत्तर प्रदेश	13381
25.	पश्चिम बंगाल	13875
26.	अंडमान एवं निकोबार	358
27.	चंडीगढ़	140
28.	दादरा और नगर हवेली	13
29.	दमन एवं दीव	0
30.	दिल्ली	212
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	902
33.	झारखंड	495
34.	छत्तीसगढ़	434
35.	उत्तरांचल	688
	कुल	161505

सिंगरेनी कोयला खान में दुर्घटना

*26. **श्री एन.एन. कृष्णदास :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि आंध्र प्रदेश में जून, 2003 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के गोदावरी खानी कोयला क्षेत्र में 17 व्यक्ति फंस गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप कोयला कंपनियों को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) घटना के शिकार लोगों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह राशि और मुआवजे का भुगतान किया गया;

(छ) क्या सरकार ने ऐसी दु:खद स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूर्व मानसून अवस्था में होने वाले नुकसान का मूल्यांकन करने हेतु सभी कोयला खानों को निर्देश दिया है; और

(ज) यदि हां, तो कोयला खानों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की गोदावरी खानी की 7 एल.ई.पी. खान में 16.6.2003 को जलाप्लावन के कारण 17 श्रमिक डूब गए थे।

(ख) 16 जून, 2003 को प्रथम पाली में विकास खदानों की सीम संख्या 3 का ऊपरी भाग उसी सीम के निचले भाग के साथ जुड़ गया जिसे हाईड्रोलिक रेत भराई के संयोजन से खनित किया गया था और उसमें पानी था। इससे ऊपरी भाग के खदान में जलाप्लावन हुआ और 17 श्रमिक डूब गए।

(ग) एस.सी.सी.एल. को रामागुंडम क्षेत्र में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के कारण 41,000 टन कोयला उत्पादन का तथा जी.डी.के.-7 एल.ई.पी. खान में 16.6.2003 से 25.6.2003 तक 3168 टन कोयला उत्पादन का नुकसान हुआ।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस संबंध में एस.सी.सी.एल. द्वारा प्राथमिक जांच तथा एल.सी.सी.एल. के आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा विभागीय जांच की गई है। प्रारंभिक जांच के आधार पर एस.सी.सी.एल. प्रबंधन ने श्री जे. नागिया, एजेन्ट, श्री ए. रवि कुमार, प्रबंधक, श्री अब्दुल गफूर, सुरक्षा अधिकारी तथा स्थानापन्न प्रबंधक और श्री पी. पपी रेड्डी, सर्वेयर को पहले ही निलंबित कर दिया गया है।

डी.जी.एम.एस. अधिकारी द्वारा खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक जांच पहले ही आरंभ कर दी गई है। खान

अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा एक जांच न्यायालय गठित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(च) दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को अदा की गई अनुग्रह राशि तथा मुआवजे के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

- दाह संस्कार के तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए 25,000 रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।
- घातक दुर्घटना के लिए श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अनुसार मुआवजा दिया गया है।
- माननीय मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश द्वारा यथा घोषित प्रत्येक श्रमिक को 6.00 लाख रुपए की विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है (3.00 लाख रुपए कंपनी से तथा 3.00 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से)।

श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक के परिवार को अदा किया गया कुल मुआवजा तथा विशेष अनुग्रह राशि 8.79 लाख रुपए से 10.41 लाख रुपए के बीच है।

प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवार को दिए गए, कुल अंतिम लाभ, जिसमें विशेष अनुग्रह राशि, मुआवजा, बीमा, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी आदि शामिल है, 12.56 लाख रुपए से 19.67 लाख रुपए के बीच है।

(छ) जी, हां। प्रत्येक वर्ष मानसून से पूर्व डी.जी.एम.एस. द्वारा इस संबंध में खान प्रबंधन को निदेश जारी किए जाते हैं। इस वर्ष भी ये अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं।

(ज) मानसून में सतही जल से जलाप्लावन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एस.सी.सी.एल. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) डी.जी.एम.एस. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जलाप्लावन के खतरे का आंकलन करने के लिए सतह पर तथा भूमि के नीचे, दोनों का मानसून-पूर्व सांविधिक जांच सर्वेक्षण किया जाता है।

(2) सतही जल से जलाप्लावन के संभावित खतरे वाली 7 खानों को निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि उनकी खदानें गोदावरी नदी अथवा नाले के एच.एफ.एल. के नीचे है।

(3) सुरक्षा प्रबंध पर स्थायी आदेश नोटिस बोर्डों तथा मुख्य स्थलों पर स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित किए गए हैं, ताकि श्रमिकों में जागरुकता पैदा की जा सके।

(4) बचाव मार्गों को निर्दिष्ट करके उन्हें भूमिगत खदानों में अंकित किया गया है।

(5) विशेष दलों द्वारा प्रत्येक प्रचालनशील खान में जांच-सर्वेक्षण नियमित अंतरालों पर किए जा रहे हैं।

(6) मानसून के मौसम के दौरान वरिष्ठ अधिकारी विद्यमान प्रबंधों की औचक जांच करते हैं।

(7) सन्निकट भारी वर्षा के संबंध में चेतावनी देने और जलाशयों में पानी के अत्यधिक प्रवाह की स्थिति में बाढ़ के दरवाजों को खोलने के समय की सूचना देने के लिए मौसम विभाग एवं केन्द्रीय जल आयोग के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है।

(8) पर्यवेक्षकों तथा कार्यपालकों को जलाप्लावन के खतरे के बारे में बताना तथा इसके प्रति उनमें जागरुकता उत्पन्न करना।

एस.सी.सी.एल. की जी.डी.के.-7 एल.ई.पी. खान में 16.6.2003 की उपरोक्त आपदा के बाद, इसी प्रकार के कारणों से जलाप्लावन के खतरे का आंकलन करने के लिए एस.सी.सी.एल. की सभी खानों में सुरक्षा जांच की गई है। अब सभी रेत भराव किए गए पैनलों को "संभव जल राशियों" के रूप में समझे जाने का प्रस्ताव है।

ऐसी खानों में, जलाप्लावन की ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है:-

1. स्टोइंग पैनल के सबसे निचले स्तर में प्रारंभिक स्टापिंग इस प्रकार बनाए जाएंगे ताकि उसमें पैनल को अंतिम रूप से सील किए जाने तक पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो और उसे पैनल को विशेष रूप से निर्मित जल सीलों के साथ पृथक किए जाने के अंतिम चरण पर बंद किया जाएगा।

2. रेत भराव वाले पैनलों के ऊपर कार्य करते समय विभाजक को प्रत्येक जंक्शन पर तथा 10 मीटर के अंतराल पर बोरहोल ड्रिल करके लगातार सुनिश्चित किया जाएगा।

3. निचले भाग में काम करते समय ज्ञात हुए सभी छोटी-मोटी कमियों को संयुक्त नक्शे में स्पष्ट रूप से तीर के निशान से चिन्हित किया जाएगा ताकि विभाजक की मोटाई तथा पानी की मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लम्बाई वाले बोर होल रखे जा सकें।

4. इन परीक्षण होलों को रेत के ऊपरी भाग तक बढ़ाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गड्ढे, यदि कोई पाये जाते हों, भर दिए गए हैं। उपयुक्त रेत भराई को सुनिश्चित किया जाना होता है

5. प्रत्येक स्टोइंग डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे निचले स्तर पर प्रत्येक पैनल के लिए सुनिश्चित ड्रैनेज होगा।

6. कंपनी के सभी अधिकारियों के लिए जलाप्लावन के बारे में जागरुकता कार्यक्रम और ऐहतियाती उपाय आरंभ किए जाएंगे।

[हिन्दी]

अर्द्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या

*27. **श्री सुंदर लाल तिवारी :**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं आई हैं, जिसमें अर्द्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी गई;

(ख) क्या सरकार ने जवानों की कार्य स्थिति के बारे में और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों की तरफ से किए जाने वाले ऐसे व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अर्द्धसैनिक बलों के अंतर्गत कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को तनाव मुक्त रखने के क्रम में और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु उपाय करने के लिए भी कोई प्रणाली बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों के जवानों द्वारा अफसरों की हत्या करने की 8 घटनाएं हुई। जब कभी भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बल द्वारा न्यायालय जांच (सी.ओ.आई.) के आदेश दिए जाते हैं और न्यायालय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उपचारी उपाय किए जाते हैं। वर्ष 1999 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने, गोली मारने की घटनाओं के कारणों का पता लगाने और बल में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निवारक उपाय सुझाने के लिए तनाव प्रबन्धन पर एक व्यापक अध्ययन किया था। अध्ययन में तनाव के मुख्य कारण, बारम्बार संचलन, स्थायी पते का न होना, परिवार से अलग रहना, बच्चों की शिक्षा समस्या, परिवार की चिकित्सा कवरेज की समस्या, उनकी भूमिका संबंधी तनाव इत्यादि बताए गए थे। इस अध्ययन के आधार पर बल ने स्थिति को हल करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें, शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कार्मिकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना, खेलों में भाग लेने इत्यादि को और सुव्यवस्थित करना शामिल है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को छोड़कर, फील्ड फारमेशन में तैनात केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृत्ति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें दो महीने की वार्षिक छुट्टी और 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है, जबकि स्थैतिक फारमेशनो में तैनात कार्मिकों को एक महीने की वार्षिक छुट्टी और 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। ऐसा पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में, क्योंकि अधिकतर लोगों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाती है अत: एक महीने की वार्षिक छुट्टी और एक महीने की छुट्टी के बदले, एक महीने का प्रतिपूरक वेतन दिया जाता है। सरकार ने केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में प्राधिकृत पारिवारिक आवासों में वृद्धि की है। कार्मिकों को मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। रेटेशनल ट्रेनिंग से नीरस ड्यूटियों से कुछ समय के लिए राहत मिलता है। कुछ बलों में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग और ध्यान को शामिल किया गया है। तथापि, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कार्मिकों द्वारा हाल ही में, गोली मारने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान के साथ परामर्श करके पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को बल-कार्मिकों में तनाव प्रबन्धन पर एक अध्ययन करने का आदेश दिया है।

उप-प्रधान मंत्री का विदेश दौरा

*28. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-प्रधान मंत्री ने हाल ही में अमरीका और यूरोपीय देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दौरे के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दौरे के दौरान जिन समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीमा-पार से होने वाली घुसपैठ, इराक में भारतीय सैनिकों की तैनाती और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के बारे में भी चर्चा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (च) उप-प्रधान मंत्री ने अमेरिका के उप राष्ट्रपति मिस्टर रिचर्ड बी चेनी के आमंत्रण पर 9-14 जून, 2003 को अमेरिका का दौरा किया। उप-प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश, उप राष्ट्रपति चेनी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कन्डोलीजा राइस, अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड, महाधिवक्ता जॉन एशक्राफ्ट और गृह सुरक्षा सचिव टॉम रिज से मुलाकात की। वाशिंगटन डी.सी. में राजकीय आबन्ध के अतिरिक्त, उप प्रधान मंत्री ने विदेश नीति विशेषज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों, मीडिया, व्यापार समुदाय तथा वाशिंगटन डी.सी., लॉस एंजेल्स, शिकागो तथा न्यूयार्क में भारत-अमेरिकी समुदाय से भी मुलाकात की।

इन बैठकों से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा पारस्परिक हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला जिसमें पाकिस्तान के प्रति प्रधान मंत्री की शांति वार्ता पहलें, सीमा पर से आतंकवाद, इराक में भारतीय सैनिकों की तैनाती तथा अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 युद्धक विमानों की सप्लाई शामिल है। इन सभी मुद्दों पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बदलते भारत-अमरिकी रिश्तों में मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने भारतीय प्रधान मंत्री की शांति वार्ता की पहल की प्रशंसा की तथा सीमा पार से आतंकवाद के संबंध में भारत की चिन्ता को समझा। इराक में भारतीय सैनिकों की तैनाती के बारे में अमेरिकी अनुरोध के उत्तर में उप प्रधान मंत्री ने बताया कि सरकार सभी संबद्ध मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की जांच कर रही है।

उप प्रधान मंत्री ने 15-18 जून 2003 को इंग्लैंड का दौरा किया। इंग्लैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री टॉनी ब्लेयर, उप प्रधान मंत्री जॉन प्रेस्कॉट, गृह सचिव डेविड ब्लंकेट तथा विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ से मिलने के अलावा, इन्होंने विभिन्न राजनीतिक ग्रुपों से संबंधित इंग्लैड की संसद के सदस्यों से बातचीत की। विचार-विमर्श के दौरान उप प्रधान मंत्री ने आतंकवाद प्रतिरोध में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की तथा पारस्परिक हितों के विभिन्न क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया। ब्रिटिश नेतृत्व ने पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ रोकने की आवश्यकता पर हमारी चिन्ता के प्रति संवेदना व्यक्त की।

यात्रा के दौरान किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

उप प्रधान मंत्री के दौरे से इन देशों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संवाद जारी रखने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विनिमय का उद्देश्य पूरा हुआ। इस दौरे से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख को बेहतर तौर पर समझाने में सहायता मिली है। उप प्रधान मंत्री इन देशों के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में श्रोताओं को भारत की चिन्ताओं से अवगत कराने में सक्षम रहे।

[अनुवाद]

पेयजल के लिए नई योजनाएं

*29. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सवशीभाई मकवाना :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-2004 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी) के लिए आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने के लिए हाल ही में कोई नई योजनाएं शुरु की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को इसमें से योजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 2003-2004 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस (15.8.2002) पर की गई घोषणाओं के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित से संबंधित योजनाएं शुरु की गई हैं :-

(i) 1 लाख हैंडपंप लगवाना;

(ii) 1 लाख ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करना; और

(iii) 1 लाख परम्परागत जल स्रोतों को पुन: चालू करना।

इन तीनों कार्यक्रमों के लिए 700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं—2003-2004 में 350 करोड़ रुपए और 2004-2005 में 350 करोड़ रुपए। वर्ष 2003-04 हेतु इन तीनों योजनाओं के लिए राज्यों को आबंटन विवरण-II के रूप में दिया गया है।

(च) से (ज) कई राज्य सरकारें 2004 तक समस्त ग्रामीण बस्तियों को पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग कर रही हैं। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, उपलब्ध निधियां अपेक्षा से कम हैं। भारत सरकार द्वारा राज्यों को निधियों का आबंटन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निहित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

विवरण-I

2003-2004 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम—सामान्य के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन

क्रम सं.	राज्य	आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11688.00
2.	बिहार	6319.00
3.	छत्तीसगढ़	1901.00
4.	गोवा	105.00
5.	गुजरात	5537.00
6.	हरियाणा	1694.00
7.	हिमाचल प्रदेश	4919.00
8.	जम्मू व कश्मीर	10833.00
9.	झारखंड	2575.00
10.	कर्नाटक	10104.00
11.	केरल	3645.00
12.	मध्य प्रदेश	6079.00
13.	महाराष्ट्र	15710.00
14.	उड़ीसा	5303.00
15.	पंजाब	2269.00
16.	राजस्थान	15852.00
17.	तमिलनाडु	4869.00
18.	उत्तरांचल	2635.00

1	2	3
19.	उत्तर प्रदेश	11086.00
20.	पश्चिम बंगाल	6827.00
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.63
22.	चंडीगढ़	0.00
23.	दादरा एवं नगर हवेली	3.75
24.	दमन व दीव	0.00
25.	दिल्ली	2.81
26.	लक्षद्वीप	0.00
27.	पांडिचेरी	2.81
	उप योग (क)	129965.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	4962.00
29.	असम	8403.00
30.	मणिपुर	1833.00
31.	मेघालय	1967.00
32.	मिजोरम	1386.00
33.	नागालैंड	1453.00
34.	सिक्किम	603.00
35.	त्रिपुरा	1743.00
	उप योग (ख)	22350.00
	योग (क) + (ख)	174665.00

2003-2004 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम–मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन

क्रम सं.	राज्य	आवंटन (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	1424.00
2.	गुजरात	153.00
3.	हरियाणा	968.00
4.	हिमाचल प्रदेश	8.00
5.	जम्मू व कश्मीर	65.00
6.	कर्नाटक	1208.00
7.	राजस्थान	6174.00
	कुल	10000.00

विवरण–II

कम सं.	राज्य	2003-2004 के दौरान आवंटन (लाख रुपए में)			
		हैंडपंप लगाने के लिए	परंपरागत जल स्रोतों को पुन: चालू करने के लिए	प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1044.27	458.28	1385.10	2887.65
2.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	458.46	458.46

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	118.22	51.89	379.08	549.18
4.	हरियाणा	3.13	1.38	7.29	11.79
5.	हिमाचल प्रदेश	778.43	341.61	125.01	1245.06
6.	जम्मू-कश्मीर	455.68	199.97	365.85	1021.50
7.	झारखंड	72.56	31.84	421.47	525.87
8.	कर्नाटक	1324.18	581.12	601.83	2507.13
9.	केरल	550.13	241.43	20.25	811.80
10.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	1592.46	1592.46
11.	महाराष्ट्र	1853.04	813.20	1007.10	3673.35
12.	उड़ीसा	0.00	0.00	1274.67	1274.67
13.	पंजाब	339.02	148.78	5.40	493.20
14.	राजस्थान	1338.57	587.43	707.67	2633.67
15.	तमिलनाडु	0.00	0.00	329.40	329.40
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	1350.54	1350.54
17.	उत्तरांचल	75.06	32.94	311.58	419.58
18.	पश्चिमी बंगाल	843.80	370.31	725.49	1939.59
19.	अरुणाचल प्रदेश	162.95	71.51	0.00	234.45
20.	असम	2179.56	956.49	1089.18	4225.23
21.	बिहार	0.00	0.00	890.73	890.73
22.	गोवा	6.57	2.88	16.20	25.65
23.	मणिपुर	33.46	14.69	108.27	156.42
24.	मेघालय	158.26	69.45	174.96	402.67
25.	मिजोरम	48.47	21.28	18.90	88.65

1	2	3	4	5	6
26.	नागालैंड	133.54	58.61	53.46	245.61
27.	सिक्किम	39.10	17.15	0.00	56.25
28.	त्रिपुरा	106.65	46.80	70.74	224.19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसूमह	12.83	5.63	2.97	21.42
30.	दादरा और नगर हवेली	33.46	14.69	3.51	51.66
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.27	0.27
32.	दिल्ली	0.00	0.00	1.62	1.62
33.	लक्षद्वीप	0.94	0.41	0.27	1.62
34.	पांडिचेरी	16.26	7.14	0.00	23.40
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.27	0.27
	योग	11728.13	5146.89	13500.00	30375.02
	मांग पर आधारित	3909.37	1715.61	0.00	5624.98
	कुल योग	15637.50	6862.50	13500.00	36000.00

कोल इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार

*30. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो लगाए गए आरोपों/सरकार के ध्यान में आए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के उपकरणों की खरीद में दलाली में अन्य अधिकारियों के भी शामिल होने, स्थानान्तरण, तैनाती, प्रोन्नति में घूस लेने और, कोयला बिक्री में अनियमितताओं का पता लगाने के संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच के क्या परिणाम निकले एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (छ) प्रारम्भिक जांच के आधार पर, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.आई.एल. के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कार्यविधि और नियमों के उल्लंघन का मामला बनाया गया है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (निलम्बनाधीन) सी.आई.एल. और दूसरे पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त

सभी शिकायतों की जांच करने के लिए विस्तृत अन्वेषण कार्य आरंभ हो गया है ताकि गलतियों के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। जब तक अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक न तो आरोप तैयार करना संभव है और न ही शिकायतों के स्वरूप को विदित करना संभव है, क्योंकि इससे अन्वेषण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोल इंडिया लि. को एक ऐसा मामला सी.बी.आई. को भेजने की भी अनुमति दी गई है जिसमें सी.आई.एल. से बाहर के लोगों/कंपनियों के भी शामिल होने का संदेह हो।

आतंकवादी संगठनों के साथ वार्ता

*31. **डा. जयंत रंगपी :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार किन-किन आतंकवादी संगठनों के साथ वार्ता कर रही है;

(ख) ऐसे प्रत्येक आतंकवादी संगठन द्वारा क्या विशेष मांगें रखी गई हैं;

(ग) ऐसे प्रत्येक संगठन के साथ कितनी बार औपचारिक वार्ता हुई; और

(घ) इन वार्ताओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) यद्यपि सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आई/एम), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (के), दीमा हालम दाओगा (डी एच डी) और यूनाइटेड पीपुल्य डेमोक्रेटिक सोलीडेरेटी (यू पी डी एस) के साथ संघर्ष-विराम किया है लेकिन वार्ता केवल एन एस सी एन (आई/एम) और यू पी डी एस के साथ ही की जा रही है।

अभी तक एन एस सी एन (आई/एम) के साथ औपचारिक वार्ता के 23 दौर यू पी डी एस के साथ एक दौर हो चुका है।

एन एस सी एन (आई/एम) और यू पी डी एस के साथ आयोजित वार्ता के दौरान हुई चर्चा और प्रगति के ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

खेल योजनाएं

*32. **श्री परसुराम माझी :**

डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यकरण और उनके प्रभाव के बारे में समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित योजनाएं शुरु की हैं :-

(1) खेलों में जीवन-पर्यन्त उपलब्धि के लिए ध्यान चन्द पुरस्कार: यह योजना वर्ष 2002 में उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए शुरु की गई थी जिन्होंने अपने प्रदर्शन के द्वारा खेलों में अपना सहयोग दिया और अपने सक्रिय खेल कैरियर से सन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। उन व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों को भी पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने खेलों के संवर्धन, विशेषकर खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा उनमें उत्कृष्टता के विकास के क्षेत्र में, पिछले 20 वर्षों में अथवा उससे अधिक की अवधि में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ध्यान चंद पुरस्कार में 1.50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, फलक और एक समान सूचक स्क्रोल शामिल है।

उपर्युक्त योजना के अलावा वर्ष 2002-2003 के दौरान निम्नलिखित दो नई योजनाओं को अनुमोदित किया गया है :-

(क) **राज्य खेल अकादमियां :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 से 13 वर्ष के आयु वर्ग में उदीयमान लड़कों/लड़कियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा साथ ही साथ राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय

स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयार करना तथा खेल को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना भी है।

(ख) **डोप परीक्षण के लिए योजना** : योजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया है। (1) भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यताप्राप्त डोप नियंत्रण केन्द्र; (2) अंतर्राष्ट्रीय स्तर अर्थात आई.एस.ओ. 17025 द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखना; (3) एथलीटों, प्रशिक्षकों और दूसरे सहायक कार्मिकों को डोप के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना; (4) मादक दवा मुक्त खेलों और राष्ट्रीय डोप रोधी नीति के लिए तर्काधार की जांच करना और उसे विकसित करना; (5) खिलाड़ियों की प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाहर डोप जांच करना; (6) अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना; (7) विश्व डोप रोधी एजेंसी द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए नियमों और विनियमों तथा विश्व डोप रोधी संहिता के अनुरूप डोप संबंधी विनियमों को संगत बनाना।

(ग) और (घ) चूंकि ये सभी योजनाएं हाल ही में शुरु/अनुमोदित की गई हैं, अत: इन योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा करना अथवा उनके प्रभाव को आंकना अभी समयपूर्व होगा।

घुसपैठ

*33. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधियां :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के जम्मू-कश्मीर दौरे के बाद से आतंकवादियों की गतिविधियों में कोई परिलक्षित बदलाव पाया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान नियंत्रण रेख (एलओसी) और सीमा क्षेत्रों के आस-पास आतंकवादी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कितनी आतंकवादी गतिविधियां और घुसपैठ की वारदातें हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान। प्रधान मंत्री की जम्मू और कश्मीर यात्रा के बाद जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कोई विशेष कमी नहीं आई है। जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है आतंकवादी घटनाओं में मामूली सी कमी आई है, जबकि 18 अप्रैल से 15 जुलाई, 2003 तक की अवधि के दौरान, गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान मारे गए सुरक्षा कार्मिकों तथा आतंकवादियों की संख्या के साथ-साथ नियंत्रण रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विफल किए गए घुसपैठ के प्रयासों की संख्या वस्तुत: उतनी ही रही।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

		18.4.200 से 15.7.2003	18.4.2002 से 15.7.2002
1.	आतंकवादी घटनाएं	838	963
2.	मारे गए सिविलियन (इसमें एस.पी.ओ. तथा वी.डी.सी. सदस्य शामिल हैं)	244	285
3.	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	109	111
4.	मारे गए आतंकवादी	388	394

विभिन्न एजेन्सियों तथा सुरक्षा बलों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 18.4.2003 से 15.7.2003 के अवधि के बीच नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ में मामूली सी कमी आई है। राज्य सरकार ने बताया है कि सुरक्षा बलों द्वारा इस अवधि के दौरान नियंत्रण रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ के 13 प्रयास असफल किए गए जिनमें 50 आतंकवादी मारे गए जबकि 2002 की इसी अवधि के दौरान 12 प्रयास असफल किए गए थे और 23 आतंकवादी मारे गए थे।

(ङ) सरकार ने, जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवादी/संगठनों/पार्क आई.एस.आई. द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को रोकने के लिए, राज्य सरकार के साथ मिलकर, एक बहु-आयामी नीति अपनाई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा और हमेशा बदलते रहने वाले घुसपैठ के रास्तों के नजदीक बहु-स्तरीय और बहु-प्रकार की तैनाती करना, जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिकारी कार्रवाई करने सहित दूरवर्ती पहाड़ी तथा जंगली पाकेटों में आपरेशन, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुपों से तथा आसूचना ग्रुपों के संस्थानिक नेटवर्क के माध्यम से बृहत्तर कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए समुन्नत तकनोलोजी, हथियार और उपस्कर तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना शामिल है।

आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों, युक्तियों तथा सुरक्षाबलों की परिवर्तनात्मक तैनाती की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है, इसे परिशोधित किया जाता है तथा राज्य और केन्द्र सरकार में विभिन्न में स्तरों पर इसका प्रबोधन किया जाता है।

'पोटा' की समीक्षा

*34. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोटा लागू होने के बाद से उसके अंतर्गत राज्य-वार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मार्च, 2003 में एक समीक्षा समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है; और

(ङ) इस समिति की रिपोर्ट कब तक आ जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

आन्ध प्रदेश	40
दिल्ली	4
गुजरात	83
झारखंड	234*
जम्मू और कश्मीर	181
हिमाचल प्रदेश	3
महाराष्ट्र	42
सिक्किम	6
तमिलनाडु	41
उत्तर प्रदेश	28

*राज्य सरकार ने पुनरीक्षा करने पर पोटा के अधीन 104 व्यक्तियों को छोड़ दिया।

(ख) से (घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) समिति से समय-समय पर अपनी सिफारिशें/सुझाव देने की अपेक्षा की जाती है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक से ऋण

*35. **श्री के० येरननायडू :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के वित्तपोषण के लिए निबंधन और शर्तों संबंधी बातचीत पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह ऋण कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) सैद्धांतिक रूप से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) के लिए ऋण देने पर सहमत हो गए हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा हिमाचल प्रदेश विश्व बैंक द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित राज्य हैं। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ ए०डी०बी० द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित राज्य हैं। मौजूदा संकेत यह है कि विश्व बैंक के ऋण का प्रथम भाग 300 मिलियन डालर (1500 करोड़ रु०) होने की संभावना है तथा ए०डी०बी० का ऋण 400 मिलियन डालर (2000 करोड़ रु०) हो सकता है। विश्व बैंक ने अब तक संभावित ऋण को मंजूर करने की तिथि नहीं बताई है। ए०डी०बी० मूल्यांकन मिशन द्वारा ऋण मंजूर करने की संभावित तिथि नवम्बर, 2003 बतायी गयी है।

[हिन्दी]

वादा खिलाफी करने पर पुरस्कारों की वापसी

*36. **डा० अशोक पटेल** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ स्वर्ण पदक विजेताओं और उसमें भाग लेने वाले अनेक अन्य खिलाड़ियों ने सरकार द्वारा वादा खिलाफी किए जाने पर विशेष खेल पुरस्कार की राशि को लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) स (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बहुद्देशीय पहचान पत्र

*37. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री मोहन रावले

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना आयोग ने देश के नागरिकों के लिए बहुद्देशीय पहचान पत्र प्रदान करने हेतु 'पायलट' परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलट परियोजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके क्रियान्वयन के दौरान किन-किन समस्याओं रका सामना करना पड़ा;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन पहचान पत्रों को 'स्मार्ट कार्ड' में बदलने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या कुछ 'स्मार्ट' पहचान पत्रों का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के चुनिंदा जिलों में कुछ उप जिलों में बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी) योजना अप्रैल, 2003 में प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के एक वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।

(ग) कार्यान्वयन का विश्लेषण, पायलट परियोजना के समाप्त होने पर ही सम्भव होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (ज) सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाएं

*38. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्त मंत्रालय और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुखों के साथ चर्चा करने के लिए कोई बैठक आयोजित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी०पी० ठाकुर) : (क) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) सेक्टर को क्रेडिट के विस्तार संबंधी मामले पर 15 जनवरी, 2003 को हुई लघु उद्योग सेक्टर को संस्थागत क्रेडिट के प्रसार की समीक्षा संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के हैड्स तथा प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। उप-गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, समिति के अध्यक्ष हैं और लघु उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय भी इसके सदस्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 जून, 2003 को लघु उद्योग मंत्रालय तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के हैड्स और प्रतिनिधियों के साथ 15 जनवरी, 2003 को हुई स्थायी सलाहकार समिति की बैठक के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए एक अन्य बैठक की। हॉल ही में राज्य मंत्री (व्यय बैंकिंग तथा बीमा) ने भी 25 जून, 2003 को पब्लिक सेक्टर बैंको के चीफ एक्जिक्यूटिव्ज के साथ बैठक की, जिसमें लघु उद्योग सेक्टर लेंडिंग के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

(ख) सरकार द्वारा लघु उद्योगों के क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में लिये गये कुछ नये महत्वपूर्ण निर्णय निम्ननोक्त हैं :

(i) केन्द्रीय बजट, 2003-04 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बैंकों को सलाह दी है कि वे सिक्यूर्ड एडवांसिज के लिये अपनी प्राईम लैंण्डिग दरों से 2% ऊपर तथा नीचे का ब्याज दर बैंड अपनाएं।

(ii) बैंकों ने लघु उद्योगों के लिये कम्पोजिट ऋण सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की सहमति दे दी है।

(iii) लघु उद्योग मंत्रालय ने लघु उद्योग के फोक्सड विकास के लिए 60 कलस्टरों की पहचान कर ली है। लघु उद्योग मंत्रालय ने लघु उद्योग के फोक्सड विकास के लिए 60 क्लस्टरों की पहचान कर ली है। लघु उद्योग मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को 60 क्लस्टरों की सूची भेज दी है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को लिखा है कि वे क्रेडिट योजनाएं तैयार करें। बैंक राज्य क्रेडिट योजनाओं में लघु उद्योगों की क्रेडिट आवश्यकता को शामिल करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई आरंभ करेंगे।

(iv) लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारण्टी ट्रस्ट फण्ड (सी.जी.टी.एस.आई.) द्वारा 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर क्रेडिट गारण्टी कवर को हटाए जाने के अपने निर्णय की संवीक्षा की जाएगी।

क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना

*39. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री कमलनाथ :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र की एक पायलट परियोजना-क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए धनराशि नहीं जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को योजना में कई करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए निधियां रिलीज के मानदंडों के पूरा होने पर ही रिलीज की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) निधियों के दुरुपयोग का कोई भी मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

ग्रामीण विकास के लिए हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

*40. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हडको द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास और सड़कों/पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस धनराशि से शुरु की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) हडको से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान हडको द्वारा सड़कों/पुलों सहित स्वीकृत की गयी ग्रामीण विकास परियोजनाओं के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। हडको ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक किसी ग्रामीण विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ग) से (च) हडको द्वारा किसी राज्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	परियोजना लागत	ऋण राशि
1	2	3
वर्ष 2000-2001		
महाराष्ट्र पी एच-I में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	417.57	200.00
तमिलनाडु पी एच-III की ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति के प्रावधान के लिए एल ओ सी	172.82	155.00
तमिलनाडु पी एच-IV की ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति के प्रावधान के लिए एल ओ सी	292.23	145.00
तमिलनाडु के 27 जिलों में नमक्का नामे थिट्टम के अतर्गत कैपिटल कार्य	37.73	25.00
जोड़	917.35	525.00
वर्ष 2001-2002		
महाराष्ट्र पी एच-II में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	819.02	306.00
महाराष्ट्र पी एच-III में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	580.77	226.00

1	2	3
तमिलनाडु में पंचायतों में महिलाओं के लिए एकीकृत स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए कार्यक्रम ऋण (चरण-I)	136.56	95.55
तमिलनाडु पी एच-V की ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति के प्रावधान के लिए एल ओ सी	331.61	165.81
तमिलनाडु पी एच-I में ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कार्यालयों के निर्माण के लिए कार्यक्रम ऋण	39.99	24.00
तमिलनाडु में ग्राम स्व-सक्षमता कार्यक्रम के अंतर्गत कैपिटल कार्य	31.50	24.00
तमिलनाडु में अन्ना मारू मलची थिट्टस के अंतर्गत सामाजिक एवं उपयोगिता कार्य	81.53	69.25
जोड़	2020.98	910.61
वर्ष 2002-2003		
मण्डी निधि के माध्यम से मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों को सुधार	660.00	300.00
तमिलनाडु में थन्नीराईवु थिट्टम के अंतर्गत कैपिटल कार्यों हेतु कार्यक्रम ऋण	31.14	24.48
तमिलनाडु (पी एच-II) में ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कार्यालयों के निर्माण के लिए कार्यक्रम ऋण	11.11	9.44
तमिलनाडु (पी एच-VI) की ग्रामीण बस्तियों में जल आपूर्ति के प्रावधान के लिए एल ओ सी	267.74	120.99
तमिलनाडु में पंचायतों में महिलाओं के लिए एकीकृत स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए कार्यक्रम ऋण (चरण-II)	151.96	151.96
जोड़	1121.95	606.87
कुल जोड़	4060.28	2042.48

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना

228. श्री महेश्वर सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांवों में राज्यवार विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कितने ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए और उनमें कितने लोग नियोजित किए गए;

(ख) राज्यवार कितने उद्योग/इकाई-पंजीकृत किए गए;

(ग) इन उद्योगों की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें से कितने आयोग मुनाफे में और घाटे में चल रहे हैं;

(घ) क्या घाटे में चलने वाले उद्योगों को सहायता मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) 1.4.195 से 31.3.2003 तक हिमाचल प्रदेश सहित

देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत वित्त पोषित ग्रामीण उद्योगों की राज्य-वार संख्या तथा उनके माध्यम से सृजित रोजगार के अवसर संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ख) राज्य-वार पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/यूनिटों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(ग) इन यूनिटों के लाभ-हानि सहित मौजूदा स्थिति संबंधी सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने 14.5.2001 को ग्रामीण उद्योगों (बी.आई.) के सम्वर्धन और विकास हेतु एक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज अन्य बातों के साथ-साथ पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन मार्किटिंग ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास इत्यादि के सम्वर्धन हेतु उपाय करना से युक्त है। पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत है।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत 1.4.1995 से 31.3.2003 तक राज्यवार वित्त पोषित परियोजनाएं एवं रोजगार

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तपोषित परियोजनाएं	रोजगार (लाखों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11773	1.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	347	0.04
3.	असम	984	0.14
4.	बिहार	758	0.06
5.	गोवा	2175	0.19
6.	गुजरात	808	0.06
7.	हरियाणा	4186	0.70
8.	हिमाचल प्रदेश	1491	0.31
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5859	0.44
10.	कर्नाटक	11737	1.15
11.	केरल	6381	0.83
12.	मध्य प्रदेश	17482	1.55
13.	महाराष्ट्र	19054	1.70
14.	मणिपुर	702	0.13
15.	मेघालय	2937	0.23
16.	मिजोरम	875	0.12
17.	नागालैंड	4729	0.35
18.	उड़ीसा	2135	0.17
19.	पंजाब	8721	1.03
20.	राजस्थान	23401	2.30
21.	सिक्किम	34	0.00
22.	तमिलनाडु	4248	0.42
23.	त्रिपुरा	189	0.07
24.	उत्तर प्रदेश	13381	2.13
25.	पश्चिम बंगाल	13875	1.06
26.	अंडमान एवं निकोबार	358	0.01
27.	चंडीगढ़	140	0.01
28.	दादरा और नगर हवेली	13	0.00
29.	दिल्ली	212	0.03
30.	लक्षद्वीप	01	0.00
31.	पांडिचेरी	902	0.11
32.	झारखंड	495	0.10
33.	छत्तीसगढ़	434	0.15
34.	उत्तरांचल	688	0.13
	कुल	161505	17.43

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का समूहीकरण (कलस्टाराइजेशन)

229. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों में समूह विकास के लिए कोई कदम उठाने की पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबन्धन कार्यक्रम (अपटेक) के तहत अब तक विकास हेतु पच्चीस (25) लघु उद्योग कलस्टरों को लिया गया है। इनमें से लॉक, टॉटा स्टोन, मशीन टूल्स तथा हैंड टूल सेक्टर में कलस्टर विकास को यूनिडो के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण औद्योगिक कलस्टर स्थापित करने के प्रयोजन सहित ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.आई.) शुरू किया है, जिसके तहत आज की तारीख तक विकास हेतु पच्चहत्तर (75) ग्रामीण औद्योगिक कलस्टरों को लिया गया है।

उद्यमी इन कलस्र विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं? क्योंकि इनमें प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, सामान्य सुविधा सेन्टरों, मार्किटिंग, निर्यातों, क्षमता बनाने इत्यादि की चिन्ताओं पर बातचीत की जाती है।

क्रय-नीति में संशोधन

230. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार ने अपनी क्रय-नीति में संशोधन किया है और आपूर्तिकर्त्ताओं को इसी नीति के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो आपूर्तिकर्त्ताओं को सूची-बद्ध किए जाने से संबंधित क्रय-नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रय-नीति को पुन: तैयार करने के क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वस्तुए खरीदने की मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, वस्तुओं की कीमत में अधिकतम फ़ायदा उठाने और बढ़िया वस्तुएं खरीदने की दृष्टि से, संशोधित क्रय-नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :-

(i) वस्तुएं, ब्रैंडिड वस्तुओं और अनब्रैंडिड वस्तुओं के रूप में श्रेणी-बद्ध की जानी हैं।

(ii) ब्रैंडिड वस्तुएं, उनके निर्माताओं से अथवा जहां यह संभव नहीं हो, वहां वस्तुओं के निर्माताओं के प्राधिकृत वितरकों से खरीदी जानी हैं, परन्तु डीलरों से नहीं खरीदी जानी हैं।

(iii) अनब्रैंडिड वस्तुओं के संबंध में, निर्माताओं और/अथवा प्राधिकृत वितरकों से निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं, परन्तु ये निविदाएं, डीलरों से आमंत्रित नहीं की जानी हैं।

(iv) केन्द्रीय भंडार में वस्तुएं, निर्माताओं/प्राधिकृत वितरकों, जैसी भी स्थिति हो, से, किसी अवधि विशेष-अधिकतम एक वर्ष की अवधि का द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौता करके खरीदी जानी हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की संख्या

231. **श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सभी विभागों और उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' की श्रेणी में कितने कार्मिक कार्यरत हैं; और

(ख) इन कुल कार्मिकों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग श्रेणीवार संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

श्रेणी	मुख्य विभाग (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग)						एन.ई.सी (पूर्वोत्तर परिषद)					एनईएचडीसी (पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम)					एनईआरएएमएसी (पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड)				
	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा.	अन्य	रिक्त	कुल	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल
ग्रेड क	—	1	1	10	3	15	—	—	5	11	16	1	—	—	7	8	—	—	—	5	5
ग्रेड ख	—	1	—	6	1	8	—	2	5	11	18	2	1	1	13	17	—	—	—	5	5
ग्रेड ग	2	1	1	15	1	20	2	3	39	46	90	8	7	13	32	60	—	4	3	13	20
ग्रेड घ	1	6	—	3	—	10	—	4	15	23	42	13	3	17	27	60	—	5	6	7	18
कुल	3	9	2	34	5	53	2	9	64	91	166	24	11	31	79	145	—	9	9	30	48

पेंशन संबंधी लंबित मामले

232. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक पेंशन संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष, 2001-2002 में कितने पेंशनर थे;

(ङ) क्या यह सच है कि बैंक पेंशन-मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरत रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं कि बैंकों ने पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के बाद भी उनके खातों में आवश्यक बदलाव नहीं किए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा-पेंशन-नियम, 1972 में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर उसे देय पेंशन के भुगतान का आदेश तैयार किए जाने और उसे जारी किए जाने की समय-सीमा निर्धारित है। पेंशन की मंजूरी और उसका भुगतान पूरी तरह विकेन्द्रीकृत है। पेंशन के भुगतान/संवितरण की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकृत होने के मद्देनजर, पेंशनभोगियों से संबंधित आंकड़ों का कोई केन्द्रीकृत रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अत: चाही गई जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (झ) चूंकि पेंशन के संवितरण से संबंधित मसला विकेन्द्रीकृत है, अत: इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बोडो प्रान्तीय परिषद् (बोडो) टेरिटोरियल काउंन्सिल

233. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतरिम बोडो-प्रान्तीय परिषद के गठन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस परिषद का कब तक गठन किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परिषद का स्वरूप क्या होगा और उसमें कितनी शक्ति और स्वायत्तता निहित होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने असम राज्य में बोडलैण्ड क्षेत्रीय परिषद (बी.टी.सी.) के सृजन के लिए पहले ही 9.5.2003 को लोक सभा में संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक 2003 प्रस्तुत किया है। उक्त विधेयक के पारित होने के पश्चात् एक अन्तरिम बोडो क्षेत्रीय परिषद (बी टी सी) का गठन किया जाएगा।

(ग) परिषद को उन्हें सौंपे गए 40 विषयों के संबंध में विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होंगी। संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत उपलब्ध अन्य शक्तियां, बी.टी.सी. को उपयुक्त संशोधनों के साथ आवश्यक परिवर्तनों सहित भी उपलब्ध होगी जैसा कि 10.2.2003 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में सहमति हुई है।

केन्द्रीय भंडार में मिली शिकायतें

234. **श्री रामजी मांझी** : क्या उप प्रधान मंत्री 05.12.2001, 20.11.2002 और 25.02.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427, 2502, 253 और 1075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े जिले

235. श्री अमर राय प्रधान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दिए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछड़े जिलों से संबंधित पहलकदमी विकास और सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना) के घटकों में से एक है जो दसवीं योजना में प्रस्तावित नई योजना है। पिछड़े जिलों से संबंधित पहलकदमी की योजना का ब्यौरा योजना आयोग के विचाराधीन है।

शहरी विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत/निर्गत राशि

236. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास के लिए विभिन्न राज्यों के लिए राज्यवार और योजनावार कितनी राशि स्वीकृत और निर्गत की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति-उपदान

237. डा. चरण दास महंत : क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति-उपदान के रूप में अधिकतम कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है और इसे किस वर्ष में निर्धारित किया गया था;

(ख) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति-उपदान के निर्धारण के समय मंहगाई-भत्ता कितने प्रतिशत था;

(ग) क्या महंगाई भत्ते में वृद्धि के मद्देनज़र, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति-उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अधिकतम मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान (डी.सी.आर.जी.) की धनराशि, 01.01.1996 से बढ़ाकर संशोधित करके 3.5 लाख रुपए किए जाने का आदेश अक्तूबर, 1997 में जारी कर दिया।

(ख) मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान, किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने/दिवंगत होने के समय, उसे देय मूल वेतन और मंहगाई-भत्ते के आधार पर परिकलित किया जाता है। इस समय, 01.01.2003 से महंगाई-भत्ता, 55% है।

(ग) से (ङ) इस समय, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि मृत्यु-सह-निवृत्ति-उपदान की 3.5 लाख रुपए की मौजूदा अधिकतम धनराशि, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिश पर नियत की गई है।

युवक एकता शिविर

238. श्री टीएच. चाओबा सिंह : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों (2000-01, 2001-02 और 2002-03) के दौरान मणिपुर में कोई युवक एकता शिविर आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों से ऐसे युवा कार्यक्रम आयोजित करने के कितने

प्रस्ताव प्राप्त हुए और उक्त अवधि के दौरान कुल कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित गैर व्यपगत धनराशि के 10 प्रतिशत भाग में से धनराशि मंजूर की गयी है ताकि पूर्वोत्तर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के उन गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऐसी निधियां मंजूर की गयी हैं और इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान, मणिपुर में स्थित गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों से 107 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 14 प्रस्ताव राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अनुमोदित किये गये थे।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2002-2003 के दौरान, गुवाहाटी में राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, भारतीय महिला उद्यमी संघ, दिल्ली को धनराशि मंजूर की गई थी। चूंकि यह संघ अखिल भारतीय स्वरूप का है और असम सहित विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं हैं तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शिविर आयोजित किया जाना था, अत: गुवाहाटी में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित करने के लिए धनराशि मंजूर की गई थी।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि

239. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 से देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई वार्षिक हानि का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों की पहचान प्राकृतिक आपदा प्रवण तथा भूकंप और वार्षिक चक्रवात/बाढ़ प्रवण राज्यों के रूप में की गयी है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने हेतु मौजूदा आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) चूंकि प्रधानत: यह राज्य का विषय है भारत सरकार ने सभी किस्म की प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यों को हुए नुकसान का आकलन नहीं किया है।

(ग) लगभग सभी राज्यों का कोई न कोई भाग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों के लिए प्रवण है। देश में 382 जिले बहुविध खतरा प्रवण हैं जिनमें से 199 अधिक संवेदनशील हैं।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने देश में आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें आपातकालीन प्रत्युत्तर में क्षमता निर्माण, भूकंपों, चक्रवात एवं अन्य आपदाओं के लिए अल्पीकरण उपाय, अग्नि सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आपदा प्रत्युत्तर प्रशिक्षण को केन्द्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण का अभिन्न भाग बनाना, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आपदा जागरुकता को शामिल करना, आपदा अल्पीकरण तकनोलोजी को इंजीनियरी पाठ्यक्रम का भाग बनाना, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा ग्राम स्तर तक के सरकारी अधिकारियों को सेवा के प्रारंभ में/सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का उन्नयन करना, योजना तथा विकासात्मक प्रक्रिया आदि में अल्पीकरण उपायों को मुख्य धारा में लाना, शामिल है।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए धनराशि

240. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण किए गए खर्च हेतु विभिन्न राज्यों को प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) विभिन्न राज्यों ने इस वर्षों में वास्तविक रूप में कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 के दौरान इस आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आपदा राहत निधि से आबंटित राशि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से जारी अतिरिक्त सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निधि के व्यापक हिसाब-किताब और निधि के निवेश/प्रयोग के ब्यौरे राज्य सरकारों और महालेखाकारों द्वारा रखे जाते हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदा (सूखे को छोड़कर जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा देखा जाता) के कारण अतिरिक्त धन राशि देने के लिए कर्नाटक सहित किसी भी राज्य से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान आपदा राहत निधि से आबंटित राशि और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से दी गई सहायता के ब्यौरे

(रु० करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य	निम्न वर्षों के लिए आपदा राहत से आबंटित कुल राशि				निम्न वर्षों (16.7.2003 की स्थिति के अनुसार) के लिए जारी कुल सहायता			
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	198.06	207.96	218.36	229.28	0	30.44	59.94	64.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.02	12.62	13.25	13.92	2.00	0	12.78	0
3.	असम	101.49	106.57	111.89	117.49	0	0	0	0
4.	बिहार	66.96	70.31	73.82	77.52	29.67	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	27.47	28.84	30.29	31.80	40.00	42.88	100.68	26.83
6.	गोवा	1.24	1.30	1.37	1.44	0	0	0	0
7.	गुजरात	161.40	169.47	177.94	186.84	585.00	994.37	23.29	5.15
8.	हरियाणा	81.30	85.37	59.64	94.12	0	0	0	2.19
9.	हिमाचल प्रदेश	43.49	45.66	47.94	50.34	8.29	61.48	14.05	0.30
10.	जम्मू और कश्मीर	34.90	36.65	38.48	40.40	0	23.20	0	0
11.	झारखंड	56.69	59.53	62.51	65.63	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	74.57	78.30	82.21	86.32	0	0	196.88	10.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	67.24	70.61	74.14	77.84	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	62.64	65.76	69.04	72.51	35.00	22.72	183.34	23.88
15.	महाराष्ट्र	157.20	165.06	173.32	181.98	0	0	20.00	0
16.	मणिपुर	2.87	3.01	3.16	3.32	0	0	7.07	0
17.	मेघालय	3.94	4.14	4.34	4.56	1.00	0	0	0
18.	मिजोरम	2.97	3.12	3.28	3.44	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1.96	2.06	2.16	2.27	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	109.47	114.94	120.69	126.72	35.00	114.62	21.84	0
21.	पंजाब	122.72	128.85	135.30	142.06	0	0	0	0
22.	राजस्थान	207.00	217.35	228.22	239.63	85.00	78.97	434.08	477.41
23.	सिक्किम	6.91	7.25	7.62	8.00	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	102.64	107.77	113.16	118.82	0	0	215.99	116.10
25.	त्रिपुरा	5.20	5.46	5.73	6.02	0	0	0	0.
26.	उत्तर प्रदेश	146.27	153.59	161.27	169.33	0	0	310.06	0.98
27.	उत्तरांचल	32.37	33.98	35.68	37.47	0	0	0	0
28..	पश्चिम बंगाल	101.10	106.16	111.47	117.04	103.25	0	0	0

आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

241. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या उप प्रधान मंत्री 04.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निदेशक मंडल ने तब से आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण की समीक्षा कर ली है और उस पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आपूर्तिकर्ता-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आपूर्तिकर्ताओं के निलंबन के कारण फ़र्मों को बता दिए गए हैं तथा क्या उनके निलंबन वापस ले लिए गए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी आपूर्ति को निलंबित करने के कारणों को बताने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या फ़र्मों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच भी की जा चुकी है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(झ) क्रय-समिति और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (झ) इस बारे में जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई०ए०एस०/आई०पी०एस०/आई०एफ०एस०
की प्रतिनियुक्ति के मानदंड

242. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ०एस० अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) इन सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनकी प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो समय-सीमा की समाप्ति के बावजूद कितने अधिकारी अभी भी प्रतिनिनियुक्ति पर हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) 01.07.2003 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय वन-सेवा के 915 अधिकारी, केन्द्रीय स्टाफ़िंग योजना के अनुसार, विभिन्न पदों पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(ख) केन्द्र-सरकार की, नीति की आयोजना, नीति के निर्धारण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े वरिष्ठ स्तर के पदों पर, नए व्यक्तियों की केन्द्र-सरकार की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से भारत-सरकार में अवर सचिव और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियां, केन्द्रीय स्टाफ़िंग योजना के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं और उपर्युक्त योजना में भाग ले रहीं समूह 'क' सेवाओं से अधिकारी लेकर की जाती हैं।

कार्य के प्रभावी निष्पादन की अपेक्षा के मद्देनज़र, प्रत्येक रिक्त पद भरने हेतु अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यताएं, सेवा, उनका अनुभव, विशेष प्रशिक्षण आदि ध्यान में रखते हुए उनके के नामों के पैनल पर विचार किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय, भारतीय प्रशासनिक-सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय वन-सेवा के लगभग 30 अधिकारी अपने बढ़ाए गए कार्यकाल के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता/
दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

243. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री कमलनाथ :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को साम्प्रदायिक दंगों से निपटने हेतु भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनमें संशोधन करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत-पाक क्रिकेट संबंध

244. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सितम्बर-अक्तूबर, 2003 में होने वाले क्रिकेट मैच के मद्देनजर भारत-पाक क्रिकेट संबंधों की शीघ्र बहाली हेतु सरकार के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) ने सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए तीन प्रस्ताव भेजे हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. श्रीलंका में अगस्त 2003 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की 'अकादमी' टीमों के बीच एक दिवसीय मैंचों की त्रिकोणीय श्रृंखला।

2. पाकिस्तान में अगस्त-सितम्बर, 2003 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंग्लादेश के बीच "19 वर्ष से कम आयु वर्ग" की एक दिवसीय मैचों की चतुष्कोणीय श्रृंखला।

3. भारत में दिसम्बर, 2003 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की "ए" टीमों के बीच एक दिवसीय मैचों की त्रिकोणीय श्रृंखला।

(ग) बी.सी.सी.आई. के उपर्युक्त कथित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

गुजरात दंगों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव

245. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन सदस्यों का एक दल बेस्ट बेकरी मामले में रिकार्डों का निरीक्षण करने और निर्णय की जांच करने के लिए गुजरात भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इस जांच कार्य को कब आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु राज्य सरकार को कोई निर्देश दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार गुजरात के इस मामले और ऐसे शेष मामलों को सी.बी.आई. को सौंपने का है जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुझाव दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने "बेस्ट बेकरी मामले" के रिकार्ड और अन्य सभी संगत सामग्रियों का निरीक्षण करने के लिए एक तीन सदस्यीय दल बडोदरा, गुजरात भेजा।

(ख) दल में निम्नलिखित अधिकारी थे:-

(i) श्री अजीत भरिहोक रजिस्ट्रार (विधि) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

(ii) श्री सुधीर चौधरी, उप महानिरीक्षक (जांच-पड़ताल) राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग।

(iii) श्री पी.जी.जे. नमपूथिरी, विशेष रिपोर्टियर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

(ग) दल ने, गुजरात में एकत्र सामग्री का अनुवाद करने और उसकी जांच करने के लिए और समय देने का अनुरोध करते हुए

अपनी अंतरिम रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने इस अनुरोध को नोट किया और दल को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय दे दिया है। आयोग को इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी करने हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) से (छ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों की जांच तभी कर सकता है जब राज्य सरकार ऐसा करने का अनुरोध केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करे। गुजरात सरकार ने इस मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई अनुरोध नहीं किया है।

दिल्ली में वाणिज्यिक गतिविधियां

246. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने साउथ एक्सटेंशन पार्ट I और पार्ट II तथा लाजपत नगर आदि में वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में दिल्ली नगर निगम को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I (एनडीएसई-I) की रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक सिविल रिट याचिका में उसे नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-I क्षेत्र में स्थित अनेक परिसंपत्तियों में चल रहे वाणिज्यिक क्रियाकलापों के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निदेश दिया है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने रिहायशी यूनिटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वामियों/अधिभोगियों को उच्च न्यायालय के निर्देश के संबंध में नोटिस जारी करने की सूचना दी है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवास इकाई निर्माण लागत

247. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवास इकाई निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति आवास इकाई की लागत संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट सहायता का मौजूदा स्तर मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपये और दुर्गम तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 22,000 रुपये है।

(ख) और (ग) योजना के अंतर्गत प्रति यूनिट सहायता की मात्रा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारियों को बोनस

248. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन के कर्मचारियों को गत 6 वर्षों से अनिवार्य बोनस का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब के कर्मचारियों के बराबर केवल वेतनमान दिया गया और सेवा शर्तें लागू नहीं की गई; और

(घ) सेवा शर्तों में शामिल मामलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी जिन्होंने पंजाब राज्य सरकार के कर्मचारियों की समतुल्य श्रेणियों को अनुमेय वेतनमानों का विकल्प दिया है, वे भी उन श्रेणियों पर लागू सेवा के निबंधन और सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं। चूंकि पंजाब की राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1997-98 से "बोनस" का भुगतान नहीं किया है इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन में उनके समकक्ष पदधारियों को भी तब से यह लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) सेवा के निबंधन और शर्तों में, अन्य बातों के साथ, पद से संबद्ध वेतनमान और भत्ते; पदधारी की सेवानिवृत्ति की आयु; और पेंशन संबंधी लाभ; आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक संघ

249. **श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :**
श्रीमती कांति सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संघ विभिन्न देशों से डी.ए.पी./फॉस्फोरिक एसिड के आयात खरीद हेतु मूल्यों का निर्धारण करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान एफ.ए.आई. द्वारा विभिन्न देशों से डी.ए.पी./फॉस्फोरिक एसिड की कितनी मात्रा की आयात/खरीद की गई और उनका प्रति टन मूल्य कितना था;

(ग) क्या इफको देशों से डी.ए.पी./फॉस्फोरिक एसिड की अलग-अलग खरीद/आयात करता है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों एजेंसियों द्वारा डी.ए.पी./फास्फोरिक एसिड की खरीद कितनी मात्रा में की गई और उनका प्रति टन मूल्य कितना था; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित डी.ए.पी./फॉस्फोरिक एसिड का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उपरोक्त एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों के कंपनी एजेंटों को सरकारी स्तर पर कितने प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक संघ (एफ ए आई) के तत्वावधान में फॉस्फेटयुक्त उर्वरक उत्पादकों का एक संघ है जो फॉस्फोरिक एसिड आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत करता हैं। मुख्य कार्यपालक/वरिष्ठ कार्यपालक स्तर की समिति आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत कर फॉस्फोरिक एसिड का मूल्य तय करती है। मूल्य एवं अन्य प्रमुख शर्तों के निर्धारण के उपरान्त फॉस्फोरिक एसिड के क्रय से संबंधित सभी वाणिज्यिक सौदे क्रेताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच सीधे होते हैं। डी.ए.पी. की वास्तविक खरीद भारतीय उर्वरक संघ द्वारा नहीं की जाती है। एफ.ए.आई. संघ द्वारा तय किया गया प्रति टन मूल्य और एफ.ए.आई. संघ के माध्यम से किए आयात की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण । में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। एफ.ए.आई. संघ के माध्यम से क्रय करने के अलावा इफको भी विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्त्ताओं से फॉस्फोरिक एसिड का क्रय आपूर्तिकर्त्ताओं से अलग-अलग समझौता ज्ञापन करके करता है। फॉस्फोरिक एसिड का मूल्य किसी विशिष्ट वर्ष के लिए एफ.ए.आई. द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इफको आई.पी.एल. से बाजार मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर आयातित डी.ए.पी. का क्रय करता है। सरकारी स्तर पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है तथापि, संघ के बाहर के आपूर्तिकर्त्ताओं इफको द्वारा बातचीत से तय किए गए मूल्यों में एजेंसी का कमीशन भी शामिल होता है। जब कभी फॉस्फोरिक एसिड आपूर्तिकर्त्ताओं की अपने एजेंट से ऐसी व्यवस्था हो तब ऐजेंट को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में कमीशन का भुगतान किया जाता है। प्रतिटन मूल्य और आयात की मात्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान एफ.ए.आई. संघ द्वारा निर्धारित मूल्य निम्नानुसार है

वर्ष	मूल्य अमरीकी डालर/प्रति मी.ट.
2001-02	348.50 150 दिनों के उधार सहित
2002-03	341.50 150 दिनों के उधार सहित
2003-04	356.50 150 दिनों के उधार सहित

एफ.ए.आई. संघ के माध्यम से फास्फोरकि एसिड का देशवार आयात

(मात्रा मो० टन में)

स्रोत/देश	2001-02	2002-03	2003-04 (आबंटित)
1	2	3	4
ओसीपी/मोरक्को	562.00	375.60	500.00

1	2	3	4
जीसीटी/ट्यूनिशिया	284.60	297.60	245.00
एलसीसी लेबनॉन	29.70	36.50	40.00
जेपीएमसी/जोर्डन	0.00	27.90	0.00
फॉस्केम/संयुक्त राज्य अमेरिका	62.60	0.00	0.00
वाईपीआईईसी/चीन	3.10	0.00	0.00

1	2	3	4
संघ के माध्यम से कुल खरीद	942.00	737.60	785.00
वर्ष के दौरान फॉस्फोरिक एसिड की कुल खरीद	2163.90	2369.80	
संघ के माध्यम से की गई खरीद का %	43.53	31.12%	

इफको द्वारा एफ.ए.आई. संघ में शामिल आपूर्तिकर्त्ताओं को छोड़कर अन्यों से की गई खरीद

(मात्रा मी० टन में और दरें अमरीकी डालर/प्रति मी० टन)

आपूर्तिकर्त्ता	2000-01		2001-02		2002-03		एजेंसी का कमीशन
	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	
आई सी एस सेनेगल (संयुक्त उद्यम भागीदार)	197.20	348.05	437.32	339.69	54.46	335.98	
आरआटीइएम, इजराइल	84.76	349.50	104.05	338.50	99.18	331.50	
स्पिक भारत	12.52	350.50					
आई ओ एफ दक्षिण अफ्रीका	62.66	349.50					
एसएएसओएल (एफईडीएमआईएस) दक्षिण अफ्रीका	11.79	341.52	32.74	331.08	33.92	324.42	$1.50 प्रति मी० टन
विल्सन इम्पैक्स सिंगापुर			5.61	337.50	21.42	330.37	
एफओएसकेएआर दक्षिण अफ्रीका			58.87	338.50	109.57	330.37	02-03 में $ 1.30 प्रति मी० टन
ट्रांस अमोनिया, स्विटजरलैंड					11.06	333.50	

इफको द्वारा आई.पी.एल. से खरीदा गया आयातित डीएपी

वर्ष	मात्रा मी० टन में	मूल्य अमेरिकी डॉलर/मी०टन लागत एवं भाड़ा
2000-01	31000	166
2001-02	13185	181
	30815	179
	41750	163
2002-03	शून्य	

[अनुवाद]

डी०डी०ए० द्वारा भवन निर्माताओं को भूखंडों की बिक्री

250. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले अनेक परिवारों को हस्तसाल में बसाया गया था और इन परिवारों ने भूखंड के लिए डी.डी.ए. को भुगतान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी०डी०ए० ने इन परिवारों को जिन भूखंडों का वादा किया था उन्हें डी०डी०ए० के अधिकारियों ने भवन निर्माताओं को बेच दिया जो ऊंची कीमत पर भूखंडों को बेच रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भ्रष्ट आचरण में संलिप्त डी०डी०ए० के अधिकारियों का पता लगाने हेतु कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने हस्तसाल के विभिन्न क्षेत्रों से 3630 स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी परिवारों को पुनर्स्थापित किया है। नीति के अनुसार 3624 परिवारों से 12.5 वर्ग मी० के भूखंडों के लिए 5000/- रु०, 18 वर्ग मी० के भूखण्डों के लिए 7000/- रु० तथा 19.6 वर्ग मी० के भूखण्ड (कार्नर प्लाट) के लिए 20.000/- रु० की दर से लाभार्थी अंशदान प्राप्त हुआ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ वार्ता

251. **श्री के०ए० सांगतम** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** दिनांक 22.4.2003 के तारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन०एस०सी०एन० (आई.एम.) के नेता सम्प्रभुता की मांग छोड़ने और भारतीय संविधान के ढांचे में रहने को सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) एन०एस०सी०एन० (आई.एम.) की मांगे अनिवार्यत: नागाओं की पृथक पहचान तथा नागा क्षेत्रों के एकीकरण से संबंधित है। परस्पर स्वीकार्य हल पर पहुंचने के लिए, नागा शान्ति वार्ता के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा एन०एस०सी०एन० (आई.एम.) के मध्य कुछ-कुछ समय बाद वार्ता आयोजित की जाती है।

डी०डी०ए० द्वारा भूमि का आबंटन

252. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी०डी०ए० में हुये घोटाले के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में भू-आबंटन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण सोसाइटियों से प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी सोसाइटियों की कुल संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें भूमि का आबंटन नहीं किय गया है; और

(घ) डी०डी०ए० द्वारा आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया

है कि मार्च, 2003 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे के बाद उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियों से 66 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। भूमि के आबंटन हेतु प्राप्त इस सभी आवेदनपत्रों पर निर्धारित नीति/प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की समितियों को भूमि आबंटित करने के मामले पर निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने तथा भूमि उपलब्ध होने के अध्यधीन सांस्थानिक आबंटन समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा व्यय

253. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण बोर्डिंग, लॉजिंग, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा के अवसर, स्पोर्टस किट, प्रशिक्षण हेतु उपकरण, चिकित्सा सहायता, बीमा इत्यादि सुविधाओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों/विशेष क्षेत्रीय खेलकूद योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिवासी प्रशिक्षुओं पर 30,000/- रु० व्यय करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षुओं को उपर्युक्त सुविधायें प्रदान करने संबंधी निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्र योजना और विशेष क्षेत्र खेल योजना के अंतर्गत, अधिवासी प्रशिक्षणार्थियों को लगभग 30,000/- रु० की राशि की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

1.	भोजन संबंधी व्यय/वृत्तिका	गैर-पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 75/-रु० और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 80/- रु० 300 दिन, 75/- रु० × 300=22,500/- रु०।
2.	स्पोर्टस किट	3000/- रु०
3.	प्रतिस्पर्धा के अवसर	3000/- रु०
4.	शैक्षिक व्यय	1000/- रु०
5.	चिकित्सा व्यय	300/- रु०
6.	बीमा	150/- रु०
7.	अन्य व्यय	100/- रु०
	कुल व्यय	30,050/- रु०

(ग) उपर्युक्त सुविधाएं चयनित प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें योजना में अधिवासी प्रशिक्षणार्थिंयों के तौर पर प्रवेश दिया जाता है। सहवासियों का चयन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विधिवत गठित चयन समिति किया जाता है।

[अनुवाद]

खनिजों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

254. श्री अनन्त नायक : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ खनिज के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया गया है; और

(ख) स्थापित सहयोग की मुख्य विशेषतायें क्या हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) सरकार ने भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुकर बनाने के लिए फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, मंगोलिया, मोरोक्को और कनाडा सरकारों के साथ करारों/समझौता ज्ञापनों (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) उपरोक्त करारों / समझौता ज्ञापनों में खनिज गवेषण और विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकियों और कार्मिकों के प्रशिक्षण में द्विपीक्षीय सहयोग कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

कश्मीर समस्या संबंधी वार्ता

255. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विभिन्न संगठनों के साथ वार्ता वार्ता करने हेतु श्री एन०एन० वोहरा को वार्ताकार नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों की संख्या क्या है जिनको वार्ता प्रस्ताव भेजे गए हैं और जिनके साथ वार्ता की गई है;

(ग) अब तक हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में कुल कितने संगठन काम कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को कश्मीर समस्या के समाधान हेतु सुझाव भी प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) श्री एन. एन. वोहरा को जम्मू और कश्मीर राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत् शुरू करने और आगे चलाने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग) श्री वोहरा के राज्य के दौरे का समाचार पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार किया गया था, जिसमें उनके दौरे की तारीखें सूचित की गयी थी और यह बताया गया था कि वे उन सभी संगठनों और व्यक्तियों से मिलेंगे जो बातचीत में भाग लेना चाहते हैं और राज्य में शान्ति और सामान्य हालात बहाल करने में योगदान करना चाहते हैं। श्रीनगर और जम्मू के अपने दो दौरों के दौरान श्री वोहरा ने 142 संगठनों और व्यक्तियों से बातचीत की। तथापि, अभी तक कोई भी पृथकतावादी या आतंकवादी गुट उनके साथ बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में अनेक ज्ञात, अज्ञात और अवैयक्तिक आतंकवादी गुट सक्रिय, है, जिनमें प्रमख हैं:- हरकत उल-जेहाद-ए-इस्लामी, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयब्बा, हिज्जबुल मुज्जाहिद्दीन और अल बदर।

(ङ) से (छ) विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में शिकायतों सहित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को विद्युत संयंत्रों से जोड़ना

256. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्थित महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) का कोयला आपूर्ति हेतु विद्युत संयंत्रों से कोई लिंक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.सी.एल. इन संयंत्रों की मांग पूरी कर रहा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और संयंत्र-वार लागत राशि और प्रदत्त राशि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000-03 हेतु महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) से विद्युत उपयोगिताओं को संयंत्र-वार लिंकेज तथा कोयले का प्रेषण नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े हजार टन में)

विद्युत गृह	2002-03 (अनंतिम) लिंकेज
1	2
कोराहीड	1350
कापड़खेड़ा	1785
विजयवाड़ा	7060
मुददानूर	440
रायचूर	1425
सिमाहद्रि	3630

1	2
इन्नोर	1290
तूतीकोरिन	3518
मैत्तूर	3000
एन. चेन्नई	2615
तलचर	2013
तलचर एसटीपीएस	5013
ओपीजीसी/ईब	2475
कोलाघाट	1560
डीपीएल	675
बुदगेबुज	435
फरक्का	150
कुल एम.सी.एल.	38731

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 (जून, 2003 तक) तक की अवधि के दौरान लागत राशि तथा विभिन्न एस.ई.बी./पी.यू. को कोयले की आपूर्ति के लिए वसूल की गयी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रु० में)

वर्ष	एसईबी/पीसीएस	बिलिंग	वसूली
1	2	3	4
2000-2001	यूपीएसईबी	4.00	6.65
	टीएनईबी	577.50	441.64
	एमएसईबी	111.13	105.39
	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	111.52	54.91
	एपीपीजेनको	423.03	403.42
	केपीसीएल	38.74	38.62
	एनटीपीसी	262.15	252.82
	एचपीसीएल	21.68	22.26
	ओपीजीसी	115.38	115.60
	कुल	1666.03	1441.31
2001-2002	टीएनईबी	595.74	566.51
	एमएसईबी	166.71	165.15
	जीईबी	24.52	17.00
	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	85.48	92.36
	एपीपीजेनको	353.98	358.14
	केपीसीएल	58.55	60.05
	एनटीपीसी	312.26	309.87
	सीईएसई	33.70	33.48
	एचपीसीएल	22.34	22.17
	ओपीजीसी	109.08	108.25
	कुल	1762.36	1732.98
2002-2003	टीएनईबी	543.81	575.46
	एमएसईबी	156.12	160.31
	जीईबी		5.00
	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	81.96	113.00
	एपीपीजेनको	396.44	415.59

1	2	3	4
	केपीसीएल	61.92	61.11
	डीपीएल	24.22	25.49
	एनटीपीसी	482.44	479.86
	सीईएसई	24.08	23.90
	एचपीसीएल	20.81	21.06
	ओपीजीसी	112.47	117.18
	कुल	1904.27	1998.96
2003-2004 (जून, 2003 तक अनंतिम)	टीएनईबी	153.39	185.53
	एमएसईबी	30.33	14.71
	जीईबी		3.18
	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	21.88	16.00
	एपीपीजेनको	105.19	98.84
	केपीसीएल	16.48	20.60
	डीपीएल	4.63	4.71
	एनटीपीसी	152.38	156.69
	सीईएसई	5.13	4.71
	एचपीसीएल	4.78	5.69
	ओपीजीसी	31.09	28.81
	कुल	525.28	539.47

एन.एस.सी.एन.

257. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के राजनेताओं और खा-प्लांग और इस्राक मुइवती की भूमिगत गतिविधियों के बीच सांठगांठ होने के आरोप की आसूचना जांच का आदेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी प्रगति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तार किए गए एन.एस.सी.एन (आई/एम) के कार्यकर्ताओं की जांच-पड़ताल से एन.एस.सी.एन. (आई/एम) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ राजनैतिक नेताओं के बीच संबंधों के बारे में पता चला है। कुछ राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

बी पी एल योजना के अंतर्गत लाभार्थी

258. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गरीबी रेखा से नीचे योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लक्षित आंकड़ों में से केवल 25.60 लाख लोग ही वास्तव में इस योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्षों में लाभ उठा पाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच इस विसंगति के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लाभार्थियों की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की रोजगार सृजन संबंधी दो योजनाएं हैं, अर्थात् स्व-रोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु मजदूरी रोजगार के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2000-01 से 2002-03 के दौरान लगभग 28.06 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गयी और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान 7249.48 लाख रोजगार श्रमदिनों का सृजन किया गया। 2000-01 एवं 2001-02 वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिन्हें अब सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है; के अंतर्गत भी 9516.14 लाख रोजगार श्रमदिनों का सृजन किया गया था।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक स्व-रोजगार योजना तैयार करने के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सहायक योजनाओं को पुनर्गठित किया गया है। इसी तरह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक नई मजदूरी रोजगार योजना तैयार करने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को पुनर्गठित किया गया है। संबंधित एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन योजनाओं की विषय-वस्तु और कार्यान्वयन के तरीके में सुधार करने के लिए इन योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

259. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कुछ वर्षों से अपने डीलरों को सेण्ट्रल स्टॉक स्कीम की सुविधा प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत डीलरों को प्रतिटन किस दर से कमीशन दिया जा रहा है;

(घ) क्या उक्त सुविधा सभी डीलरों को प्रदान की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन एफ एल) ने 1 अप्रैल, 1999 से सेंट्रल स्टॉक स्कीम (सी एस एस) आरंभ की है। इस योजना के अधीन यदि डीलर प्रतिबद्ध मासिक/मौसमी मात्रा उठाते हैं तो वे वचनबद्धता छूट के पात्र होते हैं। सी एस एस डीलरों को प्रत्येक माह कुल प्रतिबद्ध मात्रा का एक निश्चित प्रतिशत उठाने की आवश्यकता होती है।

(ग) डीलरों को ऋण अवधि के लिए नकद बट्टे के अतिरिक्त 180 रु०/प्रति मी. टन की दर से वितरण मार्जिन प्राप्त होता है। सेंट्रल स्टॉक डीलरों को वार्षिक मौसम के दौरान उठाई गई मात्रा और कम्पनी के पास सुरक्षा जमा पर निर्भर करते हुए वचनबद्धता छूट भी मिलती है।

(घ) और (ङ) सेंट्रल स्टॉक स्कीम की अनुमति उन पात्र डीलरों को दी है गई जो इसके अधीन निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(च) इसकी अनुमति मानदण्डों को पूरा करने वाले पात्र डीलरों को है। इस योजना के अधीन प्रतिभूति जमा 25000/- रु० की सामान्य डीलर प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त है।

दिल्ली पुलिस द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना

260. **श्री एम०एम०वी०एस० मूर्ति :**
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ जाने माने क्लब सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस लिए बगैर ही स्वीमिंग पूल चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने इन क्लबों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे क्लबों के खिलाफ सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार दिल्ली पुलिस से छीने जाने का कोई प्रस्ताव है; जैसाकि 25 अप्रैल, 2003 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) हाल के महीनों के दौरान, दिल्ली पुलिस ने पांच ऐसे क्लबों का पता

लगाया है जो अपने लाइसेंसों के अनिवार्य नवीकरण के बिना अपने तरण तालों को चला रहे थे। इन सभी पांचों चूककर्ता क्लबों को, उनके लाइसेंसों को रद्द करने के लिए कानून के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे लेकिन लाइसेंसों के नवीकरण के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने पर बाद में इन्हें वापस ले लिया गया।

(घ) से (ङ) इस अवस्था में ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अन्तर-राज्यीय परिषद्

261. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2003 के मध्य में नई दिल्ली में अन्तर-राज्यीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा परिणाम के आधार पर और क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की नौवीं बैठक दि० 13.5.2003 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक की अध्यक्षता उप प्रधान मंत्री ने की तथा इसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री, श्रम मंत्री तथा असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश तथा प० बंगाल के मुख्य मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश के वित्त एवं विधिक कार्य मंत्री तथा विशेष प्रतिनिधि (केबिनेट रैंक) तथा कर्नाटक के गृह तथा लघु सिंचाई मंत्री के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) और (घ) स्थायी समिति ने प्रशासनिक संबंधों (एक), आपात प्रावधानों (12) केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती (चार) विषयों से संबंधित केन्द्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की 17 सिफारिशों पर विचार किया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समिति ने ठेका श्रम तथा ठेका नियुक्तियों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की उप समिति की रिपोर्ट तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट पर विचार किया। स्थायी समिति की सिफारिशें 27-28 अगस्त, 2003 को श्रीनगर में आयोजित होने वाली अन्तर्राज्यीय परिषद की अगली बैठक में रखी जानी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

राजभाषा के मानदण्ड

262. **श्री राजो सिंह :** क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजभाषा विभाग ने वर्ष 1987 में सरकारी प्रयोजनों हेतु पदों के सृजन, न्यूनतम पदों हेतु दिशानिर्देश, कार्य की गुणवत्ता और हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों के अनुपात संबंधी मानदण्ड तैयार किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मंत्रालयों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो समीक्षा के बाद नए मानदण्डों को कब तक निर्धारित किए जाने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानक सर्वप्रथम दिनांक 27.4.1981 को जारी किए गए थे। हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों के अनुपात संबंधी अनुदेश दिनांक 23.3.1976 को जारी किए गए थे।

(ख) जी, हां। इनकी समीक्षा करके संशोधित मानक क्रमशः दिनांक 5.4.1989 और दिनांक 7.5.1997 को जारी किए गए हैं।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(I) न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के संशोधित मानक :

राजभाषा विभाग के दिनांक 5.4.89 के का.ज्ञा.सं. 13035/3/88-रा. भा.(ग) द्वारा जारी :-

1. मंत्रालयों/विभागों के लिए :

(i) प्रत्येक मंत्रालय तथा स्वतंत्र विभाग, में जिसका पूर्णकालिक सचिव हो, एक सहायक निदेशक (राजभाषा)।

(ii) प्रत्येक ऐसे मंत्रालय या विभाग में जहां 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, या जिसके अंतर्गत 4 या 4 से अधिक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय या उपक्रम ऐसे हैं, जिसमें हर एक में 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी हैं, एक वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अर्थात् उप निदेशक (राजभाषा) राजभाषा विभाग के दि. 13.4.87 के का.ज्ञा.सं. 13017/1/81-रा.भा.(ग) में निर्धारित नार्मस को ध्यान में रखते हुए यह पद सहायक निदेशक के पद के बदले या उसके अतिरिक्त हो सकता है। मंत्रालय/विभाग में कार्य के स्वरूप और कार्य की मात्रा के आधार पर निदेशक का पद बनाया जा सकता है।

(iii) 50 से कम अनुसचिवीय कर्मचारियों पर एक अनुवादक 50 से 100 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 2 अनुवादक, 101 से 150 अनुसचिवीय कर्मचारियों पर 3 अनुवादक, 151 या इससे अधिक अनुसचिवीय कर्मचारी होने पर 3 कनिष्ठ अनुवादक तथा 1 वरिष्ठ अनुवादक।

2. संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए :

(i) 100 या 100 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले प्रत्येक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एक हिंदी अधिकारी (सहायक निदेशक, राजभाषा)।

(ii) (क) 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए (रक्षा सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के लिए कार्यालयों को छोड़कर)

25 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक।

126 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक।

(ख) 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए :

(i) 25 से 75 तक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक कनिष्ठ अनुवादक।

76 से 125 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालयों के लिए दो कनिष्ठ अनुवादक।

126 से 175 अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए 3 कनिष्ठ अनुवादक।

175 से अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों वाले कार्यालय के लिए 3 कनिष्ठ अनुवादक. तथा एक वरिष्ठ अनुवादक।

(ii) रक्षा सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर भी, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, यही मानक लागू होंगे।

(iii) 'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्दीय सरकार के ऐसी सभी कार्यालयों में जहां कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, एक हिंदी टाइपिस्ट का पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में नए खोले जाने वाले कार्यालयों में भी यदि कम से कम 25 अनुसचिवीय कर्मचारी हों, तो एक हिंदी टाइपिस्ट पद दिया जाए। 'क' क्षेत्र में स्थित रक्षा सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयों, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं, में भी वही मानक लागू होंगे।

(II) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों का अनुपात :

राजभाषा विभाग के दिनांक 7.5.1997 के का.ज्ञा.सं. 14012/3/97-स.भा.(नी.स.) द्वारा जारी :-

(क) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में 90 प्रतिशत

(ख) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में — 66 2/3 प्रतिशत

(ग) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में — 30 प्रतिशत

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार सृजन

263. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 65 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोजगार सृजन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य को प्रभावित करने वाले भीषण सूखे को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में रोजगार के और अवसर सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण ग्रामीद्य उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) : (क) जी, नहीं। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 31.3.2003 तक कुल रोजगार सृजन लगभग 66 लाख था और इस वर्ष 4 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की आशा है।

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान अतिरिक्त रोजगार सृजन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) तमिलनाडु में गंभीर सूखे को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों में वृद्धि कर दी है। वर्ष 2002-03 में 764 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया जिससे 1000 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन किया गया, जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान 1122 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे 17615 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन किया गया।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत 2003-04 के दौरान अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिये राज्यवार लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना की संख्या	रोजगार (व्यक्ति)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1199	18824
2.	अरुणाचल प्रदेश	67	1052
3.	असम	1381	21682
4.	बिहार	1230	19311
5.	गोवा	434	6814
6.	गुजरात	658	10331
7.	हरियाणा	673	10566
8.	हिमाचल प्रदेश	590	9263
9.	जम्मू और कश्मीर	620	9734
10.	कर्नाटक	1231	19327
11.	केरल	1139	17882
12.	मध्य प्रदेश	1037	16281
13.	महाराष्ट्र	1941	30474
14.	मणिपुर	73	1146
15.	मेघालय	385	6045
16.	मिजोरम	118	1853
17.	नागालैंड	237	3721
18.	उड़ीसा	916	14381

1	2	3	4
19.	पंजाब	1261	19798
20.	राजस्थान	2098	32829
21.	सिक्किम	84	1319
22.	तमिलनाडु	1122	17615
23.	त्रिपुरा	260	4082
24.	उत्तर प्रदेश	2105	33048
25.	पश्चिमी बंगाल	2413	37868
26.	अंडमान और निकोबार	42	659
27.	चंडीगढ़	86	1350
28.	दादरा और नगर हवेली	02	31
29.	दमन एवं दीव	02	31
30.	दिल्ली	35	550
31.	लक्षद्वीप	01	16
32.	पांडिचेरी	09	141
33.	छत्तीसगढ़	502	7881
34.	झारखंड	671	10535
35.	उत्तरांचल	631	9907
	जोड़	25253	396457

मीडिया एवं प्रचार पर व्यय

264. श्री बसुदेव आचार्य : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा मीडिया और प्रचार पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2001-2002 में उक्त प्रयोजन हेतु किया गया व्यय बजटीय प्रावधान से ज्यादा था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु निधियों को अन्यत्र लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान मीडिया एवं प्रचार के लिए ग्रमीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं०	वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1.	2000-2001	2060.00
2.	2001-2002	5461.72
3.	2002-2003	1678.00
4.	2003-2004 (15.7.03 तक)	110.01

(ख) जी, हां। सूचना, f क्षा एवं संचार क्रिया-कलापों के लिए उपलब्ध 28.59 करोड़ रुपये के बजट आबंटन में से मीडिया एवं प्रचार पर 54.617 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ग) प्रसार भारती के जरिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रचार करने के कारण बजट आंबटन से अधिक व्यय हुआ।

(घ) जी, हां।

(ङ) मीडिया एवं प्रचार के लिए निधियों की अतिरिक्त मांग की पूर्ति योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध बचत में पुनर्विनियोजन करके की गई थी।

रासायनिक औद्योगिक उद्यान

265. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र में विशेषकर पुणे जिले में रासायनिक औद्योगिक उद्यान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) वृहत् रासायनिक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सरकार पहले पूर्व-संभाव्यता अध्ययन कराना चाहती है।

पुलिस नेटवर्क

266. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को सभी राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए व्यापक पुलिस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने और कार्य शुरू करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ग) गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार के माध्यम से सेटेलाईट आधारित दूर संचार तंत्र, पोलनेट को लागू करने की प्रक्रिया में है जो अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की राजधानियों से जोड़ेगा। परियोजना का ठेका, टर्नकी आधार पर मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। ठेके शर्तों के अनुसार, परियोजना की स्थापना और प्रारम्भ करने का कार्य दिसम्बर 2004 तक पूरा किया जाना है।

फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र

267. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केंद्र के बारे में 8 अप्रैल, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र की स्थापना हेतु विशेषज्ञों की राय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं। फ्लोराइड मीटीगेशन सेन्अर स्थापित करने के लिए कुछेक विशेषज्ञों की राय प्राप्त हुई है। ऐसे एक केन्द्र की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए 7 अगस्त, 2003 को एक आन्तरिक बैठक होने वाली है।

आई.ए.एस. परीक्षा

268. **श्रीमती कांति सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सकों, अभियंताओं इत्यादि को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने से वंचित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और

पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का अनवरत प्रयास विभिन्न शैक्षणिक विषयों के अध्ययन से संपन्न और विपुल पृष्ठभूमि के प्रतिभावान उम्मीदवारों में सुलभ सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनकर उनकी भर्त्ती करने का रहा है।

आश्रयस्थल हेतु एन.एच.आर.सी. के निर्देश

269. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इरावडी, तमिलनाडु में चैन में बंधे 26 रोगियों की मृत्यु के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्यों को बिना आपराधिक रिकार्ड वाले मानसिक रूप से बीमार कैदियों को आश्रयस्थल में स्थानान्तरित करने, के निदेश का अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें अभी एन.एच. आर.सी. के इन निदेशों का पालन करना है;

(ग) क्या सरकार ने मामले के दोषी राज्य सरकारों से बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारों द्वारा इस संबंध में मानवाधिकार चार्टर का पालन करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के उल्लंघन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 सितम्बर, 1996 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निदेश जारी किए, जिन्हें 7 फरवरी, 2000 को पुन: दोहराया गया। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने मामले का अनुपालन किया है।

(ग) से (च) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, आगे प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधान मंत्री का राज्यों का दौरा

270. **डा० मन्दा जगन्नाथ** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री के राज्यों की राजधानी में अपने सरकारी/गैर सरकारी दौरों के दौरान उनके स्वागत के तरीके निर्धारित करने का कोई मानदण्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री कार्यालय की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से इस संबंध में कोई नियम बनाने और कोई विधेयक लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को, प्रधान मंत्री सहित विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा उनके राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी/गैर-सरकारी दौरों के दौरान शिष्टाचार के बारे में निर्देश जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) विद्यमान निर्देशों के मद्देनजर कोई नियम बनाने अथवा विधायन लाने की आवश्यकता नहीं है।

डीजल की चोरी

271. **श्री सईदुज्जमा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 दिसम्बर, 2002 से 30 जून, 2003 की अवधि के दौरान

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली, मध्य प्रदेश में भारी मशीनों को चलाने हेतु डीजल की मासिक खपत की मात्रा और लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए के डीजल की हो रही चोरी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) नार्दन कोलफील्ड्स लि० (एन.सी.एल.) सिंगरौली में 1, दिसम्बर, 2002 से 30 जून 2003 की अवधि के दौरान हैवी मशीनरी को चलाने में माहवार खपत हुई डीजल की मात्रा और लागत निम्न प्रकार है :-

माह	हैम में उपभोग की गई मात्रा (लीटर में)	डीजल की लागत (लाख रु० में)
दिसम्बर, 2002	8844731	1478.460
जनवरी, 2003	9041547	1595.660
फरवरी, 2003	8728419	1595.930
मार्च, 2003	9653142	1927.550
अप्रैल, 2003	8311924	1671.200
मई, 2003	8141386	1498.240
जून, 2003	7431506	1319.400
कुल	60152655	11086.440

(ख) यह सही नहीं है कि एन.सी.एल. में लाखों रुपए का डीजल प्रत्येक माह चोरी किया जा रहा है।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपराध

272. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अपराधों की बढ़ती घटनाओं के लिए उनकी जवाबदेही निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत जिले, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ जिले और राजस्थान के अलवार जिले में भारतीय दंड संहिता अपराधों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न अपराधों की घटनाओं का विश्लेषण मिश्रित रूझान दिखाता है।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपराधों का पता लगाना, दर्ज करना, जांच-पड़ताल करना और रोकना मुख्यतया: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। यथापि, गृह मंत्रालय ने, दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों को दिशा निदेश जारी किए हैं।

विवरण

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता अपराधों के मामले

वर्ष	जिला	हत्या	हत्या का प्रयास	हत्या की कोटी में न आने वाला मानव वध	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	डकैती की तैयारी करना और उसके लिए एकत्र होना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगे	आपराधिक न्यास भंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1999	दिल्ली यू.टी.	649	579	81	402	1375	63	36	726	3429	24423	199	512
2000	दिल्ली यू.टी.	586	598	57	435	1346	70	41	758	3453	21082	210	476
2001	दिल्ली यू.टी.	547	510	63	381	1627	48	74	624	3029	19276	165	479
1999	फरीदाबाद	104	56	18	40	111	15	16	48	623	1113	237	94
2000	फरीदाबाद	78	44	13	50	82	15	22	46	384	885	171	88
2001	फरीदाबाद	68	38	7	37	78	7	25	44	236	668	133	117
1999	गौतम बुद्ध नगर	67	106	10	19	30	3	1	36	80	669	59	28
2000	गौतम बुद्ध नगर	72	115	10	21	33	9	3	37	69	629	84	51
2001	गौतम बुद्ध नगर	92	60	16	16	42	11	1	47	56	729	81	51
1999	गाजियाबाद	258	344	23	31	118	12	4	121	293	1394	102	127
2000	गाजियाबाद	247	386	17	30	129	20	1	150	259	1337	131	93
2001	गाजियाबाद	230	381	18	31	112	10	2	117	227	1357	123	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1999	गुड़गांव	79	51	11	46	55	18	12	55	398	945	71	44
2000	गुड़गांव	71	45	15	39	45	15	16	50	382	835	80	26
2001	गुड़गांव	69	30	5	32	50	4	15	51	294	794	78	55
1999	मेरठ	276	319	12	31	133	34	8	230	312	1162	205	122
2000	मेरठ	308	296	10	47	115	41	1	220	273	1142	196	112
2001	मेरठ	275	239	10	28	160	35		210	268	1202	195	98
1999	झज्जर	45	23	4	16	22	11	11	16	101	184	44	10
2000	झज्जर	52	27	3	20	12	3	5	22	130	205	64	7
2001	झज्जर	48	28	2	21	14	2	0	25	98	183	68	21
1999	सोनीपत	69	38	7	15	40	12	4	53	203	341	4	14
2000	सोनीपत	87	43	2	11	32	11	11	52	189	373	13	12
2001	सोनीपत	73	49	4	15	26	5	7	28	130	347	6	10
1999	अलवर	101	83	2	66	119	10	2	80	370	1097	1351	35
2000	अलवर	91	103	3	50	112	8	3	56	352	1089	1326	42
2001	अलवर	85	83	0	34	119	1	3	52	286	964	445	34

स्रोत : भारत में अपराध

टिप्पणी 1. 2001 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. उ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता अपराधों के मामले

धोखधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट पहुंचाना	दहेज मृत्यु	अत्पीड़न	योन उत्पीड़न	पति और रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार	लड़कियों का आयात	लापरवाही के कारण मृत्यु	अन्य भ.दं.स. अपराध	भा.दं.स. के अधीन कुल संज्ञेय अपराध	वर्ष	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1869	69	57	2201	122	588	146	88	0	उन.	21087	58701	1999	दिल्ली यू.टी.
1940	49	64	2258	125	549	123	106	0	उन.	21923	56249	2000	दिल्ली यू.टी.
2183	42	50	2011	113	502	90	138	0	432	22000	54384	2001	दिल्ली यू.टी.
274	8	28	457	32	93	157	289	0	उन.	2606	6419	1999	फरीदाबाद
171	4	10	345	27	58	244	110	0	उन.	3006	5853	2000	फरीदाबाद
61	6	14	304	19	47	242	108	0	18	3531	5808	2001	फरीदाबाद
101	2	6	28	14	28	29	19	0	उन.	649	1984	1999	गौतम बुद्ध नगर
91		4	26	15	36	49	37	0	उन.	761	2152	2000	गौतम बुद्ध नगर
127		12	127	17	39	40	54	0	151	674	2443	2001	गौतम बुद्ध नगर
173	5	101	88	40	39	96	109	0	उन.	1550	5028	1999	गाजियाबाद
165	4	14	89	43	45	147	131	0	उन.	199	5137	2000	गाजियाबाद
258	14	10	134	33	54	138	140	0	138	1469	5079	2001	गाजियाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	2	23	342	22	35	0	106	0	उन.	1645	4075	1999	गुड़गांव
56		25	250	15	47	29	123	0	उन.	1516	3680	2000	गुड़गांव
29	2	20	244	17	21	21	136	0	5	1530	3502	2001	गुड़गांव
160	4	24	56	36	45	231	228	0	उन.	1583	5211	1999	मेरठ
170	5	8	72	25	56	141	272	0	उन.	1686	5196	2000	मेरठ
193	5	5	76	34	59	123	236	0	238	1688	5377	2001	मेरठ
28	1	1	172	15	24	11	21	0	उन.	439	1199	1999	झज्जर
25	0	9	221	18	50	12	82	0	उन.	455	1422	2000	झज्जर
50	1	0	193	20	42	13	122	0	84	466	1501	2001	झज्जर
42	0	13	332	22	23	3	41	0	उन.	822	2098	1999	सोनीपत
47	5	11	321	16	33	13	43	0	उन.	866	2191	2000	सोनीपत
43	3	8	346	18	22	14	51	0	132	607	1944	2001	सोनीपत
317	2	84	144	38	118	0	184	0	उन.	4143	8346	1999	अलवर
288	1	45	92	43	111	0	213	0	उन.	4388	8416	2000	अलवर
363	6	44	2007	43	124	0	235	0	233	1862	7023	2001	अलवर

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत निधियां

273. **श्री रामानन्द सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शीर्ष के तहत मध्य प्रदेश को कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं तथा तत्संबंधी जिलेवार आबंटन क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : प्रधान मंत्री, की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के तहत केन्द्रीय सरकार सब्सिडी के साथ-साथ प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास, सम्भाव्य स्थिति इत्यादि के लिए फण्ड्स को रिलीज करती है। सब्सिडी के लिए फण्ड्स के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया गया है जोकि कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक हितग्राहियों को फण्ड्स प्रदान करता है तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को फण्ड्स सीधे ही रिलीज नहीं किए जाते हैं। प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास, सम्भाव्य स्थिति के संबंध में फण्ड्स को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज किया जाता है। पी.एम.आर.वाई. के तहत वर्ष 2002-03 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 1,20,00678.00 रुपये (एक करोड़ बीस लाख छः सौ अठत्तर रुपये केवल) की राशि रिलीज की गई है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मध्य प्रदेश में पी.एम. आर.वाई. के तहत वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यवार प्रशिक्षण और सम्भाव्य स्थिति के लिए फण्ड्स का आबंटन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए मध्यप्रदेश से प्रशिक्षण एवं आकस्मिकता आदि के लिये जारी की गई निधियों का जिलावार आबंटन

क्रम सं०	जिला/संस्थान का नाम	राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये अनुसार राशि (रु.)
1	2	3
1.	उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल	48,75,300.00
2.	एमपी कन्सलटेंसी, ऑर्गेनाईजेशन, भोपाल	7,26,898.00
3.	एस.ए.टी.आई., विदिशा	72,800.00
4.	भिंड	80,750.00
5.	मालनपुर	10,000.00
6.	मुरैना	50,750.00
7.	शियोपुर	10,000.00
8.	दतिया	1,41,501.00
9.	गुना	1,60,750.00
10.	ग्वालियर	75,000.00
11.	शिवपुरी	2,26,501.00
12.	देवास	1,75,750.00
13.	मंदसौर	1,17,750.00
14.	नीमच	1,05,000.00
15.	रतलाम	55,750.00
16.	शाहजापुर	1,55,750.00
17.	उज्जैन	3,45,750.00
18.	बडवानी	1,15,000.00
19.	धार	15,750.00
20.	इन्दौर	10,00,000.00
21.	झाबुआ	96,501.00
22.	खंडवा	1,50,750.00
23.	खरगौन	40,000.00
24.	पिथामपुर	1,26,501.00

1	2	3
25.	हरदा	10,750.00
26.	होशंगाबाद	2,61,501.00
27.	बेतूल	1,25,691.00
28.	भोपाल	2,65,000.00
29.	मंदीदीप	66,501.00
30.	रायसेन	81,501.00
31.	राजगढ़	50,000.00
32.	शिहोर	2,56,501.00
33.	विदिशा	40,750.00
34.	छत्तरपुर	15,750.00
35.	दामोह	66,501.00
36.	पन्ना	1,66,501.00
37.	सागर	3,40,750.00
38.	टिकमगढ़	2,46,501.00
39.	बालाघाट	1,74,501.00
40.	छिंदवाड़ा	2,00,750.00
41.	दिंदोडी	30,000.00
42.	जबलपुर	5,00,000.00
43.	कटनी	20,000.00
44.	मांडला	10,750.00
45.	नरसिंहपुर	1,25,750.00
46.	सियोनी	24,814.00
47.	रीवा	1,10,750.00
48.	सतना	1,76,501.00
49.	सहडोल	1,01,344.00
50.	सिददी	1,86,750.00
51.	ओमारिया	45.000.00
52.	उद्योग निदेशालय	2,89,068.00
	कुल	1,20,20,678.00

[अनुवाद]

दक्षिणी आर्थिक संघ

274. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण जोनल परिषद की स्थायी समिति का विचार एक दक्षिण आर्थिक संघ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य जोनों के लिए भी ऐसे आर्थिक संघों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) 21 मई, 2003 को हैदराबाद में दक्षिणी जोनल परिषद की स्थायी समिति ने अपनी बैठक में, अपने सदस्य राज्यों के बीच निकट समन्वय विकसित करने की आवश्यकता महसूस की और इसने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन और क्षेत्र में और आर्थिक विकास के अन्य क्षेत्रों में तीव्र विकास सुनिश्चित करने हेतु सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के

लिए दक्षिणी आर्थिक संघ गठित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(ग) से (ङ) दक्षिणी जोन सहित किसी भी जोन के लिए कोई भी आर्थिक संघ गठित करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना

275. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी** : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान म्यांमार सीमा से कितने लोगों ने घुसपैठ की है;

(ङ) क्या इस घुसपैठ को रोकने हेतु म्यांमार सरकार के साथ द्विपीक्षीय वार्ता हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। सरकार का प्रारंभ में भारत-म्यांमार सीमा के मोरेह क्षेत्र में बाड़ निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) घुसपैठ के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। अत: घुसपैठ के संबंध में इन मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन हेतु बंद कोयला खानों का उपयोग

276. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल प्रबंधन हेतु बंद कोयला खानों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल प्रबंधन हेतु बंद कोयला खानों को राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी मांगी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भू-जल स्तर बढ़ाने के साथ-साथ असुरक्षित कोयला खानों को ताप विद्युत केन्द्रों की राख से भरा जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ग) सामान्य तौर पर केन्द्र सरकार के पास बंद कोयला खानों का जल प्रबंधन हेतु उपयोग अथवा बन्द कोयला खानों को जल प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को अन्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, ई.सी.एल. में कुछ पुरानी तथा परित्यक्त खानों को राज्य सरकार को मतस्य पालन तथा पर्यटन के लिए दिए जाने के लिए चिन्हित किया गया है और सी.सी.एल. में सहायक वन महानिरीक्षक ने यह सिफारिश की है कि 1930 तथा 1940 के दशक में खनित किए जा चुके क्षेत्रों को सी.एम.पी.डी.आई. तथा क्षेत्रीय सी.सी.एफ के परामर्श से जलाशय/झील बनाया जा सकता है और इन क्षेत्रों को मछली पकड़ने के अधिकार के साथ आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कई स्थानों पर कोयला कंपनियां, परित्यक्त खदानों तथा भूमिगत गोव्स को अपनी प्रचालनशील खानों तथा अपने कर्मचारियों की कालोनियों में औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए पानी के जलाशय के रूप में उपयोग करती है।

(घ) और (ङ) इस स्तर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना नहीं की गई है।

(च) और (छ) सी०एम०पी०डी०आई०एल० कोल इंडिया लि०

की अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, विद्युत गृहों से फ्लाई ऐश के निपटान के लिए ई०सी०एल०, सी०सी०एल, एन०सी०एल० तथा एम०सी०एल० में कर गड्ढों को चिन्हित किया गया है। अनन्तिम ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अनुषंगी	तीन समय सीमाओं में घन एम०एम० में चिन्हित किए गए गड्ढे		
	तत्काल	पांच वर्ष पश्चात्	दस वर्ष पश्चात्
ई०सी०एल०	68 घन एम०एम० (8 क्षेत्रों में 105 स्थल)	10 घन एम०एम० (7 क्षेत्रों में 10 स्थल)	60 घन एम०एम० (7 क्षेत्रों में 7 स्थल)
सी०सी०एल०	अम्लो ओ०सी०पी० में 0.4 घन एम०एम० (धोरी डब्ल्यू० क्षेत्र) अरा ओ०सी०पी० में 0.2 घन एम०एम० (कुजु क्षेत्र)	पीपरवार ओ०सी०पी० में (पीपरवार क्षेत्र) में 15 घन एम०एम०	शून्य
एन०सी०एल०	गोरबी खदान संख्या 1 तथा 4 में 25 घन एम०एम०	शून्य	शून्य
एम०सी०एल०	भरतपुर एस खदान में 13 घन एम०एम० (कलिंगा क्षेत्र)	एस बलान्दा ओ०सी०पी० में 19 घन एम०एम० (जगन्नाथ क्षेत्र)	लिलारी ओ०सी०पी० में 9 घन एम०एम० (ईब-घाटी क्षेत्र)

तथापि, कोयला आधारित विद्युत गृहों से फ्लाई ऐश द्वारा गड्ढों को भरे जाने का मामला अभी गहन परीक्षण के अधीन है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निधियों का अन्यत्र उपयोग

277. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु आबंटित निधियों की पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त रह गयी है और केन्द्र सरकार को लौटा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को व्यापक स्तर पर निधियों का उपयोग पंचायती संस्थाओं से हटाकर पार्टी कैडरों के लिए किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) वर्ष 2000-01 से वर्ष 2002-03 तक राज्य को रिलीज की गई निधियों में से राज्य द्वारा सूचित व्यय नीचे दिए अनुसार हैं। उपयोग में आने से बच गई राशि के रूप में कोई राशि नहीं लौटाई गई है।

वर्ष	रिलीज (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2000-01	135.00	102.22
2001-02	149.65	111.39
2002-03	159.52	

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एजेंसियों द्वारा की गयी छापामारी

278. श्री जी०जे० जावीया :
श्री आदि शंकर :

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1.1.2003 के अनुसार और आज तक गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में उद्योगपतियों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, डॉक्टरों और अन्य लोगों के घरों, फैक्टरियों और कार्यालयों पर गृह मंत्रालय की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की गयी छापामारी की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) नकदी, सोना, चांदी, चल और अचल संपत्ति तथा बैंक खातों आदि के रूप में जब्त किए गए सामानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय की किसी भी एजेन्सी द्वारा ऐसे छापे नहीं मारे गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मामले

279. श्री पी०एस० गढवी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी हेतु राज्यवार कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गयी हैं; और

(ग) इन सभी मामलों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) आंध्र प्रदेश से हैदराबाद मुक्ति आंदोलन से संबंधित 2148 मामलों को छोड़कर इस मंत्रालय में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जो हर प्रकार से पूर्ण हो तथा स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्रता रखता हो तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत किया गया हो और गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II से संबंधित 1197 (महाराष्ट्र से 639 मामले, गोवा से 555 मामले, हरियाणा से 1 मामला और उत्तर प्रदेश से 2 मामले), जहां राज्य सरकारों से हाल ही में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, 18 जुलाई, 2003 की स्थिति के अनुसार निर्णय के लिए लंबित हैं।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सैनिक पेंशन के दावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत, हर प्रकार से पूर्ण दावों को प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना का विस्तार

280. श्री किरीट सोमैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए स्वर्ण

जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के विस्तार के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ये प्रस्ताव राज्य के पिछड़े जिलों के लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य के उक्त परियोजना प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं। मंत्रालय को महाराष्ट्र की राज्य सरकार से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किसी मौजूदा विशेष परियोजना के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

नक्सलवाद

281. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युवकों के बीच नक्सलवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का नक्सलवाद से प्रभावित युवकों/क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) सरकार द्वारा युवकों को मुख्य धारा में शामिल करने तथा उन्हें रोजगार देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) इस आशय की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है कि युवाओं में नक्सलवादी प्रवृत्ति बढ़ोत्तरी पर है। तथापि, बताया जाता है कि सी.पी.एम.एल.- पी.डब्ल्यू. और एम.सी.सी (आई), आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों से युवा लड़कों और लड़कियों को अपने गुटों में शामिल होने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार को, नक्सलवाद से प्रभावित युवकों के विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, इस मंत्रालय ने योजना आयोग से नौ राज्यों में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों को पिछड़े जिले पहल (बी०डी०आई०) स्कीम में शामिल करने का अनुरोध किया है ताकि इन क्षेत्रों में वास्तविक और सामाजिक संरचना में नाजुक अंतराल को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के लिए विशेष आबंटन के रूप में 37.50 करोड़ रु० प्रतिवर्ष दिए हैं। इन उपायों से विकास के अलावा, स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण

282. श्री के०पी० सिंह देव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की कुछ इकाइयों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी-क्षेत्रवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार किया जा रहा है जिसके अनुसार गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों में मामला-दर-मामला आधार पर सरकारी इक्विटी को कम करके 26% तक अथवा इससे कम किया जाना है।

(ग) सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर लि० में अपनी समस्त इक्विटी होल्डिंग (98.95%) का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। विनिवेश हेतु सौदा समझौतों को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब योग्यता-प्राप्त इच्छुक पार्टियों (क्यू०आई०पी०) से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। खनिज गवेषण निगम लि० (एम०ई०सी०एल०) के संबंध में सरकार ने महत्वपूर्ण भागीदार के पक्ष में प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण सहित एम०ई०सी०एल० में अपनी 100% इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय किया है। नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि० के विनिवेश की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए फ्लैट

283. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट आबंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए किन क्षेत्रों में फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित/जारी की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) के स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.)—दोनों ने बताया है कि दिल्ली में स्लमवासियों को फ्लैट आबंटित करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में रोहिणी में फ्लैट देकर मोतिया खान के स्लमों को हटाया गया है।

मीडिया/प्रचार के लिए बजटीय आबंटन

284. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 में मीडिया और प्रचार पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उक्त वर्षों के लिए मीडिया और प्रचार हेतु कितना बजटीय बजटीय आबंटन किया गया;

(ग) क्या किसी प्रचार परामर्शदाता की नियुक्ति की गई थी;

(घ) यदि हां, तो परामर्श के लिए अथवा वेतन के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ङ) क्या नियुक्ति को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त परामर्शदाता को भुगतान करने के स्रोत क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में मीडिया और प्रचार पर क्रमश: 5461.72 लाख रु० तथा 1678.0 लाख रु० की राशि खर्च की गई।

(ख) वर्ष 2001-2001 तथा 2002-2003 के लिए मीडिया एवं प्रचार हेतु बजटीय आबंटन क्रमश: 2859.00 लाख रु० तथा 2250.00 लाख रु० था।

(ग) जी, हां। इस उद्देश्य हेतु 22 फरवरी, 2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण कालिक आधार पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई थी। परामर्शदाता 8 जुलाई, 2002 तक पद पर बने रहे।

(घ) परामर्शदाता की नियुक्ति 22,400 रु० (निर्धारित) के संचित वेतन पर की गई थी और परामर्शदाता की सेवा के लिए उसे कुल 1,00,981 रु० का भुगतान किया गया था।

(ङ) यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से तथा परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई थी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) मंत्रालय के स्वीकृत बजट अनुदान में से परामर्शदाता को वेतन का भुगतान किया गया था।

[हिन्दी]

बाड़ लगाने के लिए मानदंड

285. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बंगलों और अन्य सरकारी आवासीय परिसरों की बाड़ लगाने के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटितों के आवासों के अतिरिक्त कार्य कराने के लिए अपेक्षित राशि जमा कराने के बावजूद कार्य करने में महीनों तक देरी के लिए 1.1.2003 से आज तक रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनो, आबंटितों और जनप्रतिनिधियों की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में विशेषकर पेशवा रोड, गोल मार्किट, लोधी कालोनी, नई दिल्ली में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी/निगरानी समिति गठित करने के लिए जन-प्रतिनिधियों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) विभिन्न प्रकार के मकानों में किए जाने वाले बाड़ सहित परिवर्द्धन तथा परिवर्तन के कार्यों के लिए मानदण्ड मकानों के टाइप के अनुसार अलग-अलग है।

(ख) सरकारी फ्लैटों/बंगलों में मुहैया की जाने वाली बाड़ के मानदण्डों की व्याख्या केलोनिवि अनुरक्षण नियम पुस्तिका अध्याय-5 (प्रति विवरण के रूप में संलग्न) में दी गई है। मकान के प्रकार के लिए निर्धारित वित्तीय सीमाओं के भीतर अनुषंगी भूमि को इस प्रकार बाड़बंद किया जाता है जिससे आम जनता के लिए असुविधा/रुकावट न हो।

(ग) और (घ) जी, हां। क्वार्टर सं० 9/769, लोधी कालोनी के आंबटी से एक शिकायत प्राप्त हुई है। यह कार्य आबंटी द्वारा स्वयं रोक दिया गया क्योंकि वह अपनी रिहायशी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लिए बाड़ करना चाहता था जो अनुमत्य नहीं था।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार को श्री रामदास आठवले, संसद सदस्य लोक सभा से दिनांक 13 मार्च, 2003 का अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें केलोनिवि के ठेकेदारों द्वारा केलोनिवि के फील्ड स्टाफ की मिलिभगत से लोधी कालोनी में कथित रूप से अवैध झुग्गियों तथा टैन्टों के निर्माण की जांच करने के लिए केलोनिवि मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी/निगरानी समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है।

तथापि, माननीय सांसद ने बाद में लिखा कि उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया है और यह कि केलोनिवि के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण

अध्याय-5

परिवर्द्धन/परिवर्तन

गैर-आवासीय भवनों में दो प्रकार के परिवर्द्धन/परिवर्तन किए जाते हैं। परिवर्द्धन/परिवर्तन कार्यात्मक दक्षता के लिए दखलकार विभाग की विशेष आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। परिवर्द्धन/परिवर्तन को ऐसे कार्य तकनीकी संभाव्यता सुनिश्चित करने के बाद दखलकार विभाग की लागत पर किए जाते हैं। कुछ परिवर्द्धन/परिवर्तन कार्यालय परिसर में स्थित कार्यालयों की बेहतर कार्य-प्रणाली के लिए सामान्य आवश्यकता के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं किए जाते हैं। ऐसे निर्माण कार्य यू एवं ई मंत्रालय की लागत पर किए जाते हैं। आवासीय भवनों के मामले में कुछ परिवर्द्धन/परिवर्तन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों की सुरक्षा, भवनों में सुगमतापूर्वक प्रेवश, सेवा आदि में वृद्धि को देखते हुए, किए जाते हैं जो सामान्य रूप में सभी आवासियों के लिए हितकारी हों। परिवर्द्धन/परिवर्तन के कार्य दखलकार के अनुरोध पर आवासों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवासों में भी किए जाते हैं जो अन्यथा इस टाइप के क्वार्टरों के लिए सुविधाओं के मानदण्ड के अंदर ही होते हैं, लेकिन जिनकी व्यवस्था मूल निर्माण के समय पर नहीं की गई होती है। ऐसे परिवर्द्धन/परिवर्तन सुविधा उपलब्ध करवाने की अनुमानित लागत के कतिपय प्रतिशित का भुगतान करने पर किए जाते हैं। ऐसे मदों की एक सूची तथा आबंटिती द्वारा वहन की जाने वाली लागत के प्रतिशित को अनुबंध-10 में दिया गया है। अनुबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न टाइट के क्वार्टरों के लिए किए जाने वाले परिवर्द्धन/परिवर्तन से संबंधित अधिकतम सीमा के संबंध में सूचना भी दी गई है। ऐसे कार्यों की मदें जिनके

लिए आबंटितियों को 100 प्रतिशत लागत का भुगतान करना अपेक्षित है। इन सीमाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों को आबंटित किए जाने वाले सी-1/सी-2 मकानों के अग्र/पिछली गलियों के आसपास बांस की जाफरी उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस पर बल नहीं दिया जाएगा कि पहले आबंटितियों द्वारा 20 प्रतिशत का निर्धारित अंशदान किया जाए। इस संबंध में तारीख 31.5.1996 के मंत्रालय के पत्र संख्या 10014/22/90-डब्ल्यू 3 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को नीचे पुन: दिया गया है:-

'चूंकि इन वरिष्ठ अधिकारियों की एकांतता तथा सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकता है तथा सी-1/सी-2 मकान उनकी हकदारी के स्तर से दो स्तर कम है। यह निर्णय लिया गया है कि सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों को आबंटित किए जाने वाले सी-1/सी-2 मकानों के अग्र/पिछली गलियों के आसपास बांस की जाफरी उपलब्ध कराई जाएगी तथा यदि व्यक्तगत स्तर पर ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो इस पर बल नहीं दिया जाए कि पहले आबंटिती द्वारा लागत का 20 प्रतिशत निर्धारित अंशदान किया जाए।

किंतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सरकारी आवासियों के लिए परिवर्द्धन/परिवर्तन पर होने वाले व्यय को लगातार न्यूनतम स्तर पर रखने का प्रयास करेगा।

किंतु किसी भी सरकारी आवास में एक बार किए गए किसी निर्मित कार्य में अतिरिक्त कार्य/परिवर्तन निर्माण कार्य (अस्थाई को छोड़कर) जो विशुद्ध रूप से विशेष सुरक्षा पहलुओं से संबंधित हो, संबंधित आबंटिती द्वारा इन मकानों के खाली करने पर हटा दिया जाएगा।

सरकारी भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया जाएगा:-

(i) स्थायी सरकारी भवनों में वाश-बेसिन अथवा सिंक आदि की व्यवस्था करने जैसी सुविधाओं को छोड़कर मुख्य वास्तुकार/वरिष्ठ वास्तुकार की लिखित में सहमति लिए बिना कोई भी परिवर्द्धन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ii) आबंटिती से अनुबंध-2 में दिए गए अनुसार एक फार्म भरने के लिए कहा जाएगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा यथाविधि हस्ताक्षर करके फार्म का प्रतिपत्रक आबंटिती को वापस कर दिया जाएगा।

(iii) आवेदन पत्र का भाग-ख कार्यालय में ही भरा जाएगा। परिवर्द्धन/परिवर्तन के संबंध में, होने वाली व्यय लागत का विवरण सिविल तथा विद्युत के सहायक अभियंता द्वारा भरा जाएगा। चूंकि परिवर्द्धन/परिवर्तन से संबंधित वार्षिक सीमा में सिविल तथा विद्युतकीय घटक दोनों शामिल होते हैं, समन्वय का कार्य सिविल विंग द्वारा किया जाएगा। सहायक अभियंता (सिविल) संपूर्ण रिकार्ड बनाए रखेगा।

(iv) परिवर्द्धन/परिवर्तन के कार्य को नियम के रूप में न लेकर अपवाद के रूप में लिए जाएगा क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता सीमित हैं।

(v) ऐस आवासों के संबंध में, जहां परिवर्द्धन/परिवर्तन का कार्य आबंटिती के अनुरोध पर किया गया हो, अनुपयोगी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जब ऐसा निर्माण कार्य मकान को वास्तविक रूप से अनुप्रयोगी कर देता है।

(vi) परिवर्द्धन/परिवर्तन के प्राक्कलनों की संख्या उप प्रभाग में सीमित की जानी चाहिए। एक उप प्रभाग में यथासंभव केवल एक अथवा अधिक से अधिक दो प्राक्कलन एक ही उप शीर्षक जैसे जल आपूर्ति तथा जल निकासी, बाड़ा लगाने आदि के लिए तैयार किए जाने चाहिए।

आबंटितियों द्वारा 100 प्रतिश अंशदान की अदायगी पर परिवर्द्धन/परिवर्तन को कार्य करने के संबंध में, मंत्रालय ने तारीख 26.10.98 के पत्र संख्या 11014/22/90-के द्वारा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को आबंटितियों द्वारा संस्थापन/संरचना में छेड़छाड़ किए बिना हटाया जा सकता है। दिशा-निर्देशों को नीचे पुन: दिया गया है:-

"यह प्रमाणित किया जाता है कि जब कभी आबंटिती द्वारा 100 प्रतिशत लागत की अदायगी करके कार्य की किसी चल योग्य बड़ी मद को किया जाता है (उदाहरणार्थ छत का पंखा, एक्जास्ट पंखा सी एफ एल फिटिंग, हीटर गीजर, ब्लूस्टर पम्प आदि) उक्त मद को फ्लैट के खाली करने पर उसका वापस कर दिया जाए, इस पर विचार किए बिना कि संबंधित आबंटिती के प्रवास के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इन मदों का रखरखाव किया गया, किन्तु इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे मदों को हटाने से मौजूदा किसी संस्थापन/संरचना को कोई हानि नहीं है।

बागवानी से संबंधित परिवर्द्धन/परिवर्तन का कार्य दखलकार के अनुरोध पर आवश्यकता को देखते हुए किया जा सकता है। ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं :-

(i) बाड़ा, झाड़ी, रोपण, बेद तथा शैलोधान (राकरी) आदि की लंबाई तथा डिजाइन में परिवर्तन।

(ii) टीला, तरंगण, शैलोधान आदि उपलब्ध कराकर बगीचे/लॉन के मूल डिजाइन में कुछ परिवर्तन करना।

(iii) मंडप, मेहराब, जी आई पाइप फ्रेम शेल्टर सीटर तथा वॉटर बॉडो आदि जैसे बगीचे की कुछ संरचनाओं को उपलब्ध कराया।

(iv) मौजूदा बगीचा क्षेत्र के अंदर नए पेड़ों/झाड़ी गमलों, रोपण गमले को गाड़ना अथवा बेड़ किचन गार्डन, लॉन आदि की स्थिति में परिवर्तन करना।

यदि इस स्कंध के द्वारा किए जा रहे कार्य से किसी अन्य स्कंध के कार्य को प्रभावित होने की संभावना हो, तो उसकी सामयिक सूचना तथा समन्वयन इस स्कंध द्वारा किया जाएगा।

बागवानी में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन का कार्य सक्षम प्राधिकारियों को प्रत्योजित शक्तियों के अनुसार उनके अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता पर किया जाएगा।

आबंटी के अनुरोध पर अनुमत्य परिवर्द्धन/परिवर्तन

1. फ्लैट/क्वार्टर में परिवर्द्धन/परिवर्तन के लिए केवल निम्नलिखित कार्य मदों को किया जा सकता है :

(क) सिविल कार्य

I. वे मदें जनमें आबंटी से अनुमानित लागत का 10% लिया जाता है :-

(i) चिमनी तोड़ने, जहां हो, सहित किचिन का नवीकरण, रसोई कार्य पटल पर मार्बल/कोटा पत्थर उचित सिंक और ड्रेनेज बोर्ड, डैडो में सफेद ग्लेज्ड टाइलें और शेल्वो का नवीरकण आदि।

(ii) मार्बल फर्शबंदी सहित शौचालय का नवीकरण और जुड़े पाइप कार्य सहित सफेद ग्लेज्ड टाइल डैडो और क्रोमियम चढ़ी फिटिंग।

(iii) भूमिगत जल टंकी/लाफ्ट टैंक उससे जुड़े पाइप कार्य सहित।

(iv) दरवाजों/खिड़कियों के लिए तार जारी शटर।

(v) वाश बेसिन व दर्पण तथा ग्लास शेल्व आदि।

(vi) अतिरिक्त अलमारियों की व्यवस्था।

(vii) बरामदे को ढक कर अतिरिक्त बंद स्थान बनाना आदि।

(viii) खिड़कियों में पेल्मेट/पर्दा छड़े।

(ix) प्रवेश द्वार/दरवाजों पर मैजिक ऑय और अन्य सुरक्षा संबंधी अन्वायुक्तियों का प्रावधान।

(x) क्वार्टर के चारों तरफ लोह के गेट सहित कंटीली तार बाड़।

II. वे मदें जिनमें आबंटी से अनुमानित लागत का 20% लिया जाता है :-

(i) बांस ठटियां

(ii) सीढ़ी क्षेत्र में कोलेप्सिबल शटर

III. वे मदें जिनमें आबंटी से अनुमानित लागत का 100% लिया जाता है :-

(i) परिसर के चारों तरफ अनुमोदित तरीके से उपयुक्त सामग्री वाला पेवमेंट क्षेत्र।

(ii) भारतीय पद्धति के डब्ल्यूसी को यूरोपियन शैली डब्ल्यूसी में तथा यूरोपियन शैली के डब्ल्यूसी को भारतीय शैली में बदलना।

(iii) फर्शबंदी बदलना।

(iv) दीवारों की फिनिशिंग को बेहतर सामग्री/पेंट से बदलना।

(v) आन्तरिक रंग सज्जा, पेंट आदि बदलना।

(vi) मान के भीतर और मकान के बाहर मकान तथा सर्वेंट क्वार्टर के बीच स्पिट बांस, चिकन जाली और लकड़ी विकल्प आदि द्वारा पार्टीसन का प्रावधान।

(vii) कार/स्कूटर के लिए और पैट एनीमल के लिए अस्थाई शेड।

(viii) विभाजक (पार्टीसन) द्वारा बरामद को बेहतर बनाना और दरवाजे/खिड़कियां आदि लगाकर/हटाना।

(ख) वैद्युत कार्य

(I) वे मदें जिनमें आबंटी से अनुमानित लागत का 10% लिया जाता है :-

(i) अतिरिक्त पावर ज्वाइंट/बिजील प्वाइंटों का प्रावधान।

(ii) वातानुकूलकों (इंडस्ट्रियल प्रकार) के लिए अतिरिक्त सॉकेटों का प्रावधान।

(iii) लाइट ब्रेकेट बदलना।

(iv) इंकैंडिसेंट लाइटों की बजाय फ्लूरसेंट ट्यूबों का प्रावधान।

(v) अतिरिक्त लाइट प्वाइंटों का प्रावधान।

(vi) अतिरिक्त कॉल बेल, मुख्य मकान से सर्वैंट क्वार्टर तक कॉल बेल प्वाईट सहित का प्रावधान।

(II) वे मदें जिनमें आबंटी से अनुमानित लागत का 100% लिया जाता है :-

(i) अतिरिक्त छत के पखें/एक्जास्ट पंखें का प्रावधान।

(ii) सजावटी लाइट फिटिंग का प्रावधान।

(iii) अतिरिक्त कंपाउन्ड लाइटों और ग्रेट के खंभों पर लाइट (टाइप-VII और VIII को छोड़कर) का प्रावधान।

(iv) मकान चारों तरफ प्लडलाइट का प्रावधान।

(v) वायरिंग व नलसाजी कार्य में ए/ए सहित हीटरों/गीजरों/बूस्टर पंपों का प्रावधान।

(vi) कंपेक्ट फ्लूरेसेट लैम्पों और फिटिंग का प्रावधान।

(vii) फीडर खंभों से मकान तक की केबल बदलना यदि मकान में अधिक भार के कारण अपेक्षित हो।

(III) वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के लिए किए जाने वाले परिवर्द्धन/परिवर्तन कार्यों की अधिकतम सीमा नीचे दी गई है। कार्य की वे मदें जिनके लिए आबंटी द्वारा 100% लागत दी जानी है वे इन सीमाओं से बंधी नहीं हैं :-

क्वार्टर का प्रकार	मौजूदा वित्तीय सीमा (रुपये)
I	2900
II	4000
III	4000
IV	10500
डी-I और डी-II फ्लैट	21700
सी-I और सी-II फ्लैट	26000
VII और VIII	39000

[अनुवाद]

नकली औषधि

286. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नकली औषधियों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जनवरी, 2003 से 15 जुलाई, 2003 तक की अवधि के दौरान, दिल्ली पुलिस ने, कुछ मामलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के औषध नियंत्रण विभाग के सहयोग से नकली दवाओं dsmRikbu vkg;k fcक्री से संबंधित 10 मामलों का पता लगाया है, जिनके संबंध में 15 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) दिल्ली में, नकली दवाओं के उत्पादन और परिचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं : (क) दवा उत्पादक परिसरों और बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच; (ख) दवाओं की असलीयत की जांच करने के लिए नकली ग्राहकों के जरिए दवाओं की खरीद; (ग) नकली दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच-पड़ताल; (घ) नकली दवाओं के उत्पादन/बिक्री में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी; (ङ) संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाओं, यदि कोई हो, के चलन के बारे में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध उत्पादकों के साथ गहन सम्पर्क और (च) सक्षम प्रवर्तन के लिए जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना।

नाल्को द्वारा लोगों का पुनर्वास

287. **श्री परसुराम माझी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में नालको की एलुमिना खानों के अंतर्गत बड़ी संख्या में गांव विस्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लोगों के पुनर्वास के लिए नालको द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक पुनर्वास दिए गए लोगों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के एल्युमिना संयंत्र और खानों के कारण दामनजोड़ी, कोरापुट (उड़ीसा) में कुल 12 गांव (इन गांवों के दो हेमलेटों को छोड़कर) जिसमें 523 परिवार शामिल थे, विस्थापित हुए थे। इसके अतिरिक्त, दो अन्य गांवों अर्थात् चरणगुली और मोरीचमल में दो परिवार ही आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त प्रभावित परिवारों में से 523 परिवारों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। चरणगुली और मोरीचमल गांवों के दो परिवारों ने अपने गांव में अपने समुदाय के साथ ही रहना पसंद किया है।

स्थानीय स्वशासी निकाय और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच संबंध

288. **श्री मोहन रावले :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक क्षेत्र को विशेषत: ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थानीय स्वशासी निकाय संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेंसियों के जरिए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक नॉडल एजेंसी के रूप में काम करती है। यह स्थानीय स्तर के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य के साथ स्वैच्छिक एजेंसियों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। स्वैच्छिक एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए कपार्ट उन सभी पंचायती राज संस्थाओं को परियोजनाओं के सभी मंजूरी पत्रां से अवगत कराती है जिनके क्षेत्रों में संबंधित परियोजनाएं तथा स्वैच्छिक संगठन मौजूद हैं। कपार्ट स्वैच्छिक संगठनों को पंचायत ग्राम सभाओं के समक्ष परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्टें प्रस्तुत करने की भी सलाह देती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव मांगा जाता है यदि कपार्ट सार्वजनिक भूमि और परिसंपत्तियों के संबंध में परियोजनाओं की सहायता करता है बशर्ते ग्राम पंचायत (मत्स्य तालाब, सार्वजनिक चरागाह भूमि, सामुदायिक वन/जंगल आदि जैसे सार्वजनिक सम्पदा संसाधनों के मामले में) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य लोगों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के साथ इन परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभों को स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कपार्ट कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से पहले एक समान रूप से बांटने के लिए इच्छुक हो।

[हिन्दी]

खेल-कूद के स्तर में गिरावट

289. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में खेल-कूद के स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जिन राज्यों में खेल-कूद के स्तर में गिरावट आ रही है वहां खेल-कूद के स्तर को सुधारने के लिए केन्द्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) देश में खेलों के स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। 'खेल' राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार, राज्य सरकारों के बजट आबंटन के अनुसार, खेल संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कदम उठाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को भी सहायता प्रदान की जा रही है। अन्तर-स्कूल टूर्नामेंटों के आयोजन और ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को खेल अवस्थापना के सृजन और खेल उपकरणों के लिये भी सहायता प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रशिक्षण यूनिटों के अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में भी एक उप-केन्द्र स्थापित कर रहा है, जिसमें काफी संख्या में खेल विधाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

[अनुवाद]

करबी अंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद्

290. डा० जयन्त रंगपी : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को करबी अंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद् से केन्द्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो लिबरेशन टाइगर के बीच हुए समझौते के खण्ड 8 के विरोध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कारबी अंगलोंग स्वायत्तशासी परिषद् ने दिनांक 10.2.2003 को केन्द्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिब्रेशन टाइगर (बी.एल.टी.) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.एस.) के खण्ड 8 को हटाने की मांग की है। परिषद के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

इफको द्वारा फार्म उत्पादों का प्रसंस्करण

291. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इफको फार्म उत्पादों के प्रसंस्करण में प्रवेश करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इफको द्वारा इस संबंध में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इफको द्वारा फार्म उत्पादों के प्रसंस्करण में प्रवेश करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इफको ने खाद्य प्रसंस्करण/कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रवेश करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कदम उठाएं हैं।

(ग) से (ङ) इफको द्वारा आगे की कार्रवाई उनके द्वारा इस

उद्देश्य के लिए नियुक्त परामर्शदाता से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा पर निर्भर है।

[हिन्दी]

अ०जा०/अनु०ज०जा०/अ०पि०व० के लिए आरक्षण

292. **श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गृह मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों और उपक्रमों में काम करने वाले क, ख, ग और घ समूह के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय (मुख्य) के विभागों के बारे में आज तक की तिथि की स्थिति के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

गृह मंत्रालय के अधीन उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

गृह मंत्रालय (मुख्य) के विभागों में कार्यरत 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों और इन कर्मचारियों में से अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्याओं के बारे में सूचना

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
क	181	1	23	1
ख	402	12	58	10
ग	1797	122	160	227
घ	354	20	134	18
कुल	2734	155	375	256

देश में स्टेडियम

293. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्मित स्टेडियमों, खेल मैदानों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना तैयार की गयी है;

(ग) क्या सब प्रकार के खेलकूद से संबंधित खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र को भी शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) "खेल" राज्य सूची का विषय है और सभी स्तरों पर खेलों का संबर्धन करने के लिए, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर खेल संबंधी सुविधाओं का सृजन मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना" के अंतर्गत विभिन्न खेल संबंधी सुविधाओं के सृजन के लिए राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर, राज्य सरकारों/नगर निगमों/सरकारी स्कूलों को केन्द्रीया सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्टेडियमों/खेल मैदानों का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। विवरण में दिए गए ब्यौरे में ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित अवस्थापना भी शामिल है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	2000-01		2001-2002		2002-2003	
		जारी की गई राशि	सहायता-प्राप्त स्टेडियमों/खेल मैदानों की संख्या	जारी की गई राशि	सहायता-प्राप्त स्टेडियमों/खेल मैदानों की संख्या	जारी की गई राशि	सहायता-प्राप्त स्टेडियमों/खेल मैदानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	हिमाचल प्रदेश	51.414	3	45.05	6	6.61	3
2.	हरियाणा	10.80	1	37.00	2	1.20	1
3.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	0.409	1	5.02	5
4.	दिल्ली	—	—	2.52	1	—	—
5.	पंजाब	275.57	11	152.52	10	10.00	1
6.	राजस्थान	—	—	0.043	1	10.71	2
7.	उत्तर प्रदेश	0.50	1	32.58	2	16.29	1
पश्चिमी क्षेत्र							
8.	गुजरात	1.18	1	—	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	—	—	58.82	5	42.60	3
10.	महाराष्ट्र	0.50	1	—	—	60.00	2
पूर्वी क्षेत्र							
11.	प० बंगाल	0.493	1	10.00	1	8.00	1
12.	उड़ीसा	—	—	—	—	15.50	2
दक्षिणी क्षेत्र							
13.	आन्ध्र प्रदेश	100.00	1	30.00	1	13.74	1
14.	कर्नाटक	45.712	5	31.45	4	82.198	14

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	केरल	22.544	5	1.66	1	0.124	1
16.	तमिलनाडु	16.473	1	25.30	2	69.50	6
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
17.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	56.85	4	156.44	6
18.	असम	25.30	2	50.00	2	73.50	3
19.	मणिपुर	40.00	2	33.04	3	62.50	5
20.	मिजोरम	125.50	12	—	—	57.75	11
21.	नागालैंड	—	—	107.63	29	174.00	7

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार के कब्जे में सरकारी आवास/फ्लैट

294. श्री अमर राय प्रधान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार द्वारा अपनी शाखाएं तथा उचित दर दुकान खोलने के लिए क्षेत्रवार कितने सरकारी आवास/फ्लैट केन्द्रीय भण्डार के कब्जे में हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार ने 2003 के आरम्भ से अपनी उचित दर दुकानों से राशन का वितरण बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के अन्तर्गत मंत्रालय या सम्पदा निदेशालय ने केन्द्रीय भण्डार प्रबंधन को इस प्रकार के सभी सरकारी आवासों को खाली करने के लिए नहीं कहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकारी कर्मचारियों की एक मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी, केन्द्रीय भण्डार जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को उपभोक्ता व किराने की वस्तुओं की बिक्री सहित विभिन्न क्रियाकलाप करता है। यद्यपि केन्द्रीय भण्डार ने अपने बिक्री केन्द्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं की बिक्री मई, 2003 से बंद कर दी है, लेकिन केन्द्रीय भण्डार अपने बिक्री केन्द्रों के जरिए, सरकारी कालोनियों में रह रहे लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुहैया कराने का अपना मूल कार्य अभी भी कर रहा है। अत: केन्द्रीय भंडर को इसके मौजूदा बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिए आबंटित रिहायशी वास को खाली करने के लिए नहीं कहा गया है।

विवरण

क्रमांक	क्वार्टर सं०	क्षेत्र
1	2	3
1.	बी-I/313	काली बाड़ी मार्ग
2.	बी-I/314	काली बाड़ी मार्ग
3.	बी-I/315	काली बाड़ी मार्ग
4.	बी-245	सरोजिनी नगर
5.	एच-634	सरोजिनी नगर
6.	एच-638	सरोजिनी नगर
7.	एफ-9	एन्डूज गंज
8.	एफ-11	एन्डूज गंज

1	2	3
9.	बी-85	मोती बाग
10.	बी-87	मोती बाग
11.	33	उत्तर-पश्चिम मोती बाग
12.	एस-IX/821	आर०के० पुरम
13.	एस-VII/1013	आर०के० पुरम
14.	एस-VII/1015	आर०के० पुरम
15.	एस-IX/329	आर०के० पुरम
16.	एस-V/299	आर०के० पुरम
17.	एच-379	नानकपुरा
18.	जी-519	श्रीनिवासपुरी
19.	बी-83	किदवई नगर
20.	एस-II/1	सादिक नगर
21.	डी-808	मन्दिर मार्ग
22.	535/(75-जैड)	तिमारपुर
23.	एफ-147	नौरोजी नगर
24.	20-ए	वसंत विहार
25.	20-बी	वसंत विहार
26.	15/190	प्रेम नगर
27.	15/192	प्रेम नगर
28.	10/165	लोधी कालोनी
29.	आई-437	कस्तुरबा नगर
30.	आई-441	कस्तुरबा नगर
31.	आई-445	कस्तुरबा नगर
32.	डी-II/321	पंडारा रोड

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

295. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक हिंसा और नफरत की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि का यह बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस पर निर्णय ले लिए जाने के बाद प्रश्नाधीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का छापा

296. डा० एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 10 जुलाई, 2003 को एन.डी.एम.सी. के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा दिल्ली में एक होटल मालिक के आवास तथा कार्यालयों पर छापा मारा;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा सीबीआई ने किन कारणों से आवास तथा कार्यालयों पर छापा मारा;

(ग) छापे के दौरान क्या-क्या जब्त किया गया; और

(घ) उनके विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध एक मामला, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारियों द्वारा दो प्राइवेट व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और उन्हें धन-संबंधी लाभ पहुंचाने हेतु अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग किया, दर्ज करने के पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों के कार्यालयों/निजी परिसरों की तलाशी ली

गई। जब्त की गई चीजों में जांच-पड़ताल से संगत दस्तावेज/सामग्री और अभियुक्तों में से एक अभियुक्त और उसकी पत्नी के बैंक लॉकरों से बरामद की गई 19.30 लाख रु० की धनराशि थी।

(घ) कथित अपराध, यदि सिद्ध हो जाता है, तो यह एक दांडिक अपराध है जिसके फलस्वरूप दंड दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

जल एवं मल व्ययन योजनाएं

297. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री राजो सिंह :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों ने विभिन्न नगरों तथा उप-नगरों में जल एवं मल व्ययन प्रणाली में सुधार हेतु योजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी तथा वित्तीय सहायता के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि और चालू वर्ष के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) शेष योजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजनाओं का राज्यवार प्राप्ति का ब्यौरा और उनकी जांच प्रक्रिया की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इन योजनाओं का अनुमोदन योजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, धनराशि की उपलब्धता तथा पिछले वर्षों में राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता के बारे में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों और उपयोग प्रमाणपत्रों पर निर्भर करेगा। उपरोक्त कारकों को दृष्टिगत रखते हुए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण-I

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

योजनाओं की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

2001 से 2003-04 तक योजनाओं की स्थिति

(30.6.2003 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु० में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजनाएं								जांचाधीन योजना		वापस की गई योजना	
		2001-01		2001-02		2002-03		2003-04					
		सं०	स्थापना लागत	सं०	स्थापना लागत	सं०	स्थापना लागत	सं०	स्थापना लागत	सं०	स्थापना लागत	सं०	स्थापना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	7	1494.40	–	–	–	–	–	–	1	548.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	2	999.78	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार	—	—	4	646.05	1	70.69	7	1491.19	—	—	—	—
5.	छत्तीस	—	—	10	1047.27	8	674.81	—	—	—	—	—	—
6.	गोवा	—	—	2	301.00	—	—	—	—	—	—	2	75.19
7.	गुजरात	4	846.78	6	249.31	22	2308.58	—	—	—	—	12	4957.75
8.	हरियाणा	8	1960.20	3	688.73	4	1182.01	2	371.26	8	1821.20	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	1	188.00	2	995.18	—	—	—	—	—	—	1	73.09
10.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	झारखण्ड	1	148.55	—	—	—	—	—	—	—	—	3	340.36
12.	कर्नाटक	4	1088.70	4	1091.40	4	3129.98	—	—	—	—	—	—
13.	केरल	2	510.72	—	—	5	1072.84	—	—	—	—	—	—
14.	मध्य प्रदेश	9	1280.50	—	—	42	5042.29	—	—	1	229.26	26	3744.91
15.	महाराष्ट्र	5	2060.18	—	—	5	2255.02	—	—	1	98.31	8	2775.25
16.	मणिपुर	3	653.54	1	141.09	5	558.12	—	—	—	—	1	234.52
17.	मेघालय	1	386.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	1	322.28	—	—	1	186.28	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	6	722.79	—	—	3	1019.22	—	—	3	618.23	—	—
21.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	1	189.49	2	133.75
22.	राजस्थान	9	1226.68	6	932.82	10	1341.13	—	—	—	—	1	153.00
23.	सिक्किम	—	—	—	—	1	335.88	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	8	1444.12	2	1280.14	10	1972.52	—	—	—	—	1	131.00
25.	त्रिपुरा	3	800.97	1	267.25	2	599.40	—	—	—	—	1	408.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तर प्रदेश	62	5012.66	36	2974.04	89	6564.76	6	707.15	18	1118.40	17	1162.77
27.	उत्तरांचल	5	1125.31	—	—	7	1283.86	—	—	—	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	4	994.01	1	128.84	2	610.82	—	—	—	—	1	299.0
	कुल	136	20775.07	65	12337.74	223	31208.09	15	2269.62	32	4074.89	79	15596.95

विवरण-II

30.6.2003 की स्थिति के अनुसार

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

वित्तीय प्रगति

क्रम स.	राज्य	2000-01 के दौरान वार्षिक आबंटन	2001-02 के दौरान वार्षिक आबंटन	2002-03 के दौरान वार्षिक आबंटन	2003-04 के दौरान वार्षिक आबंटन	2000-01 के दौरान जारी राशि	2001-02 के दौरान जारी राशि	2002-03 के दौरान जारी राशि	2003-04 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.57	297.73	382.19	438.76	0.00	361.30	385.90	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.32	71.74	92.09	105.73	50.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	319.28	473.91	608.35	698.39	0.00	0.00	571.60	0.00
4.	बिहार	308.40	261.96	336.27	386.05	0.00	0.00	419.05	17.67
5.	छत्तीसगढ़	—	264.64	339.72	390.00	—	311.42	430.52	0.00
6.	गोवा	37.95	57.22	73.45	84.32	0.00	75.31	75.29	0.00
7.	गुजरात	329.47	489.06	627.80	720.72	386.10	464.34	664.47	577.14
8.	हरियाणा	128.30	190.44	244.46	280.65	438.85	647.31	579.94	280.64
9.	हिमाचल प्रदेश	48.19	71.53	91.81	105.40	125.25	320.78	297.60	0.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	29.51	44.70	57.38	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखंड	—	194.91	250.20	287.23	—	0.00	445.97	0.00
12.	कर्नाटक	396.93	589.19	756.34	868.28	555.80	708.09	1055.35	782.49
13.	केरल	142.15	211.00	270.86	310.95	127.68	127.67	268.21	0.00
14.	मध्यप्रदेश	922.16	1105.07	1418.56	1628.52	559.76	590.44	1236.46	0.00
15.	महाराष्ट्र	390.30	579.36	743.72	853.79	437.92	593.68	563.76	0.00
16.	मणिपुर	101.05	150.00	192.55	221.05	206.00	241.26	174.80	139.53
17.	मेघालय	19.04	28.26	36.28	41.65	96.53	96.52	0.00	0.00
18.	मिजोरम	52.72	78.26	100.46	115.33	138.11	120.82	46.57	46.57
19.	नागालैंड	24.90	36.96	47.44	54.46	85.98	0.00	85.42	0.00
20.	उड़ीसा	247.56	365.67	469.41	538.89	245.79	245.73	254.81	0.00
21.	पंजाब	134.93	200.27	257.08	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	378.26	561.48	720.76	827.44	306.74	539.73	568.48	0.00
23.	सिक्किम	7.32	10.87	13.95	16.02	0.00	28.92	83.97	16.01
24.	तमिलनाडु	375.85	558.79	717.31	823.48	535.54	855.58	813.16	493.13
25.	त्रिपुरा	67.36	100.00	128.37	147.37	175.25	344.39	241.66	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1491.92	2068.88	2655.81	3048.88	1680.19	2219.25	2426.09	1647.45
27.	उत्तराचंल	—	144.84	185.93	213.45	—	327.03	320.97	0.00
28.	पं० बंगाल	197.56	293.26	376.45	432.17	248.51	280.43	184.95	152.73
	कुल	6400.00	9500.00	12195.00	14000.00	6400.00	9500.00	12195.00	4153.36

संबंधित मूल राज्य में शामिल

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा छापे

298. श्री अधीर चौधरी : क्या कोयला मंत्री 8.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरां पर सी.बी.आई. द्वारा छापे मारे गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : ग्रेडवार अधिकारियों के जिनके परिसरों पर सी.बी.आई. द्वारा छापे मारे गए हैं कम्पनी वार ब्यौरे निम्नानुसार है-

ग्रेड	ई.सी. एल.	बी.सी.सी. एल.	सी.सी. एल.	डब्ल्यू.सी. एल.	एस.ई.सी. एल.	एम.सी. एल.	एन.सी. एल.	सी.एम.पी.डी. आई.एल.	सी.आई. एल.(मु.)	कुल
बोर्ड स्तर	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3
एम-3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
एम-2	1	5	2	–	–	–	–	–	–	8
एम-1	2	4	3	2	–	–	–	–	–	11
ई-5	–	16	6	2	1	–	1	1	–	27
ई-4	1	8	1	–	1	–	–	–	–	11
ई-3	1	8	3	–	–	–	1	–	–	13
ई-2	4	6	–	–	–	–	–	–	–	10
छापे मारे गये अधिकारियों की संख्या	10	47	18	04	02	–	02	01	–	84

जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद-विरोधी अभियान

299. श्री विनय कुमार सोराके : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद विरोधी अभियानों में लगी हुई सुरक्षा एजेंसियों का एक संयुक्त मुख्यालय गठित करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मुख्यालय की स्थापना असम/पूर्वोत्तर में वर्तमान में कार्यरत मुख्यालय के अनुरूप की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद-प्रतिरोध प्रयासों में समन्वय के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू में दो एकीकृत मुख्यालयों (यू.एच.क्यू.) का गठन किया गया है। वर्तमान में लागू आदेशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री दोनों एकीकृत मुख्यालयों के अध्यक्ष हैं और XV और XVI कोर के दो जनरल ऑफिसर्स कमान्डिंग, जम्मू और कश्मीर सरकार के पदेन सुरक्षा सलाहकारों के रूप में, अर्द्धसैनिक एजेन्सियों, राज्य आसूचना और सिविल प्रशासन के अन्य प्रतिनिधियों के साथ इसके सदस्य हैं। हाल ही में, सरकार द्वारा दोनों एकीकृत मुख्यालयों की संरचना और कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि किसी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है और यह कि विद्यमान प्रणाली को इसके मौजूदा स्वरूप में कार्य जारी रखना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० भूमि पर अतिक्रमण

300. **श्री हरिभाई चौधरी :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान-वार कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या इन भूमियों पर अतिक्रमण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर अभी तक निर्माण पूरा किया जा चुका है;

(ङ) क्या ये निर्माण कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार कराये जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 4271.83 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

रोहिणी	1478 एकड़
मदनपुर खादर	122 एकड़
धीरपुर	151 एकड़
द्वारका	1507 एकड़
जसोला	92 एकड़
नरेला	532 एकड़

विभिन्न क्षेत्रों में अन्य भूमि 389.83 एकड़

(ख) और (ग) रोहिणी और नरेला के कुछेक छोटे हिस्सों को छोड़कर जिनका कब्जा नहीं लिया गया है, उपर्युक्त किसी भूमि पर अधिक्रमण नहीं है। इसी प्रकार आनंद पर्वत, बसई धरापुर और मसूदपुर आदि में 345 एकड़ भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है क्योंकि उनके संबंध में मुकदमा चल रहा है।

(घ) रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 के तहत 4000 प्लाट आबंटित किए गए हैं। मदनपुर खादर में 10061 प्लाटों का विकास किया गया है और वे दिल्ली के विभिन्न स्थानों के विस्थापित परिवारों को आबंटित किए गए हैं।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसी भूमि का उपयोग और उस पर निर्माण निर्धारित मानदण्डों/अनुमोदित प्लानों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

चर्चों तथा मस्जिदों का अध्ययन

301. **श्री एन.एन. कृष्णदास :**
प्रो. ए.के. प्रेमाजम :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनगणना विभाग ने केरल मे चर्चों तथा मस्जिदों का अलग-अलग अध्ययन कराने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु तैयार प्रश्न-सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या ऐसे समुदाय-वार अध्ययन संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानंद स्वामी) : (क) जी, हां। जनगणना विभाग द्वारा पूर्व में किए गए केरल के मंदिरों के अध्ययन के अनुरूप एक सामाजिक अध्ययन, अन्तर-जनगणना परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है।

(ख) प्रारम्भिक सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस अध्ययन का प्रारम्भिक उद्देश्य चर्चों और मस्जिदों की सूची तैयार करके उनमें से कुछ चर्चों और मजिस्दों का उनके इतिहास, उनकी प्राचीनता, पौराणिकता और उनके सम्बन्ध में जुड़ी किंवदंतियों से सम्बन्धित दस्तावेज जुटाकर समाज और व्यक्तियों के साथ उनके पारस्परिक जुड़ाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

जनगणना कार्य निदेशालय, केरल

सीजीओ कॉंप्लक्स, पूंकुलम, तिरुवनंतपुरम - 695 522

केरल की मस्जिदों और चर्चों का अध्ययन

प्रश्नावली : मस्जिद/चर्च

(प्रत्येक मस्जिद/थैक्कावु/दुर्ग और चर्च/प्रार्थना-स्थल के संबंध में एक प्रश्नावली भरें)

1. मस्जिद/चर्च का नाम एवं पता : .....

.....

.....

पिन | | | | | | |

एस.टी.डी. कोड | | | | | |

दूरभाष संख्या | | | | | | | |

2. लोकेशन के ब्यौरे :

जिला	तालुक	गांव	पंचायत/नगर पालिका/निगम	वार्ड

3. पंथ (यदि मस्जिद हो), सम्प्रदाय (यदि चर्च हो) .....

यदि मस्जिद है तो क्या वह वक्फ बोर्ड से पंजीकृत है? हां/नहीं

यदि चर्च है,

पैरिश	फोरेन	डायोसीज/भद्रासनम

4. निर्माण का वास्तविक वर्ष

(यदि वास्तविक निर्माण सन् 1900 के पश्चात हुआ है तो निम्नलिखित विवरण भरें।)

5. मस्जिद/चर्च किसके नाम से बनाई गई थी और क्या इसका जीर्णोद्धार हुआ था?

6. क्या मस्जिद/चर्च में कोई भित्ति-चित्र/नक्काशी/पुरावस्तु/कलाकृति पाई गई हैं

7. प्रार्थना/पूजा के विवरण

8. मुख्य त्यौहार कौन-कौन से हैं और ये कब मनाए जाते हैं?

9. मस्जिद/चर्च में कितने व्यक्ति बैठक सकते हैं और इससे कितने परिवार जुड़े हुए हैं?

10. मस्जिद/चर्च के साथ जुड़ी कोई पौराणिक-कथा/किंवदंती

11. मस्जिद/चर्च द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के ब्यौरे

विद्यालयों की संख्या :	प्राइमरी से नीचे		प्राइमरी से ऊपर		हाई स्कूल		हायर सकैण्डरी	
कालेजों की संख्या		तकनीकी संस्थानों की संख्या		अस्पतालों की संख्या				
मदरसों की संख्या		प्रार्थनालयों की संख्या		अनाथलायों की संख्या				

अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, के लिए स्थान.....

स्थान :

दिनांक : ग्राम अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम

ग्रामीण विकास योजनाओं का नवीकरण

302. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वर्तमान ग्रामीण विकास योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने हेतु उनके नवीकरण का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितनी योजनाओं का नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसके लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्सा सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के बजाए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धनराशि को राज्यों की समेकित धनराशि में जारी करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या कुछ राज्यों ने प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में विरोध जताया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) मौजूदा ग्रामीण विकास योजनाओं की पुनर्गठित करने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को निधियां रिलीज करने का ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियां रिलीज करने की प्रणाली में किसी परिवर्तन का विचार नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) पश्न नहीं उठता।

उप प्रधान मंत्री का दौरा

303. **श्री नरेश पुगलिया : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-प्रधान मंत्री ने जून, 2003 में अमरीका और ब्रिटेन का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ अमरीका तथा ब्रिटेन जाने वाले सरकारी अधिकारियों का विवरण क्या है; और

(ग) अमरीका तथा ब्रिटेन की इस यात्रा पर गए इन अधिकारियों के पति/पत्नियों पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उप-प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले सरकारी प्रतिनिधिमंडल में, सुरक्षा दल को छोड़ कर, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) श्री एन. गोपालास्वामी, गृह सचिव

(ii) श्री के.पी. सिंह, निदेशक, आसूचना ब्यूरो

(iii) श्री अजय प्रसाद, उप-प्रधान मंत्री के विशेष-कार्य अधिकारी

(iv) श्री दीपक चोपड़ा, उप-प्रधान मंत्री के निजी सचिव

(v) श्री जयंत प्रसाद, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय (यू.एस.ए. के दौरे हेतु)

(vi) श्रीमती भासवती मुखर्जी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय (यू.के. के दौरे हेतु)

(ग) हवाई यात्रा पर लगभग 13.95 लाख रु. की राशि और इन अधिकारियों की पात्रता के अनुसार दैनिक भत्ते के कारण 4500 अमेरिकी डालर खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल को उनकी पात्रता के अनुसार आवास, विमानपत्तन कर, अनुषंगिक मंजूर किए गए। चूंकि सरकार द्वारा इन अधिकारियों की पत्नियों पर किसी भी व्यय की मंजूरी नहीं दी गई है इसलिए सरकार द्वारा उन पर कोई व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजनीतिक दलों को आवासों का आवंटन

304. श्री ए. नरेन्द्र : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राजनैतिक दलों से सरकारी आवास आवंटित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार ने कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालयों को खाली कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ दलों ने सरकार से राजधानी में वैकल्पिक आवास आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दलों को कब तक वैकल्पिक आवास प्रदान किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने राजनीतिक दलों को सरकारी आवास को वापस करने हेतु नोटिस जारी किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय लोक दल तथा राष्ट्रीय लोक दल से अपने दल के कार्यालयों के लिए सरकारी वासों के आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में वर्तमान नीति को अपनाये जाने के बाद विगत तीन वर्षों में भी राजनीतिक दल से उसे आवंटित सरकारी वास खाली नहीं कराया गया है।

(ङ) और (च) इस संबंध में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और अनुरोध किया गया वैकल्पिक वास उस दल को दे दिया गया।

(छ) और (ज) 5, राससीना रोड, सो-II/109, चाणक्यापुरी तथा 26, अकबर रोड़ को खाली करने के आदेश पारित किये गये हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनधिकृत कब्जे में हैं। उस दल के द्वारा इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालन में ले जाया गया। उच्च न्यायालय ने खाली करने पर रोक लगा दी है तथा मामला न्यायाधीन है।

समाजवादी पार्टी के कब्जे वाले फ्लेट सं. 18, कॉपरनिकस मार्ग को भी खाली करने का आदेश पारित किया गया है। तथापि, अनुपलब्धता के कारण इस पार्टी को अभी तक अपनी हकदारी के मुताबिक विठ्ठलभाई पटेल हाऊस में वास मुहैया नहीं कराया गया है। इसलिए बेदखली के आदेश को अमल में नहीं लाया गया है।

आर्थिक नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन

305. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य-सरकार के कर्मचारियों के केन्द्र-सरकार-कर्मचारी-परिसंघ तथा अखिल भारतीय राज्य-सरकार-कर्मचारी-संघ ने सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध विरोध जताने के लिए 21 मई, 2003 को एक दिन की हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के कारणों और उनकी विशिष्ट मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हड़ताल को रोकने तथा मुद्दों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) कॅनफेडरेशन ऑव दॅ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज एण्ड वर्कस ने नोटिस दिया था कि केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी मई 21, 2003 को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे जो कॅनफेडरेशन से संबद्ध फेडरेशनों

और एसोसिएशनों के सदस्य हैं। उन मांगों का चार्टर संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनके समर्थन में उपर्युक्त हड़ताल का नोटिस दिया गया था।

विभिन्न राज्य-सरकारों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों से संबंधित मसले, संबंधित राज्य-सरकारों के सरोकार होते हैं तथा इस बारे में कोई भी जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ग) नियोक्ता के रूप में सरकार ने अपने और अपने कर्मचारियों की आम सभा के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने और अधिकतम पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर्मचारी-पक्ष से परामर्श करके, 1966 में, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में संयुक्त परामर्शदायी तंत्र और अनिवार्य विवाचन की योजना कायम की थी। इस योजना में बातचीत और विवाचन की प्रक्रिया के माध्यम से, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और अन्य संबद्ध मुद्दों सहित, सामान्य सरोकार के मुद्दे निबटाने की दृष्टि से सुस्पष्टत: निर्धारित तंत्र पहले से मौजूद है। मांगों के उपर्युक्त चार्टर में उठाए गए ऐसे मुद्दों पर उपर्युक्त तंत्र के माध्यम से, उन्हें कर्मचारी-पक्ष द्वारा कार्य-सूची के मदों के रूप में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में विचार किया जा सकता है जो उपर्युक्त योजना के दायरे के अंतर्गत आते हैं।

विवरण

कॅनफेडरेशन ऑव सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज एण्ड वर्कर्स
डी-7, समरू प्लेस, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001.

मई 06, 2003

मंत्रिमंडल-सचिव को संबोधित, दिनांक मई 06, 2003 के पत्र का संलग्नक

मांगों का चार्टर

1. मुनाफा कमाने वाले, आर्थिक रूप से सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण पर रोक।

2. कर्मचारियों के हित में बने श्रम-कानूनों में ऐसा कोई भी फेर-बदल नहीं किया जाना जो श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल हो।

3. कृषि से संबंधित काम-काज में लगे श्रमिकों के संबंध में व्यापक विधान का तत्काल अधिनियमित किया जाना।

4. बेकारी और बेरोजगारी की हालत को बहुत ज्यादा खराब बनाने वाली नीतियों का नकारा जाना।

5. असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों और ग्रामीण डाक-सेवकों सहित, सभी श्रमिकों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के दायरे का बढ़ाया जाना।

6. आयात पर मात्रा से संबंधित प्रतिबंध का बहाल किया जाना।

7. बोनस-भुगतान-अधिनियम को सभी सीमाएं समाप्त करके, संशोधित किया जाना।

8. भविष्य-निधि में जमा धनराशियों पर 12 प्रतिशत ब्याज-दर का बहाल किया जाना।

9. व्यय-सुधार-समिति और डॉ. विजय केलकर-समिति की सिफारिश के आधार पर सरकारी विभागों के निजीकरण तथा उनके कर्मचारियों की संख्या घटाना बंद किया जाना।

10. रिक्त पद समाप्त करना बंद किया जाना तथा भर्ती पर लगी रोक का हटाया जाना।

11. महंगाई-भत्ता, पैंशन आदि जैसी मौजूदा आर्थिक प्रसुविधाओं में कमी करना बंद किया जाना।

12. घोर श्रमिक-विरोधी आर्थिक नीतियों का निरस्त किया जाना।

13. ट्रेड यूनियन और जनतांत्रिक अधिकारों पर आक्रमण करना बंद किया जाना तथा संविदा के आधार पर और नियत वेतन के अधार पर श्रमिक-कर्मचारी रखना बंद किया जाना।

14. डाक-सेवाओं का निजीकरण नहीं होने देने की दृष्टि से, डाक-विधेयक का वापस ले लिया जाना।

[हिन्दी]

दुल्हनों का शोषण

306. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीय दुल्हों द्वारा उत्तरी राज्यों से संबंधित भारतीय दुल्हनों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में कई मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीय दुल्हों द्वारा दुल्हनों का शोषण रोकने के लिए कानून में संशोधन करने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर अब तक विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं

307. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री राजैया मल्याला :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वजलधारा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक राज्यवार कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं/लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ग) उनके लम्बन के क्या कारण हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) अब तक आवंटित और निर्गत निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कुछ राज्यों विशेषकर केरल में "स्वजलधारा योजना" के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का वित्तपोषण करना बंद कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वजलधारा पर विस्तृत दिशा-निर्देश जून, 2003 में जारी किए गए हैं जिसमें जिला स्तर पर सभी योजनाओं का अनुमोदन निर्धारित है। राज्य सरकारों को तदनुरूप सलाह दी गई कि वर्ष 2002-03 में स्वीकृत न की जा सकी सभी स्वजलधारा योजना प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2003-04 के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत किए गए आबंटन के तहत विचार करें।

(ङ) स्वजलधारा के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के लिए किए गए आबंटन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिला-वार आबंटन और बैंक खातों के ब्यौरे की जानकारी दें, ताकि पहली किस्त (आबंटन का 50 प्रतिशत) जारी की जा सके। वर्ष 2003-04 के लिए अब तक के आबंटन की तुलना में कोई रिलीज नहीं की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	स्वीकृत प्रस्तावों की सं.	वापस लिए गए/ लौटाए गए/लौटाए जाने वाले प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9037	1728	7309
2.	असम	103	54	4०
3.	छत्तीसगढ़	266	102	164
4.	गुजरात	136	30	106
5.	हरियाणा	45	2	43

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	495	473	22
7.	जम्मू व कश्मीर	2	0	2
8.	कर्नाटक	247	62	185
9.	केरल	536	129	407
10.	मध्य प्रदेश	819	118	701
11.	महाराष्ट्र	1491	821	670
12.	नागालैंड	14	0	14
13.	उड़ीसा	474	288	186
14.	पंजाब	53	0	53
15.	राजस्थान	224	35	189
16.	सिक्किम	1	0	1
17.	तमिलनाडु	1255	390	865
18.	त्रिपुरा	5	0	5
19.	उत्तर प्रदेश	5033	655	4398
20.	पश्चिम बंगाल	115	8	107
21.	दादरा व नगर हवेली	1	1	0
	कुल	20372	4896	15476

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1616.0682
2.	बिहार	873.7258
3.	गोवा	14.5599
4.	गुजरात	765.5599
5.	हरियाणा	234.2310
6.	हिमाचल प्रदेश	680.1878
7.	जम्मू व कश्मीर	1497.9045
8.	कर्नाटक	1397.0289
9.	केरल	504.0335
10.	मध्य प्रदेश	840.5377
11.	महाराष्ट्र	2172.1477
12.	उड़ीसा	733.2772
13.	पंजाब	313.7885
14.	राजस्थान	2191.7715
15.	तमिलनाडु	673.2189
16.	उत्तर प्रदेश	1532.9113
17.	प. बंगाल	943.9022
18.	छत्तीसगढ़	262.7955
19.	झारखंड	356.0226
20.	उत्तरांचल	364.3316
21.	अरुणाचल प्रदेश	447.41
22.	असम	754.59
23.	मणिपुर	153.59
24.	मेघालय	176.96
25.	मिजोरम	126.88
26.	नागालैंड	130.22

1	2	3
27.	सिक्किम	53.42
28.	त्रिपुरा	156.93
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12.00
30.	चंडीगढ़	0.00
31.	दादरा एवं नगर हवेली	8.00
32.	दमन व दीव	0.00
33.	दिल्ली	6.00
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पांडिचेरी	6.00
	कुल	20000.00

एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) की मांग

308. **श्री के.ए. सांगतम :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के नेताओं ने गृह मंत्रालय के उस पूर्व सचिव को तत्काल बदलने की मांग की है जो सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच वार्ताकार के रूप में कार्य कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अगले दौर की शांति वार्ता के लिए क्या समय और स्थान निर्धारित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) वार्ता का अगला दौर बैंकाक में आयोजित किया जाएगा।

रेहड़ी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति

309. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की सलाह पर सरकार ने खोमचे वालों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी और इस नीति के कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(घ) शहरों में गरीबी निवारण को आर्थिक स्थिरता वाला कार्य कराने हेतु नीति में क्या उपाय सम्मिलित किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा रेहड़ी वालों पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ने रेहड़ी वालों के लिए एक कार्य दल के गठन की सिफारिश की तथा उसके बाद कार्य दल ने रेहड़ी वालों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) रेहड़ी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के उद्देश्य से गठित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तथा सरकार द्वारा उसकी जांच की जा रही है।

प्रधान मंत्री सुरक्षा

310. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29.6.03 को नई दिल्ली में तीन मूर्ति मार्ग के निकट प्रधान मंत्री की कार हेतु लगाये गए पुलिस सुरक्षा घेरे में दो मोटर साइकिल सवार घुस गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में प्रधान मंत्री के आने जाने के मार्ग में कई सुरक्षा शाखाएं कार्यरत रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) हाल ही में प्रधानमंत्री के रास्ते में, "घुसपैठ" की घटनाएं हुई हैं परंतु इनमें से किसी का भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करने का कोई इरादा नहीं था।

(घ) मामले की गहन पुनरीक्षा करने के पश्चात् दिल्ली पुलिस ने अतिविशिष्ट व्यक्ति के रास्ते की व्यवस्थाओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ किया है।

श्रमिकों के अभाव के कारण उत्पादन कार्य का रोका जाना

311. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की किन-किन खानों में भूमिगत और सतही कार्य में कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन कार्य रोका गया है।

(ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की किन-किन खानों में इस कारण से उत्पादन कार्य एक पाली, दो पालियों और तीन पालियों में रोका गया है; और

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की किन-किन खानों में इस कारण से एक, दो या दो से अधिक जिलों में उत्पादन कार्य रोका गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) में भूमिगत तथा सतही कार्य के लिए कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों की कमी के कारण कोयले के उत्पादन को नहीं रोका गया है।

हेलीकॉप्टर की खरीद

312. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को आतंरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कार्य के लिए स्वदेश से निर्मित 13 सीटों वाले ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन से राज्य उक्त हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए सहमत हो गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त हेलीकॉप्टर की खरीद हेतु इन राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी सहमत हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

फुटपाथों पर शौचालयों का निर्माण

313. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 25.2.2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 1113 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना को सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) जी, हां।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बताया है कि उनके क्षेत्र मौजूद शौचालयों के नवीयन की जरूरत है, उन्होंने बी.ओ.टी. (निर्माण, परिचालन, अंतरण) आधार पर 40 शौचालयों का निर्माण करवाया जिनका निर्माण सड़क की पटरियों पर किया गया था और जहां सड़क की पटरियां अपर्याप्त थीं वहां फुटपात का कुछ भाग भी इस्तेमाल किया गया किन्तु

इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पैदल चलने वालों को कोई असुविधा न हो। इस प्रकार के निर्माण के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदन नहीं लिया था। दिल्ली नगर कला आयोग तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इन सभी शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकांश शौचालयों का पुनर्निर्माण उसी स्थान पर किया गया है जहां ये मौजूद थे और फुटपाथ/पैदल चलने वालों के लिए रास्ता भी छोड़ा गया। तथापि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को परामर्श दिया गया है कि वे भविष्य में इस प्रकार के शौचालयों के निर्माण पर दिल्ली नगर कला आयोग की सिफारिश के बाद ही विचार करें।

दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 में आयोग को अपने कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। तथापि दिल्ली में शहरी तथा पर्यावरणीय डिज़ाइन की सौन्दर्यपरक क्वालिटी का संरक्षण, विकास और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों तथा दिल्ली नगर कला आयोग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

घटिया कोयले की आपूर्ति

314. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा खरीदे गए कोयले के लिए कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को घटिया कोयले की आपूर्ति करने का आरोप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने कोयले की घटिया गुणवत्ता के अनुपात में कोयले के मूल्य को कम करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी.) द्वारा सी.आई.एल. की अनुषंगी कोयला कंपनियों को कोयले की आपूर्ति के एवज में भुगतान की जाने वाली कोयला बिक्री की बकाया देय राशि नीचे दी गई है :-

(करोड़ रु.)

कोयला कंपनी का नाम	बकाया देय (अनन्तिम)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	654.16
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	514.62
कुल	1168.78

(ख) और (ग) कोयला कंपनियों को एम.पी.एस.ई.बी. से घोषित ग्रेड वाले कोयले की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) एम.पी.एस.ई.बी. ग्रेड स्लिपेज के आरोपों के आधार पर कोयला कंपनियों के बिलों से एकपक्षीय कटौती कर रही थी। कोयला नीति के अनुसार, कोयला कंपनियां तथा एम.पी.एस.ई.बी. व्यापक ईंधन आपूर्ति समझौते, जिसमें गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों को रोकने के लिए एम.पी.एस.ई.बी. को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की संयुक्त सैम्पलिंग शामिल है, करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

यातायात नियमों का उल्लघंन

315. **श्री रघुनाथ झा :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यातायात पुलिसकर्मी या तो सड़कों पर स्थित अपने ड्यूटी स्थल से गायब रहते हैं या यातायात के नियमों के उल्लंघन की अनदेखी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि यातायात पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी स्थलों पर तैनात रहें;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि प्रात: आठ बजे से रात्रि आठ बजे के बीच निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रक शहर की सड़कों पर चल रहे हैं जैसाकि दिनांक 9.7.03 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या ट्रकों और ब्लू लाईन बसों के चालक यातायात नियमों की खुलेआम अवज्ञा कर रहे हैं और यातायात पुलिस को मासिक रिश्वत देने के कारण छूट जाते हैं जैसाकि दिनांक 7 जुलाई, 2003 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा यातायात पुलिस में ऐसे कदाचारों का संज्ञान न लेने के तथ्य और कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस के पर्यवेक्षण अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यातायात पुलिस कार्मिक उन्हें नियत किए गए ड्यूटी स्थलों पर उपस्थित हैं तथा अपनी नियामक ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं, नियमित आधार पर जांच करते हैं।

(ग) और (घ) यातायात पुलिस, उन माल वाहक वाहनों, जो उनकी आवाजाही पर लगाए प्रतिबंधों को तोड़ते हैं अथवा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके माल ढोते हैं, को नियमित रूप से अभियोजित करती है। वास्तव में, समाचार मद में उल्लिखित हल्के वाहनों को भी कानून के अनुसार अभियोजित किया गया है।

(ङ) और (च) संदर्भित समाचार मद सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यातायात पुलिस कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, स्थायी प्रबंध विद्यमान हैं। इनमें आकस्मिक जांच के साथ-साथ गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष निगरानी भी की जाती है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं

316. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के लिए समीक्षा मिशन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं द्वारा राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से परियाजनाओं के कार्यान्यवन में परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों की सहायता करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण स्वच्छता हेतु वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता हेतु राज्य सरकारों से राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि हेतु राज्य-वार अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। समीक्षा मिशन वास्तविक वित्तीय और सुधार प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। मिशन सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना कार्यान्वयन के कुछ पहलुओं पर भी सलाह देता है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2002-2003 में हुई उपलब्धि उल्लेखनीय थी। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में हुई राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की मदद् करती है। इस उद्देश्य हेतु प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए नियमित रूप से अभिमुखीकरण कार्यशाला, सम्मेलन, अध्ययन दौर और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान आवंटित निधियां 165 करोड़ रु. हैं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं लगातार चलने वाली परियोजनाएं हैं जिन्हें परियोजना जिलों में कार्यान्वियन हेतु 3 वर्ष से अधिक का समय लगता है। चूंकि कार्यक्रम को "मांग आधारित" मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं हुआ है।

(च) और (छ) वर्ष 2003-2004 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से राज्य-वार अनुमोदित प्रस्तावों की सूची के साथ-साथ ग्रामीण स्वच्छता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

11 जुलाई, 2003 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना उद्देश्य					परियोजना निष्पादन				
		आई.एच. एच.एल.	स्वच्छता परिसर	स्कूल शौचालय	आर.एस.एम./ बालवाड़ियां	पी.सी. के लिए शौचालय	आई.एच. एच.एल.	स्वच्छता परिसर	स्कूल शौचालय	आर.एस. एम./ बाल-वाड़ियां	पी.सी. के लिए शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3462766	0	26218	50	220	404790	0	5835	356	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	63735	0	533	0	12	174	0	64	0	7
3.	असम	275435	0	1889	0	36	185	0	0	0	8
4.	बिहार	2324994	5862	14224	0	160	1155	0	3	0	5
5.	छत्तीसगढ	314666	47	4916	0	23	100	12	600	0	0
6.	गुजरात	183898	0	5948	0	37	2309	0	1802	0	0
7.	हरियाणा	255876	15	1908	0	46	7001	5	881	5	12
8.	हिमाचल प्रदेश	38360	86	1758	100	16	40	36	85	2	0
9.	जम्मू व कश्मीर	184868	28	1294	0	16	0	25	62	0	4
10.	झारखण्ड	757064	2913	5413	531	63	13	18	368	0	10
11.	कर्नाटक	187000	70	4384	0	37	13707	7	125	0	0
12.	केरल	900028	1040	3792	665	93	123822	117	288	0	4
13.	मध्य प्रदेश	1249101	299	15774	300	113	21229	13	1387	0	6
14.	महाराष्ट्र	1608876	1116	22529	241	197	63857	244	3713	1	4
15.	मणिपुर	63578	56	606	0	13	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	9221	50	389	0	2	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	69522	1176	568	0	10	12994	0	160	34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उड़ीसा	2370426	942	16972	937	139	63069	0	3083	0	46
19.	पंजाब	337843	259	11845	0	49	22093	55	300	0	7
20.	राजस्थान	613478	325	25089	0	95	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	15715	165	891	90	12	1135	103	522	43	0
22.	तमिलनाडु	2120136	1682	26504	24966	222	476127	298	5898	3817	51
23.	त्रिपुरा	337550	0	1815	195	31	83323	0	336	28	25
24.	उत्तर प्रदेश	2710281	1087	20591	0	277	394517	285	2675	0	77
25.	उत्तराचंल	196902	80	3134	0	40	777	0	0	0	0
26.	पं. बंगाल	3289763	4244	24682	0	289	1293114	297	7133	0	227
27.	पांडिचेरी	18000	0	26	16	3	900	0	0	0	2
28.	दादरा व न. हवेली	2480	12	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल योग	23961562	21554	243692	28091	2252	2986431	1515	35320	4286	496

आई.एच.एच.एल. – वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

पर.सी. – उत्पादन केन्द्र

आर.एस.एम. – ग्रामीण स्वच्छता बाजार

विवरण-II

अनुमोदित प्रस्तावों की सूची (राज्य-वार) के साथ वर्ष 2003-2004 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता (संपूर्ण स्वच्छता अभियान) के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

क्रमांक	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	जिलों के नाम	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	कुडप्पा, श्रीकाकुलम, रंगारेड्डी तथा विशाखापटनम	4
2.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला	*

1	2	3	4	5
3.	मध्य प्रदेश	30	बालाघाट, परभनी, भींड, छत्तरपुर, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिनडोरी, गुना, हरधा, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खरगौन, मुरैना, नीमच, पन्ना, रतलाम, सागर, सतना, शाहडोल, शाहजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिद्धी, उमरिया, विदिशा, सिओनी तथा उज्जैन	2
4.	महाराष्ट्र	1	उस्मानाबाद	*
5.	मिजोरम	1	मामीत	1
6.	पंजाब	12	फरीदकोट, गुरदासपुर, रूपनगर, फतेहगढ़, अमृतसर, जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर, कपूरथला, मनसा, फिरोजपुर तथा लुधियाना	9
7.	तमिलनाडु	6	वुल्लुपुरम, थिरूवरूर तिरुवन्नामलाई, नागापट्टीनम, नीलगिरी और थिरूवल्लूर	6
8.	उत्तर प्रदेश	29	अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, बागपत, ऐटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गोंडा, जे.पी. नगर, झांसी, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महामायानगर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव	*
9.	उत्तरांचल	1	रुद्र प्रयाग	1
10.	प. बंगाल	1	पुरुलिया	*

*विचाराधीन

[हिन्दी]

मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कार्मिक

317. **श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सभी विभागों और उपक्रमों में क, ख, ग और घ श्रेणी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) कर्मचारियों की कुल संख्या में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के श्रेणीवार अलग-अलग कितने कर्मचारी हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) खान मंत्रालय, इसके अधीनस्थ कार्यालयों और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न ग्रेडों अर्थात् क, ख, ग तथा घ में कार्यरत कर्मचारियों की 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार कुल संख्या 29805 थी। इसमें से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नवत थी :-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
समूह क	540	172	300	1012
समूह ख	699	573	221	1493
समूह ग	2889	1864	1476	6229
समूह घ	1189	608	380	2177
कुल	5317	3217	2377	10911

भौतिक यौगिक (फिजिकल कम्पाउण्ड) विनिर्माण इकाइयां

318. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक भौतिक यौगिक विनिर्माण इकाइयां (फिजिकल कम्पाउंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कुल वार्षिक उत्पादन और प्रत्येक भौतिक यौगिक विनिर्माण इकाई की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या उच्च श्रेणी के मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से पोषक तत्वों में कमी आएगी और इसका किसानों पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र में कोई भौतिक मिश्रण/यौगिक उर्वरक उत्पादन (एन पी के मिश्रितों के अलावा) इकाई कार्य नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) उच्च श्रेणी के मिश्रित उर्वरकों से पोषकों की हानि नहीं होती क्योंकि उर्वरकों का उपयोग मृदा जांच सिफारिश पर आधारित होता है और फसल आवश्यकता पर निर्भर करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ऐसी हानियों को रोकने के लिए पादप पोषकों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग के द्वारा मृदा जांच आधारित संतुलित एवं समन्वित पोषक प्रबंधन की अनुशंसा करती है। इसके अतिरिक्त, एक बार अत्यधिक प्रयोग के बदले बढ़ते पौधों की जरूरत के अनुरूप विभाजित प्रयोग, उर्वरकों का निम्नेजन, धीमी निर्मुक्ति वाले एन. उर्वरकों और नाइट्रीकरण निरोधकों का प्रयोग, शस्यावर्तन में गहरी एवं विस्तृत जड़ प्रणाली वाली फसलों के साथ कम गहरी जड़ वाली फसलों के प्रयोग का भी समर्थन किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी यात्राएं

319. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री द्वारा कौन-कौन से देशों की यात्रा की गई;

(ख) प्रत्येक यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई और यात्रा का प्रयोजन क्या था और क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ग) ये देश भारत को किस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन राज्य मंत्री द्वारा दौरा किए गए देशों के नाम, दौरे में हुआ व्यय तथा दौरे के उद्देश्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	मंत्री का नाम	किस देश का दौरा किया गया	व्यय	प्रयोजन
2000	श्री बंडारु दत्तात्रेय राज्य मंत्री (शहरी विकास और गरीबी उपशमन)	दर-एस-सलाम 1 से 6 जुलाई	90,476/- रु.	दर-एस-सलाम में कम लागत के आवास हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी व सेमिनार का उद्घाटन तथा यूएनसीएचएस (हैबिटाट) के साथ दीर्घावधिक सहयोग कार्यक्रमों पर नेरोबी, केन्या में यूएनसीएचएस के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श।
2001	श्री बंडारु दत्तात्रेय राज्य मंत्री (शहरी विकास और गरीबी उपशमन)	नेरोबी, केन्या 12 से 16 फरवरी	40,996/- रु. (हवाई किराया)	यूएनसीएचएस(हैबिटाट) के 18वें सत्र में भाग लेने हेतु।
2001	श्री जगमोहन शहरी विकास मंत्री	न्यूयार्क, यूएसए 4 से 8 जून	3,00,054/- रु. (हवाई किराया)	मानव बसावों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निष्कर्षों के कार्यान्वयन की समग्र समीक्षा और मूल्यांकन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में भाग लेने हेतु।
2002	श्री अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री	ईरान 9 से 11 अप्रैल	54,155/- रु.	आवास, निर्माण सामग्री, शहरी विकास तथा प्रबंधन, भूकंपरोधी भवन तथा कम लागत के आवास पर विशेष बल देकर आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान और स्थापना के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के आवास और शहरी विकास मंत्री महामहिम श्री अली अबदोल-अलीजादेह के निमंत्रण पर उस देश का दौरा किया।
2003	श्री अनंत कुमार शहरी विकास मंत्री	जापान 16 से 23 मार्च	1,04,182/- रु. (हवाई किराया)	ओसाका में तीसरे वर्ल्ड वाटर फोरम के जल व शहरों पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। शहरी विकास मंत्री ने ओसाका से अपनी वापसी पर 21 मार्च, 2003 को सिंगापुर से होते हुए यात्रा की और वहां सिंगापुर के राष्ट्रीय विकास मंत्री से भेंट की।
2003	श्री पोन राधाकृष्णन राज्य मंत्री (शहरी विकास और गरीबी उपशमन)	केन्या 5 से 9 मई	67,483/- रु. (हवाई किराया)	संयुक्त राष्ट्र की शासी परिषद मानव बसाव कार्यक्रम (यूएन-हैबिटाट) के 19वें सत्र, में भाग लेने हेतु।

कापार्ट द्वारा शुरू की गई परियोजना

320. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 और चालू वित्त वर्ष के दौरान कापार्ट द्वारा प्राप्त/कार्यान्वित परियोजनओं का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्तावधि के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई/जारी की गई/उपयोग की गई;

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा राज्य-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ङ) क्या धनराशि के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(च) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित परियोजना-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन योजनाओं के अन्तर्गत विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आदिवासी जातियों के राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ज) क्या राज्यों से प्रस्तावित कुछ परियोजनाएं कापार्ट के पास लंबित पड़ी हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ञ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाढ़ प्रभावित राज्य

321. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री के.पी. सिंह देव :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के मानसून के कारण कुछ राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस बाढ़ के कारण राज्यों को हुई हानि का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों ने बाढ़, भारी वर्षा तथा भूस्खलन के कारण हुई विभिन्न प्रकार की क्षति की सूचना दी है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर राज्यवार क्षति के परिणाम को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु योजना के अनुसार, राज्य सरकारों से आपदा राहत कोष के संग्रह में से बचाव और राहत हेतु उपाय करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों का अंशदान 75:25 के अनुपात में होता है। भारत सरकार, इसके अलावा राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु योजना के अनुसार, अतिरिक्त वित्तीय और संभारिकी सहायता जहां कहीं आवश्यकता होती है, प्रदान करके संबंधित राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से गंभीर प्रकृति की आपदा आने पर राज्यों को सहायता दी जाती है।

राज्य सरकारों के अनुरोध पर, असम, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता हेतु सेना तथा अर्द्ध-सेना तथा अर्द्ध-सेना अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की गई।

विवरण

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2003 के दौरान तूफान, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान के ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण

(अनंतिम, 19-07-2003 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आपदा	कुल जिले (सं०)	प्रभावित					नुकसान					पशुहानि और जनहानि		टिप्पणी
				जिला (सं०)	तालुक/ ब्लाक/ एम.पी. एल.एस.	गांव	कुल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनसंख्या (लाख में)	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	फसल की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ में)	घर (सं.)	घरों की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ों में)	सार्वजनिक संपत्ति की अनुमानित कीमत (रु. करोड़ों में)	मानव (सं.)	पशु (सं.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अरुणाचल प्रदेश	एचआर/एफ/एल	15	9	12	10	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	4	एन.आर.	2.29	एन.आर.	एन.आर.	
2.	आंध्र प्रदेश	एचआर/एफ	23	22	एन.आर.	4936	6.78	51.54	2.12	एन.आर.	4650	एन.आर.	एन.आर.	25	एन.आर.	
3.	बिहार	एचआर/एफ	37	12	44	1149	2.00	12.36	0.29	2.11	1156	1.60	1.82	17	5	
4.	हिमाचल प्रदेश	एचआर/एफ		1	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	21	शून्य	
5.	केरल	एचआर/एफ/एल	14	14	एन.आर.	430	एन.आर.	0.08	0.28	0.33	1861	1.12	0.01	30	शून्य	
6.	उड़ीसा	एचआर/एफ	30	1	3	39	0.04	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	
7.	मध्य प्रदेश	एचआर/एफ	45	2	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	10	एन.आर.	
8.	महाराष्ट्र	एचआर/एफ/फायर	35	30	70	435	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	1200	1.39	1.39	133	388	
9.	मेघालय	एचआर/एफ		1	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	1	एन.आर.	
10.	पश्चिम बंगाल	एचआर/एफ	18	6	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	17	एन.आर.	
	कुल			97		6999		54.92	2.52	2.28	88.67			254	383	

नोट : एफ-बाढ़, एफएफ-तेज बाढ़, एल-भूस्खलन, एचआर-भारी वर्षा, सी-तूफान, एन.आर.-सूचित नहीं किए गए, नेग-नगण्य।

डोपिंग में शामिल खिलाड़ी

322. **श्री अधीर चौधरी :**
डा. चरण दास महन्त :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री भास्करराव पाटिल :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में एथलीटों/खिलाड़ियों को डोपिंग का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डोपिंग में संलिप्त खिलाड़ियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हाल ही में डोपिंग रोधी आयोग गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाया है कि देश में एथलीट डोपिंग में संलिप्त न हों?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के दौरान आयोजित किए गए डोप परीक्षणों के परिणामस्वरूप, कई खिलाड़ी डोपिंग के लिए पोजीटिव पाए गए थे। ऐसी खेल विधाओं का ब्यौरा जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान खिलाड़ी दोषी पाए गए थे, नीचे दिया गया है:-

1.	पावर लिफ्टिंग	—	राष्ट्रीय बैंच प्रैस चैंपियनशिप, जुलाई, 2002	7
2.	तैराकी	—	यादृच्छिक परीक्षण, अगस्त, 2002	1
3.	पावर लिफ्टिंग	—	राष्ट्रीय चैंपियनशिप अगस्त, 2002	8
4.	-वहीं-	—	यादृच्छिक परीक्षण सितंबर, 2002	2
5.	एथलेटिक्स	—	-वही-	1
6.	पावर लिफ्टिंग	—	यादृच्छिक परीक्षण नवंबर, 2002	3
7.	एथलेटिक्स	—	राष्ट्रीय चैंपियनशिप, (22) वर्ष से कम) नवंबर, 2002	1
8.	पावर लिफ्टिंग	—	जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, दिसंबर, 2002	2
9.	फुटबाल	—	यादृच्छिक परीक्षण, जनवरी, 2003	1
10.	एथलेटिक्स	—	जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जनवरी, 2003	3
11.	भारोत्तोलन	—	-वही-	23
12.	मुक्केबाजी	—	यादृच्छिक परीक्षण, फरवरी, 2003	2
13.	भारोत्तोलन	—	राष्ट्रीय चैंपियनशिप, मार्च, 2003	4
14.	तैराकी	—	राष्ट्रीय खेल, दिसंबर, 2002	1
15.	रोइंग	—	-वही-	1
16.	वालीबाल	—	-वही-	1
17.	एथलेटिक्स	—	-वही-	8
18.	साइकिलिंग	—	-वही-	1
19.	मुक्केबाजी	—	-वही-	3
20.	भारोत्तोलन	—	-वही-	6
			कुल	79

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, जो एथलीट डोपिंग दोष के अपराधी पाए गए हैं; उनके खिलाफ संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा, उनके अपने नियमों/उनके अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ङ) भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघ मुख्य रूप से कार्रवाई करने वाले प्राधिकारी हैं। तथापि, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए आगे रही है तथा खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के उपयोग से दूर रखने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रशिक्षण शिवरों के दौरान, शिविरवासियों से संबद्ध प्रशिक्षकों को प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के बारे में खिलाड़ियों को शिक्षित करने तथा नियमित रूप से परामर्श देने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, खेल चिकित्सा डाक्टर, एन. एस.एन.आई.एस., पटियाला में तथा अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में व्याख्यान आयोजित करते हैं जहां शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का उपयोग न करने के लिए शिक्षित किया जा सके। शिविर प्रारंभ होने के समय, प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में दस्तावेज तथा विवरणिकाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रतिबंधित नशीली दनाओं की सूची तथा खिलाड़ियों को शिक्षित करने के लिए, इश्तहार शिविरवासियों के कमरों में रखे जा रहे हैं। यह देखने के लिए कि प्रशिक्षण शिविरों के दौरान यादृच्छिक रूप से खिलाड़ियों के मूत्र नमूनों की जांच के अलावा किसी प्रतिबंधित नशीली दवा का उपयोग तो नहीं हो रहा है, नियमित अंतराल के बाद खिलाड़ियों के कमरों तथा सामान की जांच भी की जाती है। जो खिलाड़ी डोप परीक्षण में पोजीटिव पाए जाते हैं, उनको शिविर/भारतीय खेल प्राधिकरण योजनाओं से हटा दिया जाता है तथा उनके प्रशिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है यदि वे दोषी पाए जाते हैं।

भूकम्परोधी मकानों का निर्माण

323. **श्री हरिभाई चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव भूकम्परोधी मकानों के निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य नियंत्रण से दवाओं को छूट

324. **श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास से विकसित नई दवाइयों के विनिर्माताओं को 15 वर्ष तक मूल्य नियंत्रण से छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार विनिर्माताओं के लिए भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु किन अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने उन नए प्रपुंज औषधियों के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 25 के अंतर्गत औषध विनिर्माण इकाइयों को उक्त आदेश के पैरा 3, 8 तथा 9 के प्रावधानों से छूट प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिनका किसी अन्य स्थान पर उत्पादन नहीं किया गया तथा उस इकाई द्वारा स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास के जरिए उत्पादन किया गया हो, मार्गदर्शी सिद्धांत में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ऐसे प्रपुंज औषध के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमानित तारीख से दस साल के लिए होगी।

(ग) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति-2002" घोषित की जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.) स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन शामिल है जो पी आर.डी.एस.एफ. की उपयोगिता का संचालन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी.डी.बी.) की तरह औषध विकास संवर्द्धन बोर्ड (डी. डी.पी.बी.) का भी गठन करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सकल बजट के अंतर्गत पी आर डी एस एफ स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत व्यक्ति

325. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्राम उद्योग आयोग में इस समय विभिन्न श्रेणियों के कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्थायी आधार पर कितने कर्मचारियों को नियोजित किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान अस्थायी आधार पर नियोजित व्यक्तियों के पारिश्रमिक पर कितना व्यय उपगत हुआ है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) के.वी.आई.सी. की श्रेणी-वार संख्या निम्नोक्त है :-

1.	ग्रुप-क	199
2.	ग्रुप-ख	403
3.	ग्रुप-ग	1731
4.	ग्रुप-घ	424
		2757

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. ने सीजनल प्रकृति के ट्रेडिंग क्रियाकलाप के अलावा जरूरी सरकारी कार्य का निष्पादन करने के लिए अस्थायी आधार पर 43 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया है। इस अवधि के दौरान 4,76,796 रुपये (चार लाख, छियत्तर हजार, सात सौ छियानवे रुपये) केवल की राशि का संवितरण किया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति

326. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आतंकवाद/नक्सलवाद का सामना करने पर व्यय की गई 50% धनराशि की प्रतिपूर्ति करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत और अधिक धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां, श्रीमान।

(ख) सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को दी गयी राशि की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार से है:-

(रु. लाखों में)

राज्य	2002-2003 तक की गई प्रतिपूर्ति की राशि
आन्ध्र प्रदेश	4411.17
बिहार	4065.1
मध्य प्रदेश	793.43
महाराष्ट्र	262.66
उड़ीसा	735.29
छत्तीसगढ़	255.74
झारखंड	72.8
उत्तर प्रदेश	29.17
कुल	10625.36

(ग) से (ङ) स्कीम में, नक्सलवाद को रोकने में राज्य द्वारा किए गए सुरक्षा संबंधी व्यय की 50% तक प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों पर कार्रवाई की जाती है और राशि की प्रतिपूर्ति स्कीम के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जाती है। तथापि, मंत्रालय ने स्कीम के तहत और अधिक मदों को शामिल करने पर विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

कर्मचारियों की संख्या में कमी करना

327. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक 30,000 पदों को समाप्त करके कर्मचारियों की संख्या में और अधिक कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के पदों को समाप्त करने से सरकार को अब तक कितनी धनराशि की बचत हुई है;

(ग) क्या सरकार ने संघ-लोक-सेवा-आयोग को प्रत्येक तीन रिक्तियों में से एक के लिए भर्ती करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन निदेशों के बावजूद भी कुछ सरकारी विभागों में उच्च पदों के लिए रिक्तियां सृजित की जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) संसद में, वित्त-मंत्री जी के वर्ष, 2001-2002 के बजट-भाषण में, सरकार द्वारा की गई उद्घोषणा के अनुसरण में, अगले पांच वर्षों में सिविल पदों में 10% की कमी करने की दृष्टि से कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने दिनांक 16.05.2001 का कार्यालय-ज्ञापन-संख्या 2/8/2001-पी.आई.सी. जारी किया। कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 16.05.2001 के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के अनुसार, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के केवल एक तिहाई पद ही संबंधित संवीक्षा-समिति का अनुमोदन ले लिए जाने के पश्चात्, कुल संस्वीकृत पदों के एक प्रतिशत पद तक भरे जाने की शर्त पर, भरे जा सकते हैं और शेष दो तिहाई रिक्त पद समाप्त कर दिए जाने अपेक्षित हैं।

भरे जाने और समाप्त कर दिए जाने हेतु अपेक्षित पदों की संख्या, किसी मंत्रालय/विभाग में किसी भर्ती-वर्ष में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की होने वाली रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। समाप्त कर दिए गए पदों की संख्या और उससे हुई बचत की धनराशि से संबंधित विस्तृत रेकॉर्ड, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने यहां की जाने वाली भर्ती के लिए उपयुक्त चुने जाने वाले उम्मीदवारों की मांग से संबंधित पत्र, संघ-लोक-सेवा-आयोग सहित, विभिन्न भर्ती-अभिकरणों को उपयुक्त संवीक्षा-समिति का अनुमोदन ले लेने के पश्चात् भेजे जाने अपेक्षित हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पद, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु इत्यादि हो जाने के कारण रिक्त होते हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

328. श्री अधीर चौधरी :
श्री भास्करराव पाटिल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उन सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों की स्रोत निर्देशिका (रिसोर्स डाइरेक्टरी) तैयार की है जोकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व हिंसा को रोकने के लिए सहायक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या न्यायालय के निदेशानुसार कुछ राज्यों में परिवार परामर्श केन्द्र और महिला प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक क्या भूमिका निभाई है और वे राज्यवार कितनी महिलाओं के प्रति अपराध रोकने में सफल रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, कुव्यवस्था, शोषण और वैवाहिक विवादों और लिंग भेद मुद्दों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं और परिवारों को परामर्शी सेवाएं और कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में परिवार परामर्श केन्द्र और कम अवधि तक ठहरने के लिए गृहों की स्कीम चला

रहा है। कम अवधि तक ठहरने के लिए बनाए गए गृह उन महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी शरण उपलब्ध कराते हैं जो पारिवारिक/वैवाहिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार और शोषण के कारण नाजुक नैतिक समस्याओं का सामना कर रही है। परिवार परामर्श केन्द्रों और महिला लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान परिवार परामर्श केन्द्रों के माध्यम से कुल 70228 महिलाओं को लाभ मिला। महिला अधिकारों, महिलाओं का आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण तथा महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे क्षेत्रों में, स्वयंसेवी सेक्टर और उनके साथ सरकार के सहयोग से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। कार्य स्थल पर यौन शोषण के बारे में रिट याचिका (आपराधिक) 1992 की सं. 666-70 (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य) में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, प्रत्येक नियोजक द्वारा अपने-अपने कार्य स्थलों पर गठित शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों और अन्य निकायों को संबंद्ध किया जाना चाहिए। सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, जिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में कामयाब हुए हैं, उनकी राज्य-वार संख्या के बारे में सूचना, केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

वर्ष 2002-03 के लिए परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एफ.सी.सी. की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	24	2976
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	372
3.	असम	16	1984
4.	बिहार/झारखंड	48	5952
5.	गोवा	1	124
6.	गुजरात	34	4216
7.	हरियाणा	16	1984
8.	हिमाचल प्रदेश	8	995
9.	जम्मू और कश्मीर	3	372
10.	कर्नाटक	45	5580
11.	केरल	35	4340
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	51	6324
13.	महाराष्ट्र	55	6820
14.	मणिपुर	5	620
15.	मेघालय	3	375
16.	मिजोरम	2	256
17.	नागालैंड	2	248
18.	उड़ीसा	16	1984
19.	पंजाब	12	1488
20.	राजस्थान	22	2730
21.	सिक्किम	3	372
22.	तमिलनाडु	40	4960
23.	त्रिपुरा	7	868
24.	उत्तर प्रदेश/उत्तराचंल	43	5336
25.	पश्चिम बंगाल	32	3968
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0
27.	चंडीगढ़	2	248
28.	दिल्ली	34	4216
29.	लक्षद्वीप	1	24
30.	पांडिचेरी	4	496
	कुल	567	70228

[अनुवाद]

एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में अवैध सेलफोन टॉवर

329. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 12 अवैध सेलफोन टॉवर कार्य कर रहे हैं और उनमें से छह संवेदनशील लुटियन्स परिक्षेत्र (एल.बी.जेड.) में हैं;

(ख) यदि हां, तो इन टॉवरों का ब्यौरा क्या है और इनके कार्यरत रहने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या एन.डी.एम.सी. ने इस वर्ष मई में इन टॉवरों को गिराने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो एन.डी.एम.सी. द्वारा इन टॉवरों को अभी तक न गिराने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन टॉवरों को कब तक गिराए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार ने एन.डी.एम.सी./सेलफोन कम्पनियों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। सेल्यूलर और टेलिकॉम ऑपरेटरों ने दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश का उल्लंघन करके लुटियन्स बंगलों जोन (एल.बी.जेड.) में बंगलों/रिहाइशी इमारतों में नेटवर्किंग के प्रयोजनार्थ बारह (12) सेलफोन टॉवर स्थापित किए हैं।

(ग) से (च) इन टॉवरों को गिराने/ढहाने हेतु संबंधित मालिकों को विधिवत रूप से नोटिस दिए गए थे। तथापि, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कुछेक सेल्यूलर/टेलीकॉम ऑपरेटरों ने तकनीकी विवशताओं के आधार पर मामले पर पुन: विचार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए कि यदि टॉवर उपयुक्त स्थानों पर स्थापित नहीं किए गए, तो उन्हें नेटवर्किंग समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एन.डी.एम.सी. के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का आधार नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे स्थगन प्रस्ताव का संबंध है, मुझे, इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए अध्यक्षपीठ से अनुमति प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपकी बात से सहमत हूं। आपका मुद्दा क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। उनकी बात पूरी होने के बाद आप अपना मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए कल से अनुरोध कर रहे हैं। अत:, मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आपको कल गुमराह किया था। मुझे उस बात को स्पष्ट करना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात पूरी होने के बाद मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा। मैंने इस बात पर पहले ही गौर किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात पूरी होने के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैंने पहले ही उनको अनुमति दे दी है। मैंने

श्री येरननायडू को अनुमति प्रदान की है। वे अपनी बात रख सकते हैं और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार जानबूझ कर अपनी मंशा से सभी अवैध परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। ये परियोजनाएं हैं पारागोडू...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.23 बजे

(इस समय श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अपराह्न 12.23 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2003, जो 9 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स.का.नि. 462 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7777/2003]

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य डयूटी संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003, जो 30 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7778/2003]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, श्री ईश्वर दयाल स्वामी की ओर से मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7779/2003]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, मैं सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (सामान्य ड्यूटी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003, जो 1 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7780/2003]

अपराह्न 12.23¾ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 9 मई, 2003 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा तेरहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वित्त विधेयक, 2003

(2) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2003

(3) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003

(4) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2003

महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2003

(2) निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2003

(3) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003

(4) दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003

(5) विद्युत विधेयक, 2003

(6) शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2003

(7) संविधान (सत्तासीवां संशोधन) विधेयक, 2003

अपराह्न 12.24 बजे

[अनुवाद]

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां - एक समीक्षा

महासचिव : महोदय, मैं ''विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (2001)—एक समीक्षा'' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.24¼ बजे

इस समय डा. मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

अपराह्न 12.24½ बजे

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं निम्नलिखित उपक्रमों के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड; तथा

(2) भारतीय पोत परिवहन निगम, लिमिटेड।

अपराह्न 12.24¾ बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

सत्ताईसवां से तीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का 27वां, 28वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.25 बजे

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पचासवां से तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

---

*समिति के सभापति श्री सोमनाथ चटर्जी ने ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत उस समय माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तथा माननीय अध्यक्ष से उपर्युक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन के आदेश भी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्राप्त किए गए ।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

(1) डाक विभाग से संबंधित 'भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक, 2002' के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(2) दूरसंचार विभाग से संबंधित 'नई दूरसंचार नीति, 1999 का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'सशर्त सम्पर्क प्रणाली (कैस)' के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

(4) दूरसंचार विभाग से संबंधित 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का कार्यकरण' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.26 बजे

[हिन्दी]

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

102वां प्रतिवेदन

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2003 और संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के 102वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज अपराह्न 4.30 बजे होगी। हम समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मुद्दे या चर्चा की अनुमति दूंगा। श्री येरननायडू, मैं आपको समुचित अवसर प्रदान करूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार एक वक्तव्य देंगे। मंत्री जी, कृपया अपना वक्तव्य दीजिए। आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं।

अपराह्न 12.27 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य रेलवे और कोकण रेलवे में हाल में हुई बड़ी दुर्घटनाएं

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, हाल ही में उत्तर, दक्षिण मध्य, पूर्व मध्य रेलों तथा कोंकण रेलवे (के आर सी एल) पर हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के बारे में मुझे सदन को बताते हुए दुख हो रहा है। इनमें उत्तर रेलवे पर आग से हुई दुर्घटना और कोंकण तथा दक्षिण मध्य रेलवे पर गाड़ी के पटरी से उतरने की दो प्रमुख घटनाएं शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा कृपया अपने स्थान पर जाइए।

अपराह्न 12.28 बजे

इस समय डा. मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये कितनी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, आप भी अंडरस्टैंडिंग दिखाइये, मैं आपको भी कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही चलाने का सुसभ्य तरीका नहीं है। मेरे लिए इस स्थिति में सभा की कार्यवाही का संचालन करना सम्भव नहीं हो पाएगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् रेल दुर्घटनाओं के बारे में रेल मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : 15.5.2003 को उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में लुधियाना तथा लाढोवाल स्टेशनों के बीच 3.55 बजे 2903 अप गोल्डन टेम्पल मेल में आग लग गई थी। इस दुर्घटना में 3 सवारी डिब्बे पूरी तरह से जल गए थे (एस-3, एस-4 तथा एस-5) तथा चौथा सवारी डिब्बा अर्थात् एस-6 डिब्बा अंशत: जल गया था। आग का पता चलने के बाद गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई और उसके पश्चात् प्रभावित डिब्बों को शेष गाड़ी से अलग कर दिया गया ताकि और जान-माल की हानि से बचा जा सके। घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मंत्री जी कृपया अपने वक्तव्य को जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मैं खबर मिलते ही रेल राज्य मंत्री और अध्यक्ष, रेलवे के साथ तत्काल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने गया। रेलवे बोर्ड के सदस्यों ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव तथा राहत कार्यों का निरीक्षण किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेल दुर्घटनाओं के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है। मैं सभा से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सी.बी.आई. के बारे में भी प्रश्न पूछिये, वह उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। आप इस पर अभी चर्चा कर सकते हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया हमें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। कृपया इस मुद्दे पर सही ढंग से चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 36 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 15 अन्य घायल हुए जिनमें दो को गंभीर रूप से चोटें आईं। रेल संरक्षा आयुक्त/उत्तरी क्षेत्र इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी है और कहा है कि फॉरेनसिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही घटना के प्रथम दृष्टया कारकों का पता चल सकेगा। बहरहाल, अंतिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है...*(व्यवधान)*

22.6.2003 को लगभग 21.15 बजे कोंकण रेलवे (के आर सी एल) के रत्नागिरी क्षेत्र में बोल्डरों के गिर जाने से 904 अप कारवाड़-मुंबई सेंट्रल हॉलीडे स्पेशल गाड़ी का इंजन और पहले चार सवारी डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 52 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तथा 26 अन्य घायल हो गए, जिनमें 16 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं, घायल व्यक्तियों को हर संभव सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से एक बार फिर अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं। चर्चा के लिए कई महत्वपूर्ण

मुद्दे हैं। मैं चर्चा करने की अनुमति प्रदान करूंगा। यदि आप इच्छुक हों तो आप चर्चा आज ही आरम्भ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : रेल संरक्षा आयुक्त/मध्य क्षेत्र द्वारा सांविधिक जांच की जा रही है। उन्होंने अपनी प्रारंम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अपनी अनंतिम जांच में कटिंग के दायीं ओर के ढलान की विफलता के कारण रेलपथ की रूकावट का उल्लेख किया है। बहरहाल, अंतिम जांच रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। *...(व्यवधान)*

2 जून, 2003 को गुंटूर और सिंकदराबाद के बीच चल रही 7201 अप गोलकुंडा एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में विजयवाड़ा-काजीपेट विद्युतीकृत बड़ी दोहरी लाइन वाले खंड पर स्थित वारंगल स्टेशन पर 10.25 बजे पटरी से उतर गई। गाड़ी निर्धारित ठहराव के लिए लूप लाइन पर स्टार्टर सिगनल पर नहीं रुक सकी और ''सेंड हम्प'' में प्रवेश कर गई जिसके बाद रेल इंजन आंशिक रूप से निचले सड़क पुल पर गिरकर रेलपथ के नीचे सड़क पर चल रहे ऑटो रिक्शा से टकरा गया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी मत कहो, श्री मुरली मनोहर जोशी कहो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 21 व्यक्ति मारे गए और 24 अन्य घायल हुए जिनमें 16 को गंभीर चोटें आयीं। तत्काल चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई और घायलों को एम जी एम अस्पताल, वारंगल में भर्ती करा दिया गया। काजीपेट और सिकंदराबाद से चिकित्सा राहत गाड़ियों के साथ-साथ डॉक्टर और अधिकारी तत्काल भेज दिए गए...*(व्यवधान)*

रेल राज्य मंत्री, श्री बंडारू दत्तात्रेय, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य यातायात के साथ दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए रवाना हो गए। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वारंगल रवाना हो गए। रेल संरक्षा आयुक्त/दक्षिण मध्य क्षेत्र द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की जा रही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अनंतिम जांच में देरी से ब्रेक लगाने का उल्लेख किया है और इस दुर्घटना को रेलवे स्टाफ की विफलता कोटि में वर्गीकृत किया है। बहरहाल, अंतिम जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है *...(व्यवधान)*

इन तीन बड़ी दुर्घटनाओं में मृतकों के प्रत्येक आश्रित को एक लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 15,000 रुपए तथा मामूली रूप से घायलों को 5,000 रुपए की संवर्धित अनुग्रह राशि के तत्काल भुगतान की घोषणा कर दी गई थी...*(व्यवधान)*

भारतीय रेलों को बहुत से प्रतिकूल बाहरी कारकों में गाड़ियों का परिचालन करना पड़ता है। 14 जुलाई, 2003 की रात और 15 जुलाई, 2003 की सुबह पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल पर तोड़-फोड़ की चार घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप तीन पैसेंजर गाड़ियां यथा 519 अप सोनपुर-गोरखपुर पैसेंजर, 5219 डाउन कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस, 285 अप दरभंगा-नरकटियागंज पैसेंजर पटरी से उतर गई और इन सभी मामलों में बम से रेलपथ को उड़ा दिए जाने के कारण 530 डाउन गोरखपुर-मुजफ्फरपुर पैसेंजर की भारी रुकौनी हुई थी। दुर्घटनास्थल से जिन्दा बम बरामद हुए थे जिन्हें बाद में राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था। सौभाग्यवश इन अप्रिय घटनाओं में सभी यात्री सुरक्षित बच गए, जबकि काफी अधिक जान-माल की हानि हो सकती थी। गाड़ी सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई थीं। रेल अधिकारियों को यातायात बहाल करने में कड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसी मंडल के विभिन्न स्थानों पर मात्र 5 घंटे के भीतर सभी दुर्घटनाएं घटी थीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, मैं आपको सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं सुनना चाहता हूं। आप सीट पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टी.वी. कैमरा बंद कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : संरक्षा पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देने के उद्देश्य से, हमने हाल ही में संरक्षा पर दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें निम्न स्तर की विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों यथा प्वाइंट्स मैन, गैंगमैन, ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, रेलपथ निरीक्षक, सवारी एवं मालडिब्बा जांच कर्मचारियों आदि ने भाग लिया। इसमें श्रमिकों की संगठित यूनियनों तथा रेल अधिकारियों की फैडरेशनों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं और संरक्षा संबंधी अभियानों को और तेज करने के अलावा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, फिर भी दुर्घटनाओं को हर कीमत पर रोकने के हर प्रयास किए जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

रेलवे और अपनी ओर से मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सदन भी शोक-संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवदेना व्यक्त करने में मेरा साथ देगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 7781/2003]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री सी.के. जाफर शरीफ कर्नाटक में सूखे की स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे जहां उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय डा. मन्दा जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. मंदा जगन्नाथ, मैंने आपके नेता को बोलने की अनुमति प्रदान की है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न योजना के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत् हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 02.01 बजे

इस समय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

(व्यवधान)

उपध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(एक) हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद का एक समान लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में किसान गन्ने की दोहरी मूल्य नीति को लेकर आंदोलित तथा क्रोधित हैं। हरियाणा में 11 सहकारी शूगर मिलें हैं, जो किसानों को गन्ने की कीमत बरामदी अनुसार 104, 107 एवं 110 रुपए दे रही हैं। मगर वहीं पर निजी मिलें यमुना नगर, नारायणगढ़ और मादसों किसानों को 84, 87 और 90 रुपए दे रही हैं। एक ही प्रदेश में मूल्य की दोहरी नीति से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अविलम्ब कदम उठने चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार, आपको जो कुछ भी कहना है मैं उन सभी बातों को सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(दो) गुजरात में रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : राज्य में उपलब्ध उत्कृष्ट अवसंरचनात्मक सुबिधाओं और प्रशिक्षित व्यक्तियों को देखते हुए, गुजरात सरकार ने रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से गुजरात में रक्षा उत्पादन की कुछ इकाइयां शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं सरकार से इस मुद्दे का यथाशीघ्र समाधान करने का अनुरोध करती हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैंने नियम 377 के अधीन मामले टेक अप किये हैं, इसके बाद मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

(तीन) झारखण्ड में आदिवासियों और मूलवासियों के पक्ष में अधिवास और आरक्षण मुद्दे को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : झारखण्ड का सृजन यहां के लोगों के हितों के प्रतिकूल साबित हो रहा है क्योंकि अधिवास और आरक्षण नीतियां आदिवासियों और मूलवासियों के पक्ष में नहीं है जिनकी संख्या राज्य की आबादी के लगभग 90 प्रतिशत है। बहुसंख्यक लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर तुषारापात हुआ है। शिक्षित बल्कि बेरोजगार स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना गम्भीर रूप से व्याप्त है क्योंकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए भी बाहरी लोगों को आमंत्रित किया जाता है।

केन्द्र सरकार और संसद द्वारा झारखंड राज्य में प्रचलित इस दयनीय स्थिति पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन शेष मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(चार) झारखण्ड में रांची में बाईपास का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

***श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : अध्यक्ष महोदय झारखंड की राजधानी रांची में अभी तक बाईपास सड़क की सुविधा नहीं है। रांची की आबादी 15 लाख के करीब है और झारखंड के बीच में होने के कारण भारी परिवहन इसी राजधानी से गुजरते हैं, जिसके कारण रोजाना जाम होते हैं और कई गंभीर दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। इस संबंध में सदन में कई माध्यमों से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है परन्तु अभी तक बाईपास की सुविधा नहीं मिली है, जिसके कारण लोगों को अनावश्यक असुविधा औा समय की बर्बादी और पैट्रोलियम पदार्थों की फिजूलखर्ची हो रही है। कई छोटे-छोटे शहरों में बाईपास की सुविधा है परन्तु रांची में अभी तक बाई-पास का कार्य नहीं हुआ है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन तथ्यों की जांच करवायें और तत्काल बाई-पास बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवायें।

[अनुवाद]

(पांच) दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में समुद्रतटीय कटाव को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

***श्री विनय कुमार सोराके** (उदुपी) : दक्षिण कन्नड क्षेत्र में मंगलोर और उदुपी जिले स्थित हैं और वहां पर्यटन संबंधी अवसंरचना के अलावा पारिस्थितिकी को बनाए रखने वाले पेड़ पौधे और मछुआरे समुदाय की बस्तियां हैं।

समुद्रतटीय कटाव से समुद्रतटीय क्षेत्र को अत्यधिक क्षति हो रही है जो कि प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। इस प्रक्रिया में तटवर्ती क्षेत्र में स्थित मछुआरों की बस्तियों और मत्स्यन हार्बर/मूरिंग को समुद्र बहा ले जाता है। समुद्रतट के साथ लगे क्षेत्र में कोई प्राकृतिक बेरियर/तटबंधीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

उपायों के लिए अस्थायी रूप से व्यय की जा रही राशि से तटबंधों की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के स्रोत सीमित हैं और ऐसी बड़ी परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा निधियों की सहायता के बिना शुरू नहीं की जा सकती है। समुद्रतटीय कटाव को रोकने के लिए तरंग रोधी संकल्पना कारगर प्रतीत होती है परन्तु इसके लिए 134 करोड़ रुपये का परिव्यय अपेक्षित है और राज्य सरकार ने इसका एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिण कन्नड क्षेत्र में समुद्रतटीय कटाव की समस्या के लिए कोई स्थायी समाधान निकालने में राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराए।

(छह) कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनाज की पर्याप्त मात्रा जारी किए जाने की आवश्यकता

***श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य में सूखे की स्थिति लगातार विकट बनी हुई है। पूर्व में, शिष्टमंडल ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ उप प्रधान मंत्री सहित केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात की थी और उनसे यह आग्रह किया था कि वे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मांगें पूरी करने के लिए "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। परंतु अभी तक केन्द्र द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में सभी मांगें पूरी नहीं की गई हैं हालांकि, पड़ोसी राज्यों, जिनपर सूखे का प्रभाव पड़ा था, को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम सहित खाद्यान्न पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया है।

महोदय, कर्नाटक राज्य के विभिन्न भागों में मानसून के पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 'काला चना' की फसल, जो समय पर आने वाले मानसून पर पूरी तरह से निर्भर है, पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध कराए तथा किसानों को सहायता भी प्रदान करे ताकि लोगों को रोजगार

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(एक) हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को अपने उत्पाद का एक समान लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में किसान गन्ने की दोहरी मूल्य नीति को लेकर आंदोलित तथा क्रोधित हैं। हरियाणा में 11 सहकारी शूगर मिलें हैं, जो किसानों को गन्ने की कीमत बरामदी अनुसार 104, 107 एवं 110 रुपए दे रही हैं। मगर वहीं पर निजी मिलें यमुना नगर, नारायणगढ़ और मादसों किसानों को 84, 87 और 90 रुपए दे रही हैं। एक ही प्रदेश में मूल्य की दोहरी नीति से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अविलम्ब कदम उठाने चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार, आपको जो कुछ भी कहना है मैं उन सभी बातों को सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(दो) गुजरात में रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : राज्य में उपलब्ध उत्कृष्ट अवसंरचनात्मक सुबिधाओं और प्रशिक्षित व्यक्तियों को देखते हुए, गुजरात सरकार ने रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से गुजरात में रक्षा उत्पादन की कुछ इकाइयां शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं सरकार से इस मुद्दे का यथाशीघ्र सभाधान करने का अनुरोध करती हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैंने नियम 377 के अधीन मामले टेक अप किये हैं, इसके बाद मैं आपको सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बात सुनूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

(तीन) झारखण्ड में आदिवासियों और मूलवासियों के पक्ष में अधिवास और आरक्षण मुद्दे को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : झारखण्ड का सृजन यहां के लोगों के हितों के प्रतिकूल साबित हो रहा है क्योंकि अधिवास और आरक्षण नीतियां आदिवासियों और मूलवासियों के पक्ष में नहीं है जिनकी संख्या राज्य की आबादी के लगभग 90 प्रतिशत है। बहुसंख्यक लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर तुषारापात हुआ है। शिक्षित बल्कि बेरोजगार स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना गम्भीर रूप से व्याप्त है क्योंकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए भी बाहरी लोगों को आमंत्रित किया जाता है।

केन्द्र सरकार और संसद द्वारा झारखंड राज्य में प्रचलित इस दयनीय स्थिति पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन शेष मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

(चार) झारखण्ड में रांची में बाईपास का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता

***श्री राम टहल चौधरी** (रांची) : अध्यक्ष महोदय झारखंड की राजधानी रांची में अभी तक बाईपास सड़क की सुविधा नहीं है। रांची की आबादी 15 लाख के करीब है और झारखंड के बीच में होने के कारण भारी परिवहन इसी राजधानी से गुजरते हैं, जिसके कारण रोजाना जाम होते हैं और कई गंभीर दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। इस संबंध में सदन में कई माध्यमों से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है परन्तु अभी तक बाईपास की सुविधा नहीं मिली है, जिसके कारण लोगों को अनावश्यक असुविधा औा समय की बर्बादी और पैट्रोलियम पदार्थों की फिजूलखर्ची हो रही है। कई छोटे-छोटे शहरों में बाईपास की सुविधा है परन्तु रांची में अभी तक बाई-पास का कार्य नहीं हुआ है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन तथ्यों की जांच करवायें और तत्काल बाई-पास बनाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवायें।

[अनुवाद]

(पांच) दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में समुद्रतटीय कटाव को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

***श्री विनय कुमार सोराके** (उदुपी) : दक्षिण कन्नड क्षेत्र में मंगलोर और उदुपी जिले स्थित हैं और वहां पर्यटन संबंधी अवसंरचना के अलावा पारिस्थितिकी को बनाए रखने वाले पेड़ पौधे और मछुआरे समुदाय की बस्तियां हैं।

समुद्रतटीय कटाव से समुद्रतटीय क्षेत्र को अत्यधिक क्षति हो रही है जो कि प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। इस प्रक्रिया में तटवर्ती क्षेत्र में स्थित मछुआरों की बस्तियों और मत्स्यन हार्बर/मूंरंग को समुद्र बहा ले जाता है। समुद्रतट के साथ लगे क्षेत्र में कोई प्राकृतिक बेरियर/तटबंधीय सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।

उपायों के लिए अस्थायी रूप से व्यय की जा रही राशि से तटबंधों की कोई स्थायी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार के स्रोत सीमित हैं और ऐसी बड़ी परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा निधियों की सहायता के बिना शुरू नहीं की जा सकती है। समुद्रतटीय कटाव को रोकने के लिए तरंग रोधी संकल्पना कारगर प्रतीत होती है परन्तु इसके लिए 134 करोड़ रुपये का परिव्यय अपेक्षित है और राज्य सरकार ने इसका एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है।

मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिण कन्नड क्षेत्र में समुद्रतटीय कटाव की समस्या के लिए कोई स्थायी समाधान निकालने में राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराए।

(छह) कर्नाटक के सूखा प्रभावित जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनाज की पर्याप्त मात्रा जारी किए जाने की आवश्यकता

***श्री इकबाल अहमद सरडगी** (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य में सूखे की स्थिति लगातार विकट बनी हुई है। पूर्व में, शिष्टमंडल ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ उप प्रधान मंत्री सहित केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात की थी और उनसे यह आग्रह किया था कि वे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराएं तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मांगें पूरी करने के लिए ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। परंतु अभी तक केन्द्र द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में सभी मांगें पूरी नहीं की गई हैं हालांकि, पड़ोसी राज्यों, जिनपर सूखे का प्रभाव पड़ा था, को ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम सहित खाद्यान्न पूरी तरह उपलब्ध करा दिया गया है।

महोदय, कर्नाटक राज्य के विभिन्न भागों में मानसून के पहुंचने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 'काला चना' की फसल, जो समय पर आने वाले मानसून पर पूरी तरह से निर्भर है, पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध कराए तथा किसानों को सहायता भी प्रदान करे ताकि लोगों को रोजगार

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

प्राप्त हों तथा कनार्टक के सूखा प्रभावित जिलों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी हों।

(सात) पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मंडाकाली के निकट मैसूर-ऊटी राजमार्ग पर मैसूर विमानपत्तन का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

***श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** (मैसूर) : मैसूर-ऊटी राजमार्ग पर मंडाकाल्ली के नजदीक मैसूर विमानपत्तन के उन्नयन में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। वायु परिवहन सुविधा के न होने से मैसूर में पर्यटन और व्यापार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रति दिन बड़ी संख्या में पर्यटक मैसूर जाना चाहते हैं। स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए मैसूर रॉयल पैलेस एक प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा, पर्यटक कृष्णराज सागर बांध, बृन्दावन गार्डन, चामंडी मंदिर, जगमोहन पैलेस और ललिता महल पैलेस देखने के लिए मैसूर आना चाहते हैं। अन्य अनेक ऐसे पर्यटन-स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मैसूर आते हैं।

मैसूर की परंपरागत कलाएं और चित्रकारियां पूरे भारत और विदेश के लोगों को आकर्षित करती हैं। यदि मैसूर विमानपत्तन का उन्नयन करके उसे पूर्णत: सुसज्जित एक विमानपत्तन बना दिया जाए और मैसूर से अन्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं आरंभ की जाएं तो इस शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। इसके अतिरिक्त, अनेक निजी ऑपरेटर भी मैसूर के लिए विमान सेवा शुरू करने के इच्छुक हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मैसूर विमानपत्तन के विद्यमान रनवे का पर्याप्त रूप से विस्तार किया जाए तथा बिना और विलम्ब किए मैसूर से देश के विभिन्न स्थानों पर हवाई सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उस विमानपत्तन के उन्नयन हेतु अन्य सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं।

(आठ) कोंकण रेलवे में विशेष रूप से रेल दुर्घटनाओं को रोकने और रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

***श्री टी. गोविन्दन** (कासरगौड़) : रेल दुर्घटनाएं जैसे ट्रेनों के पटरी से उतरने आदि से संबंधित दुर्घटनाएं प्राय: आए दिन हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। इसके अलावा, पीड़ित लोगों को लम्बे समय से पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2001 में ''कडालुंडी'' रेल दुर्घटना के पीड़ित लोगों के दावों का निपटारा अब तक नहीं किया गया है। कोंकण रेलवे में जिन यात्रियों ने ग्रीष्मावकाश के दौरान भारी भीड़ के कारण 60 दिन पहले अपनी टिकटें आरक्षित कराई थीं, वे रेलगाड़ियों को अचानक रद्द किए जाने के कारण यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कोंकण मार्ग पर प्राय: भू-स्खलन होते रहते हैं, इसके फलस्वरूप यात्री इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वे कब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। यद्यपि ऐसा पिछले कई वर्षों से विशेषकर मानसून के मौसम के दौरान होता आ रहा है, और इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। रेलगाड़ियों का खराब रखरखाव भी ऐसी दुर्घटनाओं का एक कारण है।

रेलवे की सेवा शर्तें कठोर हो रही हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, कोई भी सुरक्षित यात्रा की गारंटी नहीं दे सकता है। यहां तक कि रेलवे को आतंकवादी गतिविधियों से भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। रेलवे में यात्रियों और विशेषज्ञों के सुझाव सुनने और उनपर विचार करने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों के लाभ के लिए रेल प्रणाली में सुधार लाया जा सके।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने संबंधी उपायों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तथा रेल यात्रियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल उपचारात्मक उपाय करें।

(नौ) आंध्रप्रदेश के कुरनूल जिले में अडोनी रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

***श्री के.ई. कृष्णमूर्ति** (कुरनूल) : आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में अडोनी रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जहां यात्रियों की अधिक भीड़-भाड़ होती है। इस रेलवे स्टेशन पर कोई कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर नहीं है। कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर के न होने से इस स्टेशन के यात्रियों को आरक्षण कराने में कठिनाई हो रही है। इस स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध कराए जाने की अति आवश्यकता है।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस स्टेशन पर एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर यथाशीघ्र स्थापित करें।

[हिन्दी]

(दस) शारदा नदी के कारण होने वाले भू-कटाव से खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घीरा-पुलिया स्थित रेलवे लाईन और पुल को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

*श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी में बहने वाली शारदा नदी में अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण काफी नुकसान हो रहा है। वर्तमान समय में इस नदी के बहाव के कारण घीरा पुलिया के मध्य सामरिक महत्व की रेलवे लाईन तथा पुल के कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। प्रांतीय सरकार के अधिकारियों द्वारा रेलवे को सहयोग देने से असमर्थता प्रकट कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में रेल की पटरी का कट जाना अवश्यंभावी हो गया है जबकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही उच्चस्तरीय कदम उठाते हुए रेल की पटरी एवं पुल को बचाने का प्रयास करें तथा प्रान्तीय सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि रेल विभाग से तालमेल करते हुए इस कार्य में सहयोग प्रदान करें।

(ग्यारह) देश में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

*श्री चन्द्रकान्त खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, देश के दिल्ली सहित अन्य राज्यों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों का अभाव है तथा उनकी कीमतें भी आवश्यकता से अधिक हैं। जिसमें गरीबी व सामान्य वर्ग में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बच्चों तक वह पुस्तक नहीं पहुंच पाती हैं और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तथा पुस्तकों के अभाव होने पर विद्यार्थियों तक वह पुस्तक नहीं पहुंचती है। अभी भी बाजार में उनकी उपलब्धता की अत्यंत कमी है एवं मूल्य अत्यधिक है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से नम्र निवेदन है कि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों की बाजार में पूर्ति की जाए एवं उनके मूल्य को घटाया जाये, जिससे कि निम्न वर्ग के लोग भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें।

*सभा पटल पर रखा गया।

(बारह) बिहार में किऊल-साहेबगंज रेल खंड का शीघ्र विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

*श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय किऊल-साहेबगंज रेलखंड के विद्युतीकरण की योजना अभी तक नहीं ली गयी है जबकि सीतारामपुर से मुगलसराय तक मेन लाइन में किऊल होते हुए विद्युतीकरण का काम हो चुका है लेकिन किऊल से साहेबगंज रेलखंड में विद्युतीकरण की योजना पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। इसी खंड में जमालपुर रेल कारखाना है, जिसमें डीजल इंजन और बाक्स बैगन मरम्मत का काम एवं 140 टन क्षमता वाले क्रेन का निर्माण होता है। इस खंड के विद्युतीकरण के साथ ही रेल कारखाना जमालपुर में विद्युत इंजन के मरम्मत का काम भी हो सकता है इसलिए जल्द से जल्द किऊल-साहेबगंज रेलखंड का विद्युतीकरण किया जाये।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु के तिरूवल्लूर जिले में पुलीकोट गांव को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

*श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर) : पुलीकोट तिरूवेल्लूर जिले के अत्यंत महत्वपूर्ण गांवों में से एक है जहां मछुआरों की अनेक कॉलोनियां तटीय क्षेत्र में विद्यमान हैं। यह गांव ऐसे ऐतिहासिक गांवों में से एक है जहां 'डच' शासन था और उन्होंने प्राचीन समय में इस गांव का उपयोग एक पत्तन के रूप में किया था।

अब भी यहां 15,000 से अधिक लोग रहते हैं और वे मछलियां, केंकड़े तथा झींगे पकड़कर चेन्नई शहर में बिक्री हेतु ले जाते हैं जहां उन्हें अच्छी कीमत प्राप्त होती है। अधिकतर झींगों का निर्यात यहां से किया जाता था। हजारों लोग बसों या लॉरियों द्वारा पुलीकोट से चेन्नई शहर की यात्रा करते हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि पुलीकोट तक ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मार्ग पर नये सिरे से सर्वेक्षण कराया जाए तथा पी टी एम से पोन्नेरी और पोन्नेरी से पुलीकोट तक यथाशीघ्र रेल सुविधा की व्यवस्था की जाए।

*सभा पटल पर रखा गया।

(चौदह) पंजाब के मनसा जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

***श्री भान सिंह भौरा** (भटिंडा) : पंजाब में वर्तमान मनसा जिला भटिंडा जिले से अलग करके बनाया गया था। पहले के संपूर्ण भटिंडा जिला में पानी की कमी रही है। तथापि, जब मनसा जिला बनाया गया तो सरकार ने उसे पानी की कमी वाला जिला घोषित नहीं किया।

भटिंडा में पेयजल की स्थिति अत्यंत भयंकर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल लाने के लिए दूर के क्षेत्रों तक जाना पड़ता है। सरकार ने न केवल उसे पानी की कमी वाला जिला घोषित किया है बल्कि उसने इस जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन, कार्यक्रम के अंतर्गत भी शामिल नहीं किया है जिसमें शामिल किए जाने से इस जिले के लोगों को अपनी जल समस्या का कुछ हद तक समाधान करने में सफलता मिल सकती थी।

अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मनसा जिला के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें ताकि इस जिले को राजीव गांधी पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा बुधवार, 23 जुलाई, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 जुलाई, 2003/ 1 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।